हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

06 नवम्बर, 2020

खण्ड–2 अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 06 नवम्बर, 2020

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	04
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	37
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	65
हरियाणा विधान सभा के सदस्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं	71
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	71
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	72
गैर सरकारी प्रस्ताव का मामला उठाना	72
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	76
वॉक–आउट	82
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	82
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	84
(i) राज्य में खरखौदा (सोनीपत), समालखा (पानीपत) तथा फतेहाबाद के शराब गोदामों में शराब तस्करी से संबंधित	
वक्तव्य–	
गृह मंत्री द्वारा–उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
(ii) अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़ की एक कन्या छात्र कुमारी निकिता तोमर की हत्या से संबंधित	
वक्तव्य–	
गृह मंत्री द्वारा–उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	89
मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा	129
विभिन्न मामले उठाना	130

सरकारी संकल्प– 136

कृषि कानूनों को पास करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद देने संबंधी

बैठक का स्थगन 139

सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भ) 144

सदस्यगण को नेम करना 157

बैठक का स्थगन 158

सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भ) 158

वॉक–आउट 158

नेम किए गए सदस्यगण को वापिस बुलाने के लिए आग्रह 159

सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भ) 161

वॉक–आउट 176

सदन की मेज पर रखा गया कागज पत्र 196

विधान कार्य– 196

(i) दि पंजाब लैंड रेवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2020

(ii) दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2020

(iii) दि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2020

(vi) दि हरियाणा लॉ आफिसर्ज (इंगेजमैंट) अमैंडमैंट बिल, 2020

(v) दि हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल, 2020

(vi) दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2020

(vii) दि हरियाणा अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फाईनैंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2020

मुख्यमंत्री द्वारा धन्यवाद

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 06 नवम्बर, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में सुबह 10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

———————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

To Set-Up Small Scale Industries

***700. Smt. Nirmal Rani :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

Whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any small scale Industry on the panchayat land available in villages Ahulana, Pugthala, Bajana Kalan, Bajana Khurd, Bari and Bega of Ganaur Assembly Constituency on the pattern of IMT Manesar; if so, the details thereof?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : No sir, As on date, there is no such proposal under consideration of the Government.

श्रीमती निर्मल रानीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप डिवैल्प की जाती है, उसी तरह से जिन गांवों में पंचायती जमीन बहुत ज्यादा है हम उन गांवों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप क्यों नहीं डिवैल्प कर सकते ? 10–15 गांवों को मिलाकर यदि हम ऐसा करेंगे तो युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और शहरों में जो दबाव बढ़ता जा रहा है, वह भी कम हो जाएगा। क्या सरकार द्वारा इस बारे में कुछ सोचा गया है ?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात रखी है। वह बहुत इम्पोर्टैंट विषय है। सरकार इस बात पर प्लानिंग कर रही है कि किस तरीके से जो अनकल्टिवेटिड लैंड थ्रू आउट दा स्टेट है, उसको आने वाले समय में इन्डस्ट्रीज के साथ जोड़ा जाए ? कैसे गांवों में इन्डस्ट्रीज को लाया जाए ? मगर स्पेसिफिक्ली जिन गांवों के नाम लेकर प्रश्न पूछा गया है, उन गांवों के आसपास सोनीपत जिले में इन्डस्ट्रियल टाउनशिप बहुत बड़ी है। 60,657 एकड़ लैंड पर इन्डस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, जिसमें आई.एम.टी., खरखौदा, कुंडली, राई, मुरथल और समालखां है। हमें प्लान डिवैल्प करनी है। हम हर उस जगह पर इन्डस्ट्रीज नहीं ला सकते, जब तक कि वहां पर इन्डस्ट्रीज को सारी सुख–सुविधाएं न दे पाएं। इसके लिए आने वाले समय में खासतौर पर जिन ग्राम पंचायतों के पास 1,000 एकड़ लैंड से

सरप्लस अनकल्टिवेटिड लैंड पड़ी है, उसके बारे में सरकार विचार करेगी कि उस जमीन पर इन्डस्ट्रियल टाउनशिप खोली जाए।

श्रीमती निर्मल रानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार हम युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए लोन देते हैं। उनको लोन देने की बजाए, गांव में इन्डस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप खोली जाए। जैसे मेरी विधान सभा क्षेत्र का आहुलाना गांव है, उसमें 748 एकड़ पंचायती लैंड है। उसमें से 148 एकड़ लैंड पंचायत ने गौ चरान के लिए दे दी है। उस लैंड में से पंचायत ने 48 एकड़ लैंड फौरेस्ट विभाग को दे दी है। यदि 10–15 गांवों में इस प्रकार से कोई स्मॉल स्केल लैवल पर काम शुरू कर दिया जाए तो लोगों को बहुत लाभ होगा। इसमें डेयरी फार्मिंग या दूसरे छोटे–मोटे धंधे भी शुरू किये जा सकते हैं। इससे महिलाओं को भी काम मिल सकते हैं। वह प्रोपर्टी पंचायत या गवर्नमैंट के पास ही रहे और उससे पंचायतों को भी फायदा होगा। हम जिस तरह से गांवों में पंचायतों को डिवैल्प करने के लिए पैसा देते हैं, इसी प्रकार इस काम से गवर्नमैंट को फायदा होगा और लोगों को भी काम मिलेगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का बहुत अच्छा सुझाव है और सरकार इसके ऊपर विचार भी करेगी क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जी.एस.टी. के बाद ज्यादा से ज्यादा इम्पलॉयमैंट लोकल हो और हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए हो। इसके लिए कल ही सदन में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडीडेट्स के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। मगर पंचायतों की जमीन को हम आगे अल्टरनेटिव वे में किस प्रकार से दे पाएंगे, इस बात पर विचार करेंगे क्योंकि यह पंचायत विभाग और इन्डस्ट्रीज विभाग का ज्वायंटली कार्यक्रम होगा। मैं इस संबंध में बैठक बुलाकर माननीय सदस्या के सुझाव को भी उसमें शामिल करवाउंगा।

———————

To Install CCTV Cameras

***621. Shri Davender Singh Babli :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install CCTV Cameras equipped with latest technology for the security in the State; if so, the details thereof ?

Home Minister (Shri Anil Vij) : Yes, Sir. A Statement is laid on the table of the House.

Statement on Installation of CCTV Cameras in Haryana

I. SMART City Project in Faridabad & Karnal.

(1) For installation of CCTV surveillance system and traffic management in district Faridabad, a project under Smart city project has been allotted to M/s Honeywell Automation India Ltd. Approximately 1500 Cameras at 94 Junctions for traffic management system are to be installed across the city under "Smart City Mission", out of which 700 CCTV Cameras have been installed.

(2) Similarly, under the Smart City Project 760 CCTV Cameras are being installed in Karnal at a total cost of Rs. 159 Crore by Karnal Smart City Limited.

II. For control of law & order and traffic in Gurugram a City wide CCTV surveillance system has been taken with GMDA, Gurugram. It is intimated that State Govt. had sanctioned funds worth Rs. 45.55 Crore for the Police Department under Modernization Scheme for installation of City wide CCTV surveillance system in Gurugram and Faridabad. Out of Rs. 45.55 Crore an amount of Rs. 25.00 Crore has been transferred to GMDA, Gurugram for installation of CCTV Cameras in Gurugram. At present the project is under implementation with GMDA, Gurugram. Balance Rs. 20.55 Crore are lying as deposit with HARTRON. Remaining amount of Rs. 20.55 Crore will be utilized for installation of CCTV Cameras in other districts.

III. CCTVs for Road Safety

HARTRON has issued supply order for installation of 120 CCTV Cameras amounting to Rs. 7,54,00,000/- in following districts on National Highway No. 1(44) for promoting road-safety and reducing accidents in the State.

Sr. No.	Name of Distts. in which CCTV Cameras to be installed	No.of Locations in which CCTV Camera to be installed
1.	Ambala	22
2.	Kurukshetra	24
3.	Karnal	28
4.	Panipat	22
5.	Sonipat	24
	Total	**120**

Installation work has started from DRM office district Ambala.

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा। पहले भी हमारे शहरों में सी.सी.टी.वी. कैमराज लगाये गये हैं। जब पुलिस विभाग के संबंधित सीनियर अधिकारियों से मेरी इस विषय पर बातचीत हुई है तो उन्होंने इनके रख–रखाव के लिए एक बजट की आवश्यकता बतायी है। हमारे टोहाना शहर में तो यह समस्या है और शायद पूरे प्रदेश की समस्या है। हमारे टोहाना शहर में 7–8 कॉस्टली सी.सी.टी.वी. कैमराज लगावाये गये हैं। जहां से शहर में एंट्री होती है, वहां पर भी सी.सी.टी.वी. कैमराज लगाये गये हैं और उनको थानों से जोड़ा गया है। लेकिन जब इनके रखरखाव करने के लिए हमारी बात एस.पी. साहब और डी.सी. साहब से हुई तो इसमें बजट से रिलेटिड बात सामने आई कि हमें इतने बजट की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि अगर पूरे शहर को सी.सी.टी.वी. कैमरों से जोड़ दिया जायेगा तो अवश्य ही अपराध जैसी वारदातों में कमी आयेगी और हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। हमारा शहर बॉर्डर पर होने के कारण, वहां स्मैक का धंधा काफी जोरों से चल रहा है, स्मैक के कारण हमारे युवाओं की जिंदगियां खराब होती जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इस धंधे को भी खत्म करने के लिए मैं तो यह कहूंगा कि गांव में जो एंट्री प्वॉयंट्स बनाये गये हैं, उन सभी एंट्री प्वॉयंट्स के स्थानों को सी.सी.टी.वी. कैमरों से जोड़कर पंचायत के अधीन कर दिए जायें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके लिए पुलिस विभाग को एक अलग से बजट भी मुहैया करवाया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल ये सी.सी.टी.वी. कैमरे अर्बन लोकल बॉडीज विभाग द्वारा जो हमारी स्मार्ट सिटी है, उनमें लगाये जा रहे थे परन्तु अब यह काम अर्बन लोकल बॉडीज विभाग से होम डिपार्टमैंट में ट्रांसफर हो गया है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि फिलहाल सही मायने में it is in transition. अभी अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्ज लिया और दिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अपराध को रोकने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अगर हम देखें तो अभी हाल ही में निकिता हत्याकांड की जो घटना घटित हुई है, उसमें सबसे बड़ा एविडैंस सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज है और हम इसके लिए होम डिपार्टमैंट की तरफ से योजना बना रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी शहरों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जा सकें। उसके लिए अभी हम in the process of finalization of

the plan है और इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है, उसके बाद सरकार के समक्ष इस प्लान के लिए बजट की भी डिमांड रखी जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूं। बबली जी, मेरे मुंह से विधायक शब्द की जगह मंत्री शब्द निकल गया है। आप शायद कहीं मंत्री तो नहीं बनने वाले हो ! (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं और हम जल्दी ही सभी स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमराज लगाने का काम करेंगे।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि मेरे टोहाना क्षेत्र में ये सी.सी.टी.वी. कैमरे ऑलरेडी खराब पड़े हुए हैं। जब तक विभाग की तरफ से कोई प्रपोजल बनकर नहीं आ जाती और साथ में बजट एलोकेट नहीं हो जाता, तब तक जो सी.सी.टी.वी. कैमरे खराब पड़े हुए हैं, उनको ही ठीक करवा दिया जाये। ऐसा तो नहीं है कि इन दिनों में कोई क्राइम नहीं होगा या असामाजिक तत्वों द्वारा जो जघन्य अपराध किये जाते हैं, क्या वे नहीं करेंगे? मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि जो ऑलरेडी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं और खराब पड़े हुए हैं, पहले उनको ठीक करवाने का काम किया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में अधिकारियों को आदेश दे दूंगा कि जो सी.सी.टी.वी. कैमरे खराब पड़े हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या–637

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री धर्मपाल गौंदर सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी क्वैश्चन पर मेरी सप्लीमैंट्री है और मैं आपसे इस बारे में इजाजत लेकर ही माननीय मंत्री जी से अपनी सप्लीमैंट्री का जवाब पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर जी, जब तक माननीय सदस्य स्वयं अपना प्रश्न नहीं पूछ लेता तब तक किसी दूसरे माननीय सदस्य को उस प्रश्न पर सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत नहीं है।

———————————

तारांकित प्रश्न संख्या–611

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री मेवा सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

तारांकित प्रश्न संख्या–529

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्रीमती गीता भुक्कल सदन में उपस्थित नहीं थी।)

.....

Rejection of Crop Insurance Claims

***537. Smt. Kiran Choudhry :** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that crop insurance claims of the farmers are being rejected by the insurance companies in State without giving specific reasons;

(b) if so, the details of such claims rejected by these companies in Bhiwani District in the last on year; and

(c) the steps taken by the Government to check such malpractice made by the insurance companies ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : (क व ख) नहीं महोदय, बीमा कम्पनियों ने पिछले वर्ष के दौरान बिना किसी विशेष कारण के किसी भी योग्य किसान के दावे क्लेम को अस्वीकार नहीं किया। खरीफ 2019 और रबी 2019.20 के दौरान भिवानी जिले में 14675 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावा मूल्यांकन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया, जिनमें से 13452 दावे योग्य पाए गए। जबकि 1223 आवदेन अपात्र मिले। पूरे राज्य में खरीफ 2018 में बीमा दावों में देरी के लिए 34.92 करोड रुपये की पैनल्टी गई गई। पेनल्टी का विवरण अनुलंग्नक–I में संलगित है।

(ग) सरकार ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाएं हैं। उनमें से कुछ अनुलंग्नक–II में संलगित है।

अनुलंग्नक–I

बीमा कम्पनियों के नाम	कम्पनियों को पेनल्टी लगाने के कारण	पेनल्टी की राशि
ओरियन्टल बीमा कम्पनी	1. स्थानीय क्लेमों के भुगतान में देरी 2. अंतिम तिथि से पहले किसानों का विवरण उपलब्ध न करवाना 3. निश्चित अंतिम तिथि के अन्दर क्लेम का भुगतान करने में असमर्थ 4. प्रचार जागरूकता में फंड का उपयोग न करना	9.79 करोड़ रूपये
एस०बी०आई० जनरल बीमा कम्पनी		14.04 करोड़ रूपये
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कम्पनी		11.09 करोड़ रूपये
कुल		**34.92 करोड़ रूपये**

अनुलंग्नक–II

1. कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने लंबित षिकायतों को हल करने के लिए राज्य/जिला स्तरीय षिकायत समिति की सीपना की है।
2. विभाग ने प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को संभालने के लिए एक परियोजना अधिकारी और एक सर्वेयर प्रदान करके योजना को मजबूत किया है।
3. 22 सीटों के साथ एक केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर (प्रत्येक जिले के लिए एक) की स्थापना की।
4. किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय व निदेशालय में कीओस्क स्थापित करना।
5. स्थानीय क्लेम सूचना और समयानुसार मूल्यांकन तथा स्थानीय क्लेमों के समाधान के लिए विभाग ने प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) बनाई है।
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार करने के लिए विभाग ने रेडियो/एफ.एम. चैनलों को सम्मिलित किया है।
7. खण्ड स्तर पर बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों को लगाया गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा दावे तो बहुत बड़े–बड़े किये जाते हैं जबकि सच्चाई यह है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे क्रॉप इंश्योरैंस की बात हो या किसी भी फसल की खरीद की बात हो हरेक तरीके से सारी की सारी व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सरकार के स्तर पर बार–बार यह कहा जाता है कि किसान की आय को दोगुणा किया जायेगा। किसानों को उनकी फसल के नुक्सान का पूरा मुआवजा नहीं मिलता ऐसी हालत में किसानों की आय दोगुणी कैसे होगी? इंश्योरैंस कम्पनीज द्वारा यह बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। दैनिक भास्कर और ट्रिब्यून इत्यादि अखबारों में बार–बार इस आशय के समाचार छप रहे हैं।

अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको इन अखबारों की इस प्रकार के समाचार से सम्बंधित कटिंग्स भी दिखाना चाहूंगी। इंश्योरैंस के रेट्स को बार–बार रिवाईज किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में टोटल बीमा की राशि का 10.5 परसैंट प्रीमियम था। वर्ष 2017–18 में टोटल बीमा की राशि का 12.36 परसैंट प्रीमियम था। वर्ष 2018–19 में टोटल बीमा की राशि का 12.36 परसैंट प्रीमियम था। इस प्रकार से बीमा के प्रीमियम के रेट्स को रिवाईज किया गया। अब Most likely वर्ष 2019–20 में बीमा प्रीमियम को रिवाईज करके टोटल बीमा की राशि का 15 परसैंट प्रीमियम, बीमा कम्पनीज करने जा रही हैं। हमारे टोटल प्रीमियम की राशि 22,008 करोड़ रूपये थी जोकि अब बढ़कर 29,429 करोड़ रूपये हो गई है। ये इंक्रीज्ड बर्डन केवल पुअर फार्मर्ज पर ही नहीं है बल्कि यह स्टेट और सैंट्रल गवर्नमैंट के ऊपर भी है क्योंकि स्टेट और सैंट्रल गवर्नमैंट द्वारा भी एक निर्धारित रेश्यो में प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार से इस प्रीमियम की एक निर्धारित अमाउंट का भुगतान फार्मर को भी करना पड़ता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इंश्योरैंस कम्पनीज द्वारा जो इतने बड़े–बड़े घोटाले किये जा रहे हैं क्या सरकार के स्तर पर इनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश लगाया जा रहा है या नहीं? स्पीकर सर, दैनिक भास्कर और ट्रिब्यून में यह साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से जबरन किसानों के बैंक अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है? जो किसान अपनी फसल का इंश्योरैंस नहीं भी करवाना चाहते और जिन्होंने इस बाबत एफीडैविट भी दे दिया है उनको भी यह कहा जा रहा है कि आपको 50 रूपये तो भरने ही पड़ेंगे।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्या से यह निवेदन है कि वे भाषण न देकर स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछने की कृपा करें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहना है कि मैं क्वैश्चन ही पूछ रही हूं। मेरा यह स्पैसिफिक क्वैश्चन है। It relates to the insurance claims. I am not talking beyond that. I am talking on insurance claims only. स्पीकर सर, यह बात मैं ही नहीं कह रही हूं बल्कि अखबारों में भी इस प्रकार के समाचार बराबर छप रहे हैं कि किस प्रकार से इंश्योरैंस कम्पनीज द्वारा इंश्योरैंस के नाम पर किसानों की ह्रासमैंट की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप कृपया करके स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी ने 14 अगस्त, 2020 को कहा था कि किसानों को उनकी खराब फसल के मुआवजे का एक–एक पैसा दिया जायेगा। मंत्री जी बतायें कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है। किसानों की, बीमारी से खराब हुई कॉटन क्रॉप और हेल स्टार्म से खराब हुई फसल का कितना मुआवजा मंत्री जी ने दिलवाया है यह भी जानकारी दी जाये। 14 अगस्त, 2020 से आज तक मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है वह सभी कुछ बताया जाये। मैंने ये जो प्रश्न पूछे हैं मंत्री जी उनका जवाब देने की कृपा करें।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या और पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना से हरियाणा के किसानों को बहुत फायदा हुआ है। जब से बीमा योजना की शुरूआत हुई है तब से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों 2980.74 करोड़ रूपये के क्लेम मुआवजे के रूप में मिले हैं। हरियाणा सरकार, भारत सरकार और किसान इन तीनों की प्रीमियम की राशि को मिलाकर 2879 करोड़ रूपये के प्रीमियम का भुगतान बीमा कम्पनीज को किया गया है। इसमें फार्मर्ज का शेयर सिर्फ 913 करोड़ रूपये ही है। बीमा योजना का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए यह योजना सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है। बीमा कम्पनीज को जितना प्रीमियम दिया गया है हरियाणा पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश है जहां पर प्रीमियम से कहीं ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के किसानों को हमने 103 परसैंट मुआवजा दिया है। डिस्ट्रिक्ट भिवानी में जो प्रीमियम भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से अदा किया गया उसका 119 परसैंट मुआवजा भिवानी के किसानों को मिला है। यह राशि और प्रदेशों में काफी कम है। भिवानी जिले के अंदर कुल 17083 क्लेम एप्लीकेशंज फाईल हुई हैं। इन क्लेम एप्लीकेशंज में से 1223 क्लेम एप्लीकेशंज रिजैक्ट हुई और 14396 क्लेम्ज ऑनर हुए और इस समय 1464 क्लेम्ज के केसिज पैंडिंग हैं। इनमें से 950 केस विभिन्न बैंक्स की गलती से पैंडिंग हुए हैं। इनमें से कुछ क्लेम्ज में बैंक के लैवल पर अकांउट नम्बर गलत अंकित हो गया। कुछ ऐसे केसिज भी हैं जिनमें सम्बंधित बैंक द्वारा अकाउंट की सूचना बीमा कम्पनी को नहीं दी गई। हमें उम्मीद है कि हम इन सब क्लेम्ज के केसिज को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। इन पैंडिंग क्लेम्ज की राशि महज एक करोड़ रूपये ही है। इसी प्रकार

से 514 ऐसे पैंडिंग केसिज हैं जिनमें या तो फसल का मिसमैच है और या फिर एरिया का मिसमैच है। बीमा क्लेम्ज के पैंडिंग केसिज में ज्यादातर इसी प्रकार के ही केसिज हैं। हमारी भरपूर कोशिश यही है कि इन सभी पैंडिंग केसिज का निपटान भी जल्दी से जल्दी कर दिया जाये। ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसमें किसान को बिना किसी वाजिब कारण के मुआवजा देने से मना किया गया हो। मेरा यह भी कहना है कि भिवानी के साथ ही साथ पूरे हरियाणा के किसान इस बीमा योजना से बहुत संतुष्ट हैं। इसका प्रमाण यह है कि इस बार यह योजना स्वैच्छिक कर दी गई है। इस योजना के स्वैच्छिक होने के बावजूद भी बीमाधारक किसानों की संख्या में कमी न होकर वृद्धि ही हुई है। इस प्रकार से बीमाधारक किसानों की संख्या में वृद्धि होना इस योजना के लोकप्रिय होने का पुख्ता सबूत है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल माननीय मंत्री जी से पूछे थे उनके जवाब नहीं आये हैं। अपने जवाब में मंत्री जी ने स्वयं माना है कि किसानों के कितने क्लेम आये हैं और सरकार ने कितना पैसा दिया है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपैंसी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि किसान जिस हिसाब से प्रीमियम दे रहे हैं उनको उस हिसाब से क्लेम का पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री जयप्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने केवल भिवानी जिले के बारे में पूछा था इसलिए मैंने भिवानी जिले से संबंधित आंकड़े ही बताए हैं। अगर माननीय सदस्या पूरे हरियाणा के आंकड़े जानना चाहती हैं तो मैं पूरे हरियाणा के आंकड़े भी बता देता हूं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जो इंश्योरैंस कम्पनियां हैं वे बार–बार प्रीमियम के रेट बढ़ा रही हैं। क्या सरकार उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करेगी? एक सवाल मैंने यह भी पूछा था कि दैनिक भास्कर अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी कि 7600 किसानों को फसल बीमा योजना का क्लेम नहीं दिया गया है। 14 अगस्त, 2020 को किसानों के साथ मीटिंग करके यह कहा गया था कि उनको फसल बीमा क्लेम का एक–एक पैसा दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या किसानों का फसल बीमा क्लेम का पैसा जारी कर दिया गया है?

श्री जयप्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो बात कह रही हैं वह ठीक नहीं है। इनको किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधे–सीधे मंत्री जी से जवाब मांगा है और उम्मीद करती हूं कि वे सीधे–सीधे जवाब दें। वे बात को घुमा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपने जो सवाल मंत्री जी से पूछे थे उनके जवाब मंत्री जी ने दे दिये हैं। आप अखबारों की खबरों पर न जाएं।

श्री जयप्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या केवल अखबारों की खबर पढ़ कर किसानों की बात करती हैं, इनको किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप इस कुर्सी पर बैठे हुऐ हैं और आप ही हमारे हितों को प्रोटैक्ट करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है और मंत्री जी उसका स्पेसिफिक जवाब दे दें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपने जो–जो प्रश्न पूछे थे उनके जवाब मंत्री जी दे चुके हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया है, इन्होंने सारे जवाब को गोलमोल कर दिया है। मैंने इनसे प्रश्न पूछा था कि 14 अगस्त, 2020 को जिन किसानों को फसल बीमा क्लेम दिलवाने की बात कही गई थी क्या उनको फसल बीमा क्लेम का पैसा मिल गया है? इसी प्रकार से फसल बीमा कम्पनियां जो प्रीमियम बढ़ा रही हैं क्या उन पर अंकुश लगाया जायेगा? इनके जबाब में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपैंसी है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमियां हैं उनका उत्तर मैं दे देता हूं। पहली बात तो माननीय सदस्या ने पूछा है कि जो फसल बीमा कम्पनियां हैं उनके प्रीमियम के रेट पर कंट्रोल लगाने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह एक ऑक्शन मैथड है। पूरे हरियाणा में एरियावाईज तीन क्लस्टर बने हुए हैं। तीनों एरियाज की फसल के हिसाब से ऑक्शन के माध्यम से ऑफर ली जाती है कि आप कितने प्रतिशत के हिसाब से फसलों का बीमा करेंगे। उसमें बहुत सी कम्पनियां आती हैं। इन तीनों कम्पनियों को अलग–अलग एरिया के हिसाब से

उनके लोअस्ट रेट पर यह फसल बीमा का काम दिया हुआ है। यह हमारी मर्जी है कि हम यह काम बीमा कम्पनियों के माध्यम से करवाएं या कोई ट्रस्ट बना कर सरकार स्वयं करे। उस समय हमारे पास दोनों विकल्प थे लेकिन हमने कहा कि हम ट्रस्ट नहीं बनायेंगे और कम्पनियों के माध्यम से यह काम करवायेंगे क्योंकि उसका एक साइंटिफिक सिस्टम भी है। जो फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है उसका प्रीमियम तो सभी को देना पड़ेगा। पहले यह लोनी फार्मर्ज पर कम्पलसरी किया हुआ था और अपने आप ही उसका प्रीमियम काट लेते थे। उसमें किसानों की तरफ से ऐतराज आया कि अपने आप नहीं काटना चाहिए। दो साल के बाद अब उसको ओपन कर दिया है और किसान की डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है कि वह अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है या नहीं। अब इसमें जो किसान फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहेगा वह प्रीमियम भरेगा। अब इस बारे में किसानों के मन में एक स्वभाव आया हुआ है और वह स्वभाव हमारे विपक्ष के लोगों ने पैदा किया हुआ है। जो किसान फसल बीमा का प्रीमियम देगा वह जा कर इंश्योरैंस क्लेम कर सकता है कि मुझे इतना पैसा वापिस दो लेकिन अध्यक्ष महोदय इसका भी एक साइंटिफिक सिस्टम बना हुआ है। उस साइंटिफिक सिस्टम से किसान का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, उसकी फसल खराब हुई या नहीं हुई, वह क्रोप कटिंग एक्सपैरिमेंट के हिसाब से तय किया जाता है। ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें कई बार किसान को पता भी नहीं चलता कि मुझे क्लेम मिलेगा या नहीं। उसके बाद भी किसान के बैंक खातों में लाखों रुपये पहुंचे हैं इसलिए अगर हम इस सारे सिस्टम को खुद भी और किसान को भी ठीक ढंग से समझाएंगे तो किसान की भी संतुष्टि होगी क्योंकि आखिर उसने कुछ प्रीमियम दिया है। अगर हम लाईफ इंश्योरैंस का प्रीमियम करवाते हैं तो उसका क्लेम तब मिलता है जब लाईफ खत्म हो जाए। किसी को भी जिन्दा रहते हुए क्लेम नहीं मिलता है। इसलिए फसल खराब होने पर एक्सपैरिमेंट के माध्यम से उसका क्रोप कटेगा। जिस किसान को फसल में टोटल लॉस होता है तो क्लेम के माध्यम से उस किसान को पैसा मिलता है, सबको नहीं मिलता है। दूसरी बात यह कि सभी किसान टैंडर पर ही आएंगे। उसके हिसाब से ही उनको क्लेम मिलेगा। तीसरी बात यह है जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार और किसान तीनों का मिलकर 2800 करोड़ रुपये का क्लेम बताया है जबकि हरियाणा में कुल मिलाकर 2900 करोड़ रूपये क्लेम मिला है। अगर हमें ज्यादा क्लेम मिला है तो इसका मतलब हमारा

कोई ज्यादा लोस नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि कोई भी इंश्योरैंस कम्पनी आएगी तो वह ऐसा नहीं है कि घाटे में चलेगी। उन इंश्योरैंस कम्पनियों को अगर फायदा होगा तो काम करेंगी नहीं तो नहीं करेंगी। अगर किसी प्रदेश का ज्यादा क्लेम जा रहा है तो उत्तरोतर उसका जो टैंडर है उसकी प्रतिशत्ता भी ज्यादा जाएगी। यह हर साल बदलता है। मेरे पास चार प्रांतों का अलग–अलग क्लस्टरों का रिकॉर्ड है। हमारा पहले क्लस्टर में 10.96 रेट गया। दूसरे क्लस्टर में 8.48 रेट गया, तीसरे क्लस्टर में 8.49 रेट गया है। कई प्रदेशों ने ज्यादा–ज्यादा क्लस्टर बनाए हुए हैं। जैसे राजस्थान ने 10 क्लस्टर बनाए हुए हैं। उन सबका रेट अलग–अलग है। किसी का 8 प्रतिशत है तो किसी का 12 प्रतिशत भी है इसलिए किस एरिया में कितनी फसल खराब होने की संभावना है। उस हिसाब से उनको क्लेम देना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही टैंडर में रेट आता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे हाथ में है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ बिल्कुल क्लीयर बता दिया है। यह कोई बहस का समय नहीं है। यह क्वैश्चन आवर है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कोई बात पूछना मेरा राईट है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से दो चीज पूछना चाहती हूं। जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है मैं उस बात से भी सहमत हूं लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि ये इंश्योरैंस कम्पनीज कोई बाबा जी नहीं हैं, यह मैं मानती हूं और यह हम सभी जानते हैं और तभी तो यह करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना यह है कि किसान का जो नुकसान होता है वह उसको मुआवजे के रूप में मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि इंश्योरैंस कम्पनीज ऑक्शन के ऊपर क्लेम देती हैं। जब वह ऑक्शन के ऊपर क्लेम देती हैं तो उन पर सरकार का दबाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां पर इतना घोटाला हुआ है। जो कि दैनिक भास्कर अखबार में भी आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रीमियम कम लिया है और मुआवजा ज्यादा दिया है जिससे किसान को फायदा हुआ है, उसमें भी इनको घोटाला नजर आता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें किसानों का नुकसान हुआ है जोकि अखबारों में भी आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) अगर अखबारों के माध्यम से घोटाले आएंगे तो सभी जांच करने लगेंगे। अखबारों में तो बहुत कुछ आता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप कह दें कि दैनिक ट्रिब्यून अखबार गलत है, भास्कर अखबार गलत है।(शोर एवं व्यवधान) अगर आप कुछ करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। (शोर एवं व्यवधान)

.....

To Develop Sector By Hsvp

***663. Shri Sanjay Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a residential sector by HSVP in Tauru; if so, the time by which the said sector is likely to be developed?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी, विकास कार्यों का अनुमान तैयार किया जा रहा है और अपेक्षित है कि विकास कार्यों की निविदाएं शीघ्र ही आवंटित की जाएगी।

श्री संजय सिंह : ठीक है जी, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।

.....

To Stop of Air and Water Pollution

***592. Shri Harvinder Kalyan :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether, it is a fact that the underground water of villages Alipur Khalsa, Harisinghpura, Kohand and Barsat of Gharaunda Assembly Constituency is being polluted by releasing untreated chemical wastes of the Industries in the Gharaunda and Panipat through Borewells;

(b) whether it is also a fact that air pollution has been increased due to the smokes emitted from the Rice Mills in the surrounding area of

.....

@ Reply given by the Agriculture Minister

villages Kambopura and Kutail of District Karnal; and

(c) if so, the details of steps taken or likely to be taken by the Government to check the above stated problem of air and water pollution?

@ मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) नहीं श्रीमान जी ।

(ख) नहीं श्रीमान जी ।

(ग) क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं । ब्योरा **अनुबन्ध 'क'** पर संलग्न है ।

अनुबन्ध – 'क'

वायु तथा जल प्रदूषण के निवारण तथा निगरानी के लिए जिला प्रशासन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) तथा सम्बन्धित अन्य एजेंसियों/विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रेडिड रिस्पोंस कार्य योजना (जी.आर.ए.जी.) के अधीन जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (ई.पी.सी.ए.) के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण तथा नियन्त्रण) प्राधिकरण के निर्देश लागू किए गए हैं ।

(ii) अनुपालन की स्वंय मॉनीटरिंग के बारे में विभिन्न उच्च प्रदूषण वाले उघोगों से वायु उत्सर्जन तथा बहिःस्राव निर्वहन की आनलाईन मानीटरिंग के लिए सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयन्त्र (सी.ई.टी.पी.) सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट तथा बायोमैडिकल अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधाओं के लिए उघोगों /परियोजनाओं को निर्देश जारी किए गए हैं ।

(iii) क्रमशः करनाल तथा पानीपत जिले में स्थापित एक सत्त परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग स्टेशन (सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) के माध्यम से परिवेशी वायु गुण की एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा मानीटर किया गया है जिसके माध्यम से परिवेशी वायु गुण की वास्तविक समय आधार पर लगातार निगरानी की जा रही है तथा वह आनलाईन के माध्यम से पहुंच के लिए उपलब्ध है ।

(iv) वायु तथा जल प्रदूषण इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण यन्त्र की स्थापना तथा संचालन तथा पर्यावरणीय प्रदूषकों के निर्वहन के लिए विहित

.....

@ Reply given by the Education Minister

मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए उघोगों के विभिन्न वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार प्रदूषित उघोगों का एच.एस.पी.सी.बी. के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है । नियमित अनिवार्य निरीक्षण के अलावा एच.एस.पी.सी.बी प्रदूषण के विरूध उचित विनिर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से जब कभी प्राप्त शिकायतों तथा जब कभी न्यायालय/अधिकरण से निरीक्षण करने के लिए निर्देश प्राप्त होते है का विशेष निरीक्षण भी करता है।

(v) फरीदाबाद में वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में हरियाणा सरकार ने डीजल के वाहनों के रजिस्टरेशन पर रोक लगाई है जो हरियाणा राज्य के समस्त एन०सी०आर० जिलों में दस वर्ष से अधिक पुराने है ।

(vi) हरियाणा राज्य में कोई भी ईंट भट्ठा चलाना अनुज्ञात नहीं किया जाता है जब तक वे वायु उत्सर्जन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिग–जैग प्रौघोगिकी को परिवर्तित नहीं करते है ।

(vii) एच०एस०पी०सी०बी० द्वारा सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में बहने वाली नदियों तथा ड्रेनों के जल की गुणवत्ता का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है।

(viii) राज्य सरकार ने निर्माण तथा विनाश कार्यकलापों से धूल उत्सर्जन के नियन्त्रण के लिए तथा कृषि अपशिष्ट तथा अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं ।

(ix) राज्य सरकार साफ सफाई तथा लोगों की भागीदारी के लिए मल्टीमीडिया के माध्यम से पर्यावरणीय मामलों पर जागरूकता भी उत्पन्न कर रही है ।

(x) एच.एस.पी.सी.बी. ने सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में ईंधन के रूप में भट्ठी के तेल के प्रयोग पर रोक लगाई है। इसी प्रकार चूना भट्ठी तथा सीमेंट संयन्त्रों के सिवाए सभी उघोगों के लिए पैट कोक के प्रयोग पर भी रोक लगाई है।

श्री हरविन्द्र कल्याणः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में जिन गांवों का जिक्र किया है, इन गांवो में मेरा अकसर आना–जाना लगा रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इज ऑफ डूईंग बिजनैस के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। मैंने इन गांवों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से वहां के हालात व स्थिति को देखा है और उसी के ध्यानार्थ सदन में प्रश्न लगाया है लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उसको सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे माननीय मंत्री जी को विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा ठीक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से

अनुरोध है कि इस रिपोर्ट की दोबारा से जांच करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो डाई इंडस्ट्रीज हैं, यह मुख्यतः करनाल और पानीपत जिले के बार्डर पर लगी हुई हैं जिसमें घरोंडा विधान सभा क्षेत्र के साथ साथ महीपाल ढांडा जी का पानीपत ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र भी शामिल है। यहां पर डाई इंडस्ट्रीज का बिना ट्रीट किया हुआ पानी या तो टैंकरों में भरकर सड़कों पर डाल दिया जाता है या फिर पास लगते हुए तालाबों में डाल दिया जाता है जिसका नतीजा यह सामने निकलकर आ रहा है कि यहां पर ट्यूबवैल का पानी बिल्कुल लाल रंग का निकलकर आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि जो अधिकारी यहां पर जांच करने के लिए गए उनको यह गंदा पानी दिखाई नहीं दिया जिसको यहां के लोग पीने के लिए प्रयोग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। अतः मैं इस संदर्भ में अनुरोध करूंगा कि जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट बनाई है, उसको एक महीना यहां का दूषित पानी पीने के आदेश दिए जायें। गंदा पानी पीने की वजह से यहां के लोग कैंसर व स्किन की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस विषय को अति गंभीर मानते हुए कोई प्रभावी कदम उठाये जायें?

श्री धर्म सिंह छोक्करः अध्यक्ष महोदय, मेरा समालखा विधान सभा क्षेत्र श्री हरविन्द्र कल्याण के विधान सभा क्षेत्र घरोंडा तथा श्री महीपाल ढांडा के विधान सभा क्षेत्र पानीपत ग्रामीण के साथ लगता है। श्री हरविन्द्र कल्याण जी ने डाई इंडस्ट्रीज के बिना ट्रीट किए गए पानी के बारे में जो समस्या बताई है, मैं भी उससे जुड़ी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले विधान सभा सत्र के दौरान भी इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। डाई इंडस्ट्रीज का जो पानी होता है वह बहुत दूषित होता है। इस दूषित पानी को ड्रेन न. 8 में डाल दिया जाता है। ड्रेन न. 8 का निकास यमुना नदी में होता है जिसकी वजह से यमुना का पानी दूषित हो जाता है और इसका यहां के लोगों पर तथा पशुधन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा यमुना नदी के पानी को साफ करने संबंधी बड़े–बड़े दावे किए जाते हैं। इसी के मद्देनज़र मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि डाई इंडस्ट्रीज के पानी को ट्रीट करके ड्रेन न 8 में डाल दिया जाये जोकि श्री हरविन्द्र कल्याण जी, श्री महीपाल ढांडा जी तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरती हुई यमुना नदी में जाकर गिरती है

तो इससे एक तो यमुना नदी का पानी स्वच्छ होगा और दूसरा लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि अनुपचारित रसायनिक वाटर बोरवेल के द्वारा जमीन में छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से पीने का पानी दूषित हो गया है, के सदंर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि इनके विधान सभा क्षेत्र के अलीपुर खास गांव में 27 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें से 19 औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण से संबंधित नियमों का अच्छी तरह पालन कर रही है और जो 8 औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं कर रही थी उनको बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार हरीसिंहपुरा में 5 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें से 3 औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण से संबंधित नियमों का पालन कर रही हैं और जो 2 औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं कर रही थी उनको बंद कर दिया गया है। कोहंड में 10 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें से 4 औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण से संबंधित नियमों का अच्छी तरह पालन कर रही हैं और जो 6 औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण से संबंधित नियमों का पालन नहीं कर रही थी उनको बंद कर दिया गया है। बरसत में 9 औद्योगिक इकाइंया हैं और यह सभी की सभी औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण से संबंधित नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रही हैं। कहने का भाव यह है कि यहां पर कुल 51 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें से 35 पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन कर रही हैं और जो 16 औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण से संबंधित नियमों का पालन नहीं कर रही थी उनको बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि यहां के ट्यूबवैल का पानी ठीक नहीं है, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि 110 ट्यूबवैल्ज का पानी चैक किया गया और यह पानी बिल्कुल ठीक पाया गया। यही नहीं समय समय पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सैंपल लेकर या अन्य दूसरी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए औद्योगिक इकाइयों की जांच करता रहता है। यही नहीं घरोंडा की एक फर्म जगदम्बा सोलिवेट जोकि पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने का काम कर रही थी, पर 412500 रूपये का फाइन करके उसको बंद करने का काम किया गया है। इसके साथ ही माननीय सदस्य ने करनाल के कम्बोपुरा तथा कुटेल के आसपास के क्षेत्रों में चावल मिलों के बारे में जिक्र किया है उसके बारे में भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि चावल मिलों की 17 यूनिटें ऐसी हैं जिनको लाइसैंस दिया गया है, उनमें से 14 यूनिटें ठीक ढंग से काम कर रही हैं और 3

यूनिटें ऐसी थी जो नियमों का पालन नहीं कर रही थी और उन तीनों यूनिटों को हमने बंद कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि तीन यूनिटें ऐसी भी थी जो धुएं का प्रदूषण नहीं फैला रही थी। अध्यक्ष महोदय, अभी भी माननीय सदस्य का मानना है कि कुछ यूनिटें अभी भी अनट्रीटिड वॉटर छोड़ रही है तो यह बहुत ही गंभीर विषय है। यदि माननीय सदस्य इस बात का कोई प्रमाण लिखित रूप में देते हैं तो उन यूनिटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और इस बारे में मैंने लिखित रूप में भी विभाग को प्रश्न दिया हुआ है। मेरे हल्के में पहाड़ के साथ–साथ 10–15 गांव बसे हुए हैं, जिनकी आबादी लगभग पांच हजार के करीब है। उन गांवों की जमीन को वन विभाग ने नोटिफाई कर रखा है, जबकि ये गांव कई वर्षों से बसे हुए हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वन विभाग से चैक करवा कर उसको डि–नोटिफाई किया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः डॉ0 अभय सिंह यादव जी, आपका यह प्रश्न वन विभाग से संबंधित है, इसलिए यह अलग प्रश्न है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि करनाल में शुगर मिल से निकलने वाला काला धुंआ सैक्टर 4, 5 और 6 में जम जाता है। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि जब शुगर मिल शुरू होगी तो इस समस्या का हल हो जायेगा। मैंने इस संबंध में उपायुक्त महोदय, करनाल को भी लिखित रूप में एप्लीकेशन दी हुई है। क्या माननीय मंत्री जी हमारी इस समस्या का हल करेंगे?

श्री हरविन्द्र कल्याणः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में जो जानकारी दी है, वह सही है। वास्तव में पिछले दिनों अनट्रीटिड वॉटर को लेकर कुछ सख्ती जरूर हुई है और उसके नतीजे भी आने शुरू हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संबंधित मंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अनट्रीटिड वॉटर की वजह से और अन्य कारणों से जो भी समस्याएं लोगों को आ रही हैं, उसके लिए एक स्पैशल कैम्प लगाया जाये ताकि लोगों की समस्याओं का हल हो सके। धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि पानीपत में बहुत सी इण्डस्ट्रीज के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिला हुआ है। जब तक पानीपत के लिए जैड0एल0डी0 (Zero Liquid Discharge) का सिस्टम नहीं आयेगा तब तक यह समस्या ज्यों की त्यों ही घूमती रहेगी। लोग कहेंगे कि अनट्रीटिड वॉटर नहीं छोड़ते और अधिकारी कहेंगे कि अनट्रीटिड वॉटर नहीं आता लेकिन मैं वहां का विधायक होने के नाते कहता हूँ कि अनट्रीटिड वॉटर छोड़ा जाता है। इस प्रकार से जैड0एल0डी0 का सिस्टम लाना अति आवश्यक है। मेरा मानना है कि लगभग साढ़े सोलह करोड़ लीटर पानी प्रति दिन डिस्चार्ज होता है लेकिन हमारे पास पानी को साफ करने के लिए इतने अरेंजमैंट नहीं हैं। छोटी–छोटी फैक्ट्रियां अपना ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगा सकती लेकिन यदि सरकार जैड0एल0डी0 का सिस्टम लेकर आती है तो उसके रैकनिंग चार्जिज वगैरह भी इण्डस्ट्रीज देने को तैयार है लेकिन कोई भी लगभग 2 हजार करोड़ रूपये के प्रोजैक्ट पर इंवैस्टमैंट करने को तैयार नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर सरकार जरूर विचार करें। धन्यवाद।

.....

To Shift Godowns from Residential Areas

***666. Shri Lakshman Napa:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the godowns of HSAMB and HSWC have been constructed in the midst of residential area in Ratia; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the abovesaid godowns outside the residential area togetherwith the details thereof ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : (क) हरियाणा राज्य कृषि, विपणन, बोर्ड और हरियाणा राज्य भण्डारण निगम के गोदमों का निर्माण आवासीय क्षेत्र में आने से पहले किया गया था लेकिन अब आवासीय क्षेत्र गोदामों के निकटता में काफी फैल चुका है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

श्री लक्ष्मण नापाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल के जो गोदाम बने हुए हैं उनमें

कोई भण्डारण का काम नहीं है बल्कि वे गोदामों को डी0एफ0सी0 विभाग को रैंट पर दिए गए हैं। मेरे रतिया शहर में 7 एकड़ कीमती जमीन शहर के बिल्कुल बीच में पड़ती है अगर यहां पर शापिंग कॉम्लैक्स और अच्छी दुकानें होंगी तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल की आमदनी लाखों रुपयों में हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के पास ऐसी कोई प्लानिंग है?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मार्केटिंग बोर्ड का काम भण्डारण का नहीं है लेकिन भण्डारण निगम के द्वारा करवाया जाता है और प्रदेश में भण्डारण की पूरी कैपेसिटी नहीं है । इसके लिए हमें और गोदामों की जरूरत है और हम और गोदाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं । हालांकि यह एक आवासीय क्षेत्र है । अगर माननीय सदस्य की तरफ से वहां के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आता है और हमें पंचायत की अच्छी जमीन उपलब्ध होती है तो इस पर विचार किया जा सकता है कि गोदाम कहीं और बना दें और गोदाम की जगह पर प्लॉट्स काट दें या दुकानें बना दें । यह काम मार्केटिंग बोर्ड और म्युनिसिपल कमेटी को मिलकर करना पड़ेगा । फिलहाल यह मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री नयनपाल रावत : अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड का जिम्मा मेरे पास है, इसलिए इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर आवासीय क्षेत्र में पड़ने वाले गोदामों को खुले स्थान पर शिफ्ट कर रहे हैं। आवासीय क्षेत्रों में कनैक्टिविटी संकरी होने की वजह से गोदामों में ट्रकों को आने–जाने में काफी दिक्कत आती है । हमने पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर 2 शहरों पलवल और पानीपत के गोदामों को शिफ्ट करने का निर्णय लिया है ।

श्री लक्ष्मण नापा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमारे पास पंचायत की काफी जमीन खाली पड़ी है । शहरवासियों को गेहूं और जीरी की बिक्री के समय ट्रकों की आवाजाही की वजह से बहुत दिक्कत आती है । मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मंत्री जी के पास पंचायत की जमीन का एक अच्छा प्रस्ताव भिजवा दूंगा ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य हमें पंचायती जमीन का कोई अच्छा प्रस्ताव देंगे तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे ।

.....

To Construct F.O.B.

***684. Shri Deepak Mangla :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that a flyover has been constructed on the Railway Line in Kailash Nagar and Mohan Nagar of District Palwal; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct F.O.B. on Railway Line in Kailash Nagar and Mohan Nagar of Palwal; if so, the time by which it is likely to be constructed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसके दोनों ओर मोहन नगर और कैलाश नगर 2 बहुत बड़ी आवासीय बस्तियां हैं । इसके दोनों तरफ 10–10 हजार की जनसंख्या रहती है । वे लोग रेल लाइन को पैदल पार करते हैं तो ऐसे में बहुत–सी दुर्घटनाएं भी हुई हैं और अब भी आये दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं । मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां पर फुट ओवरब्रिज बना दिया जाए । इससे आम जन को वहां से आने–जाने में सुविधा होगी और इल्लीगल तरीके से जो लोग रेल लाइन को पैदल पार करते हैं उनका भी कहीं–न–कहीं बचाव होगा ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फ्लाईओवर पर फुट ओवरब्रिज बनाने की बात है तो उसके दोनों तरफ वॉकिंग पाथ बना हुआ है मगर लोग लम्बा रास्ता तय करके जाने की बजाय शॉर्ट कट अपनाकर रेल लाइन से गुजरते हैं । वहां पर हमारे पास लैण्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है । मैं इसके लिए एस.ई., चीफ इंजीनियर और ई.आई.सी. की एक कमेटी बना दूंगा । वह कमेटी उसकी साइट विजिट कर लेगी कि वहां पर कैसे वॉकिंग पाथ बनाया जाए और हम उस पर रेलवे विभाग से चर्चा कर लेंगे । अगर हमें लैण्ड मिल जाएगी तो हम फुट ओवरब्रिज बनाने पर विचार करेंगे ।

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि विभाग की तरफ से उसकी फिजिबिलिटी भी चैक

हो चुकी है । अगर फ्लाईओवर के दोनों तरफ सीढ़ियां भी बना दी जाए तो इससे वहां के निवासियों को सुरक्षा का भी अनुभव होगा और इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा । इससे बहुत कम खर्च में ही वहां के निवासियों को बहुत ज्यादा सुविधा और सुरक्षा मिल जाएगी । मेरा कहना है कि यह स्थिति केवल पलवल क्षेत्र की ही नहीं है बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी है जहां पर भी घनी आबादी है । वहां पर हमने स्वयं जाकर देखा है । वहां पर भी घनी आबादी है लेकिन इसके बावजूद वहां पर इस तरह की दिक्कत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी असुविधा हमारे पलवल क्षेत्र की है। अगर इस पर सहानुभूतिपूर्वक देखा जाए तो यह बहुत ज्यादा लागत का काम भी नहीं है और इससे आम जनमानस को बहुत बड़ी सुविधा होगी। वहां पर हर रोज जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। कई बार तो पूरे परिवार के सदस्यों के साथ ही दुर्घटना घटित हो जाती है। मेरा यही आग्रह है कि इस काम को जल्दी ही करवाया जाए।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस रेलवे लाईन का जिक्र किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहंगा कि वह एक बहुत ज्यादा ओवरलोडिड रेलवे लाईन है। वहां से बहुत ज्यादा ट्रेनों का आवागमन होता है। जो सीढ़ियां लगाने और फुट ओवर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया है, उसके लिए मैं संबंधित कमेटी को आदेश दे दूंगा कि वे अगले 30 दिनों के अन्दर साईट विजिट करके इन दोनों आप्शंज पर वर्क आउट करें और जल्द से जल्द इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सब्मिट करें। हमारे प्रदेश के एक–एक नागरिक की जान हमारे लिए कीमती है और उनकी सुरक्षा के लिए हम जल्द से जल्द कदम उठाएंगे।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, क्या आपका सप्लीमैंट्री जिला पलवल से ही संबंधित है या अलग से है ?

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बादली हल्के से संबंधित है।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, फुट ओवर ब्रिज तो बहुत जगह पर बनाये जाने हैं।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले विधान सभा सैशन के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सुबाना का बाईपास बनवाने के लिए रिक्वैस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि 3 महीने में उसका काम शुरू करवा देंगे। दूसरी बात कुलाना

चौक से संबंधित है, उस रास्ते से हमारे रेवाड़ी की साईड के माननीय विधायक जी भी आते रहते हैं और आम पब्लिक भी आती है, इसलिए कुलाना चौक का अंडर बाईपास बनाया जाना सबसे जरूरी है क्योंकि वहां पर आए दिन एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। मेरी रिक्वैस्ट है कि इसको भी बनवाया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी मुस्करा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मुस्कराहट में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी रिक्वैस्ट है कि सुबाना का बाईपास बनवाया जाए। इसके साथ ही साथ छूछकवास का बाईपास जोकि काफी समय पहले मंजूर हो चुका है, उसको भी बनवाया जाए। कुलाना का अंडर पास बनवाया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 3 महीने के अन्दर बादली का सैक्रेटरिएट बनवाने का काम शुरू करवा देंगे। लेकिन आज तक वह काम शुरू नहीं हुआ है। उसको भी शुरू करवाया जाए। इसके अलावा पाटौदा में पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस के लिए मौका देखने के लिए कहा गया था, परन्तु इस विषय में भी कोई प्रोग्रैस नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि हमारे क्षेत्र के कार्यों को करने की तरफ भी ध्यान दें।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जबाव नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आपकी बात पर मुस्करा दिये हैं। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री लक्ष्मण सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर एक सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि बादली का सैक्रेटरिएट बनवाने का काम कब शुरू होगा ? हमारे वहां पर थाना नहीं बनाया गया है और न ही बस स्टैंड बनाया गया है।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस माननीय सदस्य द्वारा सवाल पूछा जाता है, उसी का जबाव दिया जाए।

श्री लक्ष्मण सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल इसी विषय से रिलेटिड है। (शोर एवं व्यवधान) रिहैबिलिटेशन ऑफ दिवाना डिस्ट्रीब्यूट्री के लिए 16 करोड़ व रामपुरी माईनर के लिए 4.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा ? कोसली विधान सभा क्षेत्र के किसानों ने विभागीय एस्टीमेट्स के

अनुसार पैसे जमा करवा रखे हैं। जिसमें 20 किसानों ने 20,000 से 50,000 रुपये तक जमा करवा रखे हैं। 93 किसानों ने 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक जमा करवा रखे हैं। 196 किसानों ने 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक जमा करवा रखे हैं। 72 किसानों ने 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक जमा करवा रखे हैं। 17 किसानों ने 2 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक जमा करवा रखे हैं। 5 किसानों ने 3 लाख रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपये तक जमा करवा रखे हैं। इस प्रकार लगभग 750 किसानों ने विभाग के पास करोड़ रुपये जमा करवा रखे हैं। इनके ट्यूबवैल कनैक्शंज कब तक दे दिए जाएंगे ? कोसली विधान सभा क्षेत्र में कृष्णावती नदी के जीर्णोद्धार के लिए 1.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए कार्य का आरंभ कब तक हो जाएगा? गांव गुरावड़ा में इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, रेवाड़ी का रीजनल सैंटर आरंभ करवाया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी. नाहड़) नाहड़, रेवाड़ी का भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है। इसके लिए भवन के निर्माण का कार्य कब तक होगा ?

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जबाव नहीं दिया गया है। सुहाना और कुलाना चौक पर अंडर बाईपास बनाया जाना था, उसका जबाव नहीं दिया गया है।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसी विषय से संबंधित एक सप्लीमैंट्री पूछना है, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः इलियास जी, इस विषय पर एक सप्लीमैंट्री पूछा जा चुका है। आपका सप्लीमैंटरी इसी विषय से संबंधित था तो आपको उसके लिए अलग से प्रश्न लगाना चाहिए था।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे पिनगवां के बाईपास के स्टेट्स के बारे में बताया जाए। इसी सदन में उन्होंने इस बाईबास को बनाने के बारे में आश्वासन दिया था।

———————

तारांकित प्रश्न संख्या–608

(यह प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अमरजीत ढांडा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

To Acquire Land for Construction of Minor

***457. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to acquire land for the construction of Masudpur Minor; if so, the time by which the construction work of the above said Minor is likely to be started ?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : जी हाँ, श्रीमान। महोदय, मसूदपुर के विस्तार के निर्माण के लिए लगभग 90 प्रतिशत भूमि आर डी 63350 से लेकर आर डी 84000 तक विभाग के नाम पर खरीदी जा चुकी है और विभाग के नाम पंजीकृत है। शेष 10 प्रतिशत की व्यवस्था हरियाणा भूमि एकीकरण (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2017, धारा (4) और (5) के तहत की जा रही है और यह प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने उपरान्त इस नहर का निर्माण कार्य अप्रैल 2021 से शुरू होने की संभावना है।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर 90 प्रतिशत किसान अपनी जमीन की रजिस्ट्री सरकार के नाम करवा देंगे तो सरकार इन किसानों को उनकी पूरी पेमैंट कर देगी लेकिन अभी तक सरकार ने उन किसानों को कोई पेमैंट नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि मेहरबानी करके किसानों की पूरी पेमैंट दे दी जाये। किसी कारणवश जिन इक्का–दुक्का किसानों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो वे भी अपनी रजिस्ट्री पूरी करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस इलाके की यह लाइफ–लाइन है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में चर्चा की थी कि जिन किसानों की पेमैंट बकाया है उनको जल्दी ही पेमैंट कर दी जायेगी और बाकी भूमि भी ले ली जायेगी ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जा सके।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

.....

@ Reply given by the Agriculture Minister

To Protect Stray Cows

***652. Smt. Renu Bala** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the steps the taken by the Government to protect the stray cows in State?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : The Government is committed to provide shelter to stray cattle in the state and has taken several measures towards this direction. The following steps have been taken by the Government to protect the stray Cows in the State:-

(i) Government has initiated the process of setting up of Gaushalas, Cattle pound and Cow Abhyaran in the State.

(ii) All the Deputy Commissioners have been instructed to get the Gau Ghar and Cattle pounds constructed in the villages as per provision under section 21 (XXVI) of Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

(iii) A provision has been made in the Punjab Village Common Lands (Regulations) Rules, 1964 for lease of Shamilat Lands for setting up of Gaushalas in rural areas.

(iv) Urban Local Bodies Department at various places have given land and other infrastructure facilities like sheds, Buildings, Tractor & Ambulances etc to the Local NGOs/Gaushalas/Cow welfare socities/Nandishalas/Social organizations to setup and run the Gaushalas/Nandishalas.

(v) Urban Local Bodies Department in the state of Haryana is catching the stray cows by themselves or through agencies hired by municipalities and putting them into the Gaushalas/Nandishalas which are being run with the help of aid provided by Municipalities/General Public/NGOs/other social organizations.

(vi) Urban Local Bodies Department is providing aid to the Gaushalas/Nandishalas run by various social organizations/NGOs for fodder, water arrangement, electricity etc.

(vii) Haryana Gau-Sewa Aayog is also providing feed and fodder based on laid norms to Gaushalas in the state. For this purpose The Aayog has provided grant in aid to Gaushalas amounting to Rs. 852.15 Lacs during the year 2020-21.

(viii) There are 541 (Registered) Gaushalas affiliated with Gaushala Sangh in the state and 83 Gaushalas are un-registered in the state where stary cows are kept.

श्रीमती रेणु बाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2019 में आखिरी मानसून सत्र में 10 विधेयक पारित किए थे। उन विधेयकों में से एक ''दि हरियाणा गोवंश संरक्षण एण्ड गोसंवर्धन (अमैंडमैंट) बिल, 2019'' पेश किया गया था। जिसके तहत गौवंशज की रक्षा के लिए संरक्षण केन्द्र स्थापित करने थे। वैसे तो यह पूरे हरियाणा की समस्या है लेकिन खासकर के मैं अपने हल्का सढौरा की बात करूंगी और वहां से मुझे लोगों की शिकायतें भी आये दिन सुनने को मिलती है कि आवारा पशुओं और गाय सड़कों के बीचों बीच घूमते रहते हैं जिसके कारण आये दिन सड़कों पर एक्सीडैंट्स भी होते रहते हैं। अभी हाल ही में मेरे हल्का सढौरा के गांव में आवारा पशु घूम रहे थे तो उसकी वजह से वहां पर एक रोड एक्सीडैंट हो गया था, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे हल्का सढौरा के गांव मलिकपुर बांगर में 400 एकड़ पंचायती भूमि एक्वायर करके गौ–शैल्टर बनाने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मेरे हल्का सढौरा के गांव में गौ–शैल्टर कब तक बनाया जायेगा?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने सवाल पूछा था कि आवारा पशुओं के लिए सरकार ने क्या सुविधा की है तो मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में 441 रजिस्टर्ड गौशालाएं है और 83 अन–रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। इसके साथ ही साथ हमारी अर्बन लोकल बॉडीज ने भी हिसार के अन्य स्थानों पर अलग–अलग ऐसे शैल्टर्ज बनायें हैं। हमारी सरकार में ऐसा भी पहली बार हुआ है कि मनरेगा के तहत गांव दर गांव जिन गरीब आदमियों के पास अपने पशुओं को शैल्टर के अंदर रखने की जगह नहीं थी, उनके लिए घरों के अंदर शैल्टर्ज बनाने का काम किया गया है। हमारी सरकार ने पिछले इस कोविड–19 महामारी पीरियड के दौरान ऐसे हजारों एनीमल शैल्टर गरीब आदमियों के घर के अंदर भी बनाने का काम किया है ताकि गरीब आदमी के पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। जहां तक लैंड एक्विजिशन की बात है। सरकार द्वारा ई–भूमि पर मांग रखी गई है। अगर पंचायत भूमि दे देती है तो सरकार उसको परमिट देने का भी काम करती है और इन गौशालाओं को आगे भी चलाने के लिए सरकार द्वारा एक कमेटी सरपंचों की, ग्राम सचिवों की, पंचों की, एस.सी. पंचों की, गांव के मौजिज व्यक्तियों की और नम्बरदारों की गठित की

जायेगी। अगर गांव में यह कमेटी मिलकर गौशाला बनाने और चलाने का काम करना चाहें तो सरकार उनको पूरा सहयोग देगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रदेश में गौ सेवा आयोग को भी स्थापित करने का काम करेगी।

श्रीमती रेणु बाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह बात पूछना चाहती हूं कि हल्का साढौरा के गांव मलिकपुर बांगर में 400 एकड़ पंचायती जमीन को एक्वॉयर करके गोशाला बनाने की बात कही गई थी वहां पर गोशाला कब तक बन जायेगी?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्या ने बात रखी मैं उस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। मगर जिस भूमि की बात माननीय सदस्या कर रही हैं वह लो–लाईंग एरिया है जिस कारण वहां पर बड़ी मात्रा में पानी खड़ा रहता है। मैं उसकी फिजीबिलिटी रिपोर्ट को दोबारा से मंगवा लेता हूं। इस भूमि को एक्वॉयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पंचायत ने सरकार को यह भूमि ऑफर की थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके माननीय सदस्या को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आवारा पशुओं से जो हरियाणा प्रदेश में एक्सीडैंट्स होते हैं उनकी रोकथाम के लिए सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मेरे सोनीपत विधान सभा क्षेत्र में सोनीपत शहर में जितनी भी मुख्य सड़कें हैं उन पर दिन रात सैंकड़ों की संख्या में आवारा पशु बैठे रहते हैं जिनके कारण आये दिन 3–4 एक्सीडैंट्स होते ही रहते हैं। इस आशय के समाचार बराबर आते ही रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी, आप अपना स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछें।

श्री सुरेन्द्र पंवार : स्पीकर सर, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि शहरों में आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से कार्य किये जा रहे हैं?

श्री दुष्यंत चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो सवाल उठाया है वह अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट से सम्बंधित है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट से तैयार करवा लेता हूं। उसमें इसका भी उल्लेख होगा कि अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट द्वारा शहरों के अंदर स्ट्रे कैटल्ज को रोकने के लिए

क्या–क्या कदम उठाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक–दो एग्जॉम्पल दे देता हूं। म्युनिसिपल कारपोरेशन, हिसार द्वारा हिसार के अंदर गांव डंडूर में 50 एकड़ जमीन गवर्नमैंट लाईव स्टॉक फार्म की ली गई है। इसी प्रकार से पानीपत में गांव नैन के अंदर गोसेवा आयोग द्वारा दो बड़े गौ बाड़े बनाये जाने का कार्य चल रहा है। जहां तक म्युनिसिपल कारपोरेशन, सोनीपत के पास लैण्ड है और म्युनिसिपल कारपोरेशन, सोनीपत यह चाहता है कि वहां पर गौ बाड़ा बनाया जाये तो उसके ऊपर भी सरकार के स्तर पर विचार कर लिया जायेगा।

.....

To Upgrade The PHC

***576. Smt. Naina Singh Chautla :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Primary Health Centre Badhra as a Sub-Division level Hospital; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

Health Minister (Shri Anil Vij) : No, Sir.

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को यह कहना चाहती हूं कि बाढड़ा हल्का 115 गांवों का बहुत बड़ा हल्का है। मैं वहां पर बार–बार सी.एच.सी. की मांग करती हूं। यह मांग मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर वहां पर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको इलाज के लिए दादरी जाना पड़ता है या फिर भिवानी जाना पड़ता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि दादरी तो नानी हो गई और भिवानी दादी हो गई और जो मां है (बाढड़ा) वह बिलकुल खाली बैठी है। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से बार–बार यही निवेदन है कि वे बाढड़ा की पी.एच.सी. को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाकर इस मां को कुछ दे दें और नानी दादी से पीछा छुड़वा दें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही अनुरोध है कि बाढड़ा के पी.एच.सी. सैंटर को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करके सी.एच.सी. बना दिया जाये और वहां पर सारी की सारी फैसीलिटीज उपलब्ध करवाई जायें। वहां पर व्हीकल्ज की ओवर लोडिंग की समस्या के कारण सड़कों की बहुत बुरी हालत है जिसके कारण ज्यादातर मरीज तो दादरी या भिवानी जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। प्रैगनैंट लेडीज को भी अनेक परेशानियों का सामना करते हुए दादरी और भिवानी जाना पड़ता है।

Shri Anil Vij: Speaker Sir, as per population norms a PHC caters population of 30,000 and CHC is established in an area with population of 1,20,000. Sir, we are bound by the criteria set up by the Government. But, anyhow, I listened to the Hon'ble Member and I will order my Department to reconsider for setting up a CHC there.

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से सिर्फ आश्वासन नहीं चाहती मैं तो उनसे बार–बार यही आग्रह करूंगी कि एक महीने के अंदर बाढड़ा की पी. एच.सी. को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाकर सी.एच.सी. के स्तर की सभी सुविधायें उपलब्ध करवा दी जायें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यही बताना चाहूंगा कि मैं एक महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट मंगवा लूंगा।

.....

To Construct Kaluana Kharif Channel

***557. Shri Amit Sihag :** Will the Chief Minister be Pleased to state whether there is any Proposal under consideration of the Government to state the construction of Kaluana Kharif Channel whose foundation was laid on 16 February, 2014 if so the time by which it is likely to be constructed?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, विस्तृत परीक्षण के उपरांत यह प्रस्ताव संभव नहीं पाया गया है।

श्री अमित सिहाग: अध्यक्ष महोदय, 16 फरवरी, 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पूरी फिजिबिलिटी को चैक करवाकर कालुआना खरीफ चैनल की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल देकर आधारशिला रखी थी। उसके बाद जमीन अधिग्रहण के लिए सैक्शन 4 और सैक्शन 6 के नोटिस जारी किये गये थे। उसके बाद इसके लिए 36 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस चैनल की फिजिबिलिटी नहीं बनती है या किसी दूसरे कारण से यह चैनल फिजिबल नहीं है?

.....

@ Reply given by the Agriculture Minister

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, कल भी इस क्षेत्र में एक नहर बनाने का प्रस्ताव आया था। इस नहर के न बनने का सिर्फ एक ही कारण है कि वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है। वहां पर सिर्फ 15 दिन पानी उपलब्ध रहता है। पहले से जो माईनर और नहर बनी हुई हैं उनमें भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आये तब भी हमने इसको सी.एम. अनाउंसमैंट में शामिल किया था लेकिन जब विभाग से इसकी जांच रिपोर्ट मंगवाई तो विभाग का कहना था कि वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है। जब पानी ही उपलब्ध नहीं है तो नहर बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के बाद पानी उपलब्ध न होने की बात कह कर कालुआना खरीफ चैनल को कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद 3 नये चैनल वर्तमान सरकार द्वारा इसी नदी से पानी की सुविधा देने के लिए मंजूर करवाये गये हैं। इनमें धिकतानिया खरीफ चैनल, मंगाला एक्सटैन्शन माईनर और भम्बूर माईनर हैं। मेरा कहना यह है कि ठीक है उन लोगों को पानी की सुविधा देने के लिए ये माईनर्स भी जरूर बननी चाहिएं, लेकिन मेरा अनुरोध सिर्फ यह है कि कालुआना खरीफ चैनल को बनाने के लिए भी पुनर्विचार किया जाये। उन माईनर्स के लिए तो अभी तक सरकार भूमि अधिग्रहण भी नहीं कर पाई जबकि कालुआना खरीफ चैनल के लिए तो जमीन का भी अधिग्रहण किया हुआ है इसलिए वहां के लोगों को पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए इस चैनल को बनाने पर विचार किया जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को बनाने के लिए दोबारा से विचार किया जाये। जहां तक पानी की कमी की बात की जा रही है तो यहां पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, मैंने पिछली बार भी हाउस में कहा था कि ओटू रिजरवायर की खुदाई करवा कर इन नहरों की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। जब कैपेसिटी बढ़ जायेगी तो कालुआना खरीफ चैनल को बनाने के लिए भी पानी उपलब्ध हो जायेगा।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी गई थी, पैसा मंजूर नहीं किया गया था।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसके लिए राशि मंजूर की गई थी।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सी.एम. अनाउंसमैंट में शामिल करने के बाद हमने इसकी फिजिबिलिटी चैक करवाई थी। वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है। वहां पर केवल 15 दिन ही पानी उपलब्ध रहता है, इसलिए कालुआना खरीफ चैनल के लिए पैसा लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर कालुआना खरीफ चैनल के लिए उस जगह पर पानी उपलब्ध नहीं था तो उसी क्षेत्र में तीन दूसरे चैनल निकालने के लिए पानी कहां से उपलब्ध हो गया? सरकार ने उसी क्षेत्र में तीन दूसरे चैनल बनाने की मंजूरी प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कालुआना खरीफ चैनल को बनाने के लिए भी दोबारा से विचार करें तथा वहां के लोगों को भी पानी की सुविधा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस भर्ती में ई.डब्ल्यू.एस. के लिए जो अपर ऐज रिलैक्सेशन दी है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके लिए मैं उनसे मिला भी था। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने जो एक साल पहले पुलिस की भर्ती की थी उसको भी दोबारा री–एडवरटाईज करवा दीजिए ताकि जो युवा पहले इससे वंचित रह गये थे उनको भी फायदा मिल सके और साथ ही साथ जो दूसरी नौकरियां हैं उनके अन्दर भी ये एज–रिलैक्सेशन का प्रावधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

———————

11:00 बजे

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, हमें तो बोलने का मौका दिया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : मामन खान जी, आप तो पढ़े–लिखे हैं। आपने रूल में पढ़ा होगा जिसमें क्वेश्चन ऑवर का एक घण्टा लिखा हुआ है और उसमें 20 प्रश्न लिखे हुए हैं। उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है और अब वह समय खत्म हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Construct a Four Lane Road

***631. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a four lane road from Ladwa to Yamunanagar up to Mamdi Jodiyan?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Shift Village Khukhrana

***694. Shri Balbir Singh :** Will the Power Minister be pleased to state the steps taken by the Government to shift the village Khukhrana of Israna Assembly Constituency togetherwith the time by which it is likely to be shifted?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान, खुखराना गांव की आबादी को शोदापुर गांव में स्थानांतरित करने के लिए आवार्ड दिनांक 25.09.2012 के तहत राजस्व विभाग द्वारा 39 एकड़ 5 कनाल 18 मरला भूमि को अधिग्रहण किया गया था। भूमि के आवंटन की ड्रॉ प्रकिया 04.09.2018 को पूर्ण हो चुकी है। विकास कार्यों का संचालन विकास और पंचायत विभाग हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। खुखराना गांव को स्थानांतरित करने के लिए विकास कार्य जैसे जनरल चौपाल का निर्माण, 3 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, बाल्मिकि चौपाल का निर्माण, हरिजन चौपाल का निर्माण, कश्यप चौपाल का निर्माण, पार्क का निर्माण और शमशान शेड का निर्माण प्रगति पर है और 31.03.2021 तक पूरा हो जायेगा। शेष निर्माण कार्य जैसे उप–स्वास्थय केन्द्र का निर्माण, पशु हस्पताल का निर्माण, सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, सड़कों का निर्माण और अन्य संबंधित कार्यों का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति के बाद 11 महीनों के भीतर पूरा हो जायेगा।

.....

Policy for Drought and Water Logging Effected Areas

***703. Shri Jogi Ram Sihag :** Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) the policies of the Government for drought and water logging effected areas in State; and

(b) the budget allocated for Barwala Assembly Constituency under the above mentioned policies ?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) :

(क) महोदय, मानसून की शुरुआत में देरी, बुवाई/रोपाई के बाद दीर्घकालिक सूखा, मानसून की जल्दी वापसी यानी राज्य में सूखे जैसी स्थिति के लिए फसलों की बिजाई के लिए प्रासंगिक योजना है। जल–ग्रस्त तथा लवणीय भूमि, जहां पानी का जल स्तर सतह से 1.5 मीटर तक या नीचे है, का सुधार परियोजना आधार पर किया जाता है।

(ख) महोदय, बरवाला विधानसभा क्षेत्र के गाँव ढाणी रायपुर में 300 एकड़ जल–ग्रस्त तथा लवणीय भूमि के सुधार के लिए 22.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

.....

Details of Water Tanks Under Ranneywell Project

***551. Shri Mamman Khan :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the village wise details of water tanks in Block Nagina under Ranneywell Project togetherwith the details of water tanks which are not functional; and

(b) the number of villages in Block Nagina and Ferozepur Jhirka of District Nuh where the water supply pipelines have been laid down by the Government togetherwith the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी,

(क) विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

अनुलग्नक – क

(अ) रेनीवेल परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक नगीना में पानी के टैंको का गांव–वार ब्यौरा तथा कार्य न कर रहे पानी के टैंकों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रं सं0	गांव का नाम	रेनीवेल परियोजना के अंतर्गत गांव में बनाए गए पानी के टैंकों की क्षमता (किलो लीटर में)	कॉलम '3' में दर्शाए गए पानी के टैंकों के अंतर्गत गांवों की संख्या	पानी के टैंक जो कि कालॅम '3' में दर्शाए गए हैं, वह कार्यरत हैं या नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
नगीना ब्लॉक					
1	नांगल शाहपुर	100	1	कार्यरत नहीं है	पहले भूमिगत पानी के टैंक से पानी दिया जा रहा था। जल वितरण प्रणाली नहीं बिछाई गई थी। जल वितरण प्रणाली का कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत करवाया जाएगा।
2	उमरा	100	1	कार्यरत है	पहले भूमिगत पानी के टैंक से पानी दिया जा रहा था। जल वितरण प्रणाली नहीं बिछाई गई थी। जल वितरण प्रणाली का कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत करवाया जाएगा।
		100		कार्यरत नहीं है	
		100		कार्यरत नहीं है	पहले भूमिगत पानी के टैंक से पानी दिया जा रहा था। जल वितरण प्रणाली नहीं बिछाई गई थी। जल वितरण प्रणाली का कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत करवाया जाएगा।
3	दानिबास	100	1	कार्यरत नहीं है	पहले भूमिगत पानी के टैंक से पानी दिया जा रहा था। जल वितरण प्रणाली नहीं बिछाई गई थी। जल वितरण प्रणाली का कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत करवाया जाएगा।
4	प्रतापबास	100	2	कार्यरत है	प्रतापबास में निमार्णित पानी के टैंक से गांव प्रतापबास व

क्रं सं0	गांव का नाम	रेनीवेल परियोजना के अंतर्गत गांव में बनाए गए पानी के टैंकों की क्षमता (किलो लीटर में)	कॉलम '3' में दर्शाए गए पानी के टैंकों के अंतर्गत गांवों की संख्या	पानी के टैंक जो कि कालॅम '3' में दर्शाए गए हैं, वह कार्यरत हैं या नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
					जाजूका (ब्लॉक नूंह) दोंनों गांवों की पेयजल आपूर्ति की जा रही है।
5	गोहाना	100	1	कार्यरत है	——
		100			——
6	गंडूरी	100	1	कार्यरत है	गांव में पेयजल के सुधार के लिए मेन पाईप लाईन से पानी के कनैक्शन काटे जा रहे है।
7	अकलीमपुर फिरोजपुर	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
8	अकलीमपुर नूंह	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
9	असीसका	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
10	अटेरना शमसाबाद	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
11	बदरपुर	70	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
		100			
12	बलाई	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
		75			

क्रं सं0	गांव का नाम	रेनीवेल परियोजना के अंतर्गत गांव में बनाए गए पानी के टैंकों की क्षमता (किलो लीटर में)	कॉलम '3' में दर्शाए गए पानी के टैंकों के अंतर्गत गांवों की संख्या	पानी के टैंक जो कि कालॅम '3' में दर्शाए गए हैं, वह कार्यरत हैं या नहीं	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
13	बनारसी	100 100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
14	बाजिदपुर	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
15	भादस	150 75 100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
16	बुखारका	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
17	फिरोजपुर डहर	75	1	कार्यरत नहीं है	पहले भूमिगत पानी के टैंक से पानी दिया जा रहा था। जल वितरण प्रणाली नहीं बिछाई गई थी। जल वितरण प्रणाली का कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत करवाया जाएगा।
18	हसनपुर नूंह	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
19	हुहुका	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
20	ईमाम नगर	75 75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया

क्रं सं0	गांव का नाम	रेनीवेल परियोजना के अंतर्गत गांव में बनाए गए पानी के टैंकों की क्षमता (किलो लीटर में)	कॉलम '3' में दर्शाए गए पानी के टैंकों के अंतर्गत गांवों की संख्या	पानी के टैंक जो कि कालॅम '3' में दर्शाए गए हैं, वह कार्यरत हैं या नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
					जा रहा है।
21	जैताका	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
22	जलालपुर फिरोजपुर	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
23	जलालपुर नूंह	-	-	——	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
24	जरगली	-	-	——	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
25	करहेड़ी	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
26	खान मोहम्मदपुर	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
27	खानपुर नूंह	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
28	खेरली नूंह	-	-	——	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।

क्रं सं0	गांव का नाम	रेनीवेल परियोजना के अंतर्गत गांव में बनाए गए पानी के टैंकों की क्षमता (किलो लीटर में)	कॉलम '3' में दर्शाए गए पानी के टैंकों के अंतर्गत गांवों की संख्या	पानी के टैंक जो कि कालॅम '3' में दर्शाए गए हैं, वह कार्यरत हैं या नहीं	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
29	खुशपुरी	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
30	कुलताजपुर कलां	-	-	——	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
31	मढ़ी	300	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
32	महू	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
33	मरोरा	100 100 75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
34	मोहम्मद नगर	75 75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
35	नगीना	100 100 300 75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
		75		कार्यरत नहीं है	पहले भूमिगत पानी के टैंक से पानी दिया जा रहा था। जल वितरण प्रणाली नहीं बिछाई गई थी। जल वितरण प्रणाली का कार्य जल जीवन

क्रं सं0	गांव का नाम	रेनीवेल परियोजना के अंतर्गत गांव में बनाए गए पानी के टैंकों की क्षमता (किलो लीटर में)	कॉलम '3' में दर्शाए गए पानी के टैंकों के अंतर्गत गांवों की संख्या	पानी के टैंक जो कि कालॅम '3' में दर्शाए गए हैं, वह कार्यरत हैं या नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
					मिशन के अन्तर्गत करवाया जाएगा।
36	नाई नंगला	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
37	पिथपुरी	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
38	रजाका	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
39	सरल	75	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
40	शादीपुर	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
41	सुखपुरी	80	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
42	सुल्तानपुर नूंह	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया जा रहा है।
43	उमरी	100	1	कार्यरत है	यह गांव क्षेत्र के अंतिम छौर में पड़ता है। रैनीवेल पर आधारित एक अनुमान बनाया

क्रं सं0	गांव का नाम	रेनीवेल परियोजना के अंतर्गत गांव में बनाए गए पानी के टैंकों की क्षमता (किलो लीटर में)	कॉलम '3' में दर्शाए गए पानी के टैंकों के अंतर्गत गांवों की संख्या	पानी के टैंक जो कि कालॅम '3' में दर्शाए गए हैं, वह कार्यरत हैं या नहीं	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					जा रहा है।

<u>अनुलग्नक – ख</u>

(अ) जिला नूंह के ब्लॉक नगीना तथा फिरोजपुर झिरका के उन गांवों का ब्यौरा जहां सरकार द्वारा जलापूर्ति की पाईप लाईनें बिछाई गई हैं :–

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**
नगीना ब्लॉक				
1	नांगल शाहपुर	-	2000	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
2	उमरा	3025	2135	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
3	दानिबास	1018	500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
4	प्रताप बास	1486	1110	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				प्रावधान किया गया है।
5	गोहाना	2296	1360	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
6	गंडूरी	2170	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
7	कंसाली	1750	2200	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
8	मुलथान	1900	4000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
9	नोटकी	1320	2700	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
10	गुमत बिहारी	1250	1500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
11	फकरपुर खोरी	770	1800	कुछ हिस्सों में जल

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
12	संतावारी	1400	3800	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
13	नांगल मुबारिकपुर	1800	4200	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
14	नांगल साबत	450	1600	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
15	सिसवाना जाटका	1800	2600	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
16	माण्डी खेड़ा	1500	4000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
17	घागस	2600	4500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
18	ढ़ाणी शाहपुर	400	400	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
19	करहेड़ा	2000	4200	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
20	उलेटा	1900	4400	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस का प्रावधान किया गया है।
21	खेरली कलां	1200	3800	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
22	अकलीमपुर फिरोजपुर	-	1651	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
23	अकलीमपुर नूंह	-	2705	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
24	असीसका	-	998	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
25	अटेरना शमसाबाद	-	6362	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
26	बदरपुर	2087	2033	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
27	बलाई	835	3339	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
28	बनारसी	3935	5559	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
29	बाजिदपुर	950	2110	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
30	भादस	12050	2000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
31	बुखारका	1297	4160	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				प्रावधान किया गया है।
32	फिरोजपुर डहर	758	1657	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
33	हसनपुर नूंह	-	3045	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
34	हुहुका	-	1900	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
35	ईमामनगर	2863	2141	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
36	जैताका	737	2190	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
37	जलालपुर फिरोजपुर	-	7862	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
38	जलालपुर नूंह	115	1009	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
39	जरगली	1031	1397	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
40	करहेड़ी	3031	1105	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
41	खान मोहम्मदपुर	-	2650	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
42	खानपुर नूंह	705	3520	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
43	खेरली नूंह	-	3249	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
44	खुशपुरी	-	4177	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
45	कुल्ताजपुर कलां	-	2153	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
46	मढ़ी	1530	3571	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
47	महू	-	1924	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
48	मरोरा	5642	7450	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
49	मोहम्मद नगर	2231	200	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
50	नगीना	11734	2634	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
51	नाई नंगला	3063	3063	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
52	पिथोरपुरी	1530	1258	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
53	रजाका	1391	3035	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
54	सरल	1580	2961	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
55	शादीपुर	1580	550	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
56	सुखपुरी	-	1950	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
57	सुल्तानपुर नूंह	1550	3137	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
58	उमरी	-	2210	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
फिरोजपुर झिरका ब्लॉक				
1	बडेड	2150	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
2	डोंडल	-	3500	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
3	महू	300	3152	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
4	शेखपुर	410	2000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
5	गुज्जर नंगला	770	1200	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
6	घटवासन	230	1500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
7	मोहम्मदबास बुचाका	660	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
8	बाईखेड़ा	260	3000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
9	बाहरीपुर	530	1652	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
10	फिरोजपुर रूरल (ठेकरी और गयासीन बास)	2100	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
11	नावली	200	2229	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
12	रंगाला राजपुर	1290	2000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
13	चक रंगाला	150	2500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
14	पोल	100	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
15	धमाला	400	1050	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
16	अहमदबास	1020	2100	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
17	पाडला शाहपुर	460	2800	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
18	सुलेला	-	1500	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
19	राजोली	850	700	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
20	रनियाला फिरोजपुर	980	1500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
21	नंगली	420	1400	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
22	रनियाली	340	1510	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
23	हमजापुर	620	2410	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
24	डुगरी	190	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
25	खेरला खुर्द	-	2000	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
26	नहारीका	720	2000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
27	रावा	1040	2200	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
28	बघोला	1200	4300	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
29	मदापुर	620	1100	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
30	चीतोरा	1390	1400	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
31	हिरवारी	700	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
32	बामनठेरी	1000	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
33	अलीपुर टिगरा	2100	3500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
34	अखनाका	160	2500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
35	घाटा शमसाबाद	1270	2000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
36	बसई मेव	2550	2600	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
37	रिगड़	500	3000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
38	कामेडा	970	2000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
39	बिलकपुर	150	500	कुछ हिस्सों में जल

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
40	सिदरावत	570	1500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
41	दोहा	2430	5000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
42	सकरपुरी	830	500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
43	मुन्डका (ढ़ाणी)	1100	1624	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
44	खेरला कलां	640	1500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
45	शाहपुर	350	1500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
46	बाडोपुर	570	1000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
47	भकरोजी	660	4500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
48	भोण्ड	1410	2500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
49	डाडोली खुर्द	830	573	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
50	हसनपुर बिलोंडा	870	1500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
51	पथराली	410	3000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
52	इब्राहिम बास	870	1700	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
53	बेरियाबास	530	1650	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
54	समीर बास	520	1800	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
55	अगोन	2880	2800	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
56	कोल गांव	2310	3500	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
57	पठखोरी	2520	5800	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
58	रावली	1770	2980	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
59	पट्टन उदेपुरी	1020	2000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
60	माहोली	1240	3000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
61	सोहलपुर	830	615	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
62	नसीरबास	840	1200	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
63	मोहम्मद बास	860	1700	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका

क्र0 सं0	गांव का नाम	गांव में मौजूद जल वितरण प्रणाली की लम्बाई (मीटर में)	शेष बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
				प्रावधान किया गया है।
64	खेरली खुर्द	350	1600	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
65	साकरस	4000	27725	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
66	चंदराका	-	3250	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
67	तिगांव	220	3666	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
68	बीवन	3000	21000	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
69	ढ़ाणी दोरखी			
70	ढ़ाणी मौनीयाबास			
71	ढ़ाणी फोंडबास			
72	लुहींगा खुर्द	2200	3520	कुछ हिस्सों में जल वितरण प्रणाली है। शेष जल वितरण प्रणाली के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
73	जेताका	-	4638	जल वितरण प्रणाली नहीं है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया है।

To Upgrade Civil Hospital

***595. Shri Surender Panwar :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 200 Beds Civil Hospital of Sonepat upto 300 Beds; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Illegal Possession of Panchayat land

160. **Shri Bishan Lal Saini** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact a sweeper namely Sh. Shishpal S/o Sh. Lal Singh and two other persons with the support of Sarpanch and D.D.P.O Yamunanagar has occupied the Panchayat land bearing Khasra No.68 in village Rapdi of Block Radaur of Radaur Assembly Constituency ;

(b) whether it is also a fact that a case had been registered against the said employee for illegal possession of said land in Jathlana Police Station; and

(c) if so, whether any grant to construct the Ambedkar Bhawan on the said land has been released to the Sarpanch by the Government together with the action taken by the Government in the said matter?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) :श्रीमान जी,

(क) ग्राम पंचायत रपडी की शामलात भूमि खसरा नं0 68 पर श्री शीशपाल पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी ग्राम पंचायत रपडी का कोई नाजायज कब्जा नहीं है बल्कि इनके पिता श्री लाल सिंह पुत्र श्री मौखा राम द्वारा मकान बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है। श्री शीशपाल अपने पिता श्री लाल सिंह से अलग रहता है तथा राशन कार्ड भी अलग है। श्री लाल सिंह पुत्र श्री मौखा राम, निवासी ग्राम पंचायत रपडी द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ में सिविल याचिका नं0 19245 ऑफ 2017 दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त केस में दिनांक 08.09.2017 को निम्न आदेश पारित किये है:–

"Relies upon the resolution passed by the Gram Panchayat on 12.06.2017 (P-9) and contends that the petitioner fulfills the requisite conditions as contemplated under Rule 12 (4) of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, as applicable to the State of Haryana, and is willing to deposit the market price of the land under his possession, as may be assessed by the Collector.

Notice of motion for 10.01.2018.

Meanwhile, the Deputy Commissioner-cum-Collector, Yamuna Nagar is directed to assess the market price of the land measuring 3 marla where the petitioner has constructed his house and apprise this Court on the next date of hearing. Till then status-quo re: demolition and further construction be maintained."

उक्त सिविल याचिका माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दिनांक 16.12.2020 को सुनवाई के लिये निश्चित है।

(ख) श्री शीशपाल पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी ग्राम पंचायत रपडी, श्रीमती बबली पत्नी श्री शीशपाल, श्री जगमाल, श्रीमती स्वाति देवी पत्नि श्री जगमाल के विरूद्व जठलाना थाना में मुकदमा नं0 65 दिनांक 09.06.2017 के तहत केस दर्ज किया गया था।

(ग) ग्राम पंचायत रपडी को अम्बेडकर भवन बनाने के लिये सी0एम0 घोषणा नं0 24218 के तहत दिनांक 08.03.2019 को मु0 16,54,000/– रूपये की राशि स्वीकृत हुई थी। ग्राम पंचायत द्वारा अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य उक्त खसरा नम्बर (68) पर ही करवाया जा रहा है और यह कार्य प्रगति पर है। खसरा नं0 68 का कुल रकबा 15 मरले है, जिसमें पंचायत द्वारा 12 मरला पर से नाजायज कब्जा छुडवाकर अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। शेष भूमि पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ द्वारा नाजायज कब्जा छुडवाने बारे स्थगन आदेश पारित किये हुये है।

.....

To Start Construction Work

151. Shri Neeraj Sharma : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that as per Chief Minister announcement no. 11102 the work of Rawan Temple to Nangla road to Atal Chowk Nangla Enclave Part-1 in Ward No.-9 of N.I.T. Faridabad

has not been started so far; if so, the time by which the said work is likely to be completed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमानजी, नगर निगम, फरीदाबाद ने प्रस्तुत किया है कि उक्त सड़क के निर्माण का कार्य अनुबंद एजेन्सी को कार्य आदेश दिनांक 12.09.2019 के माध्यम से आबंटित किया गया है जिसकी समय पूरा होने की अवधि आठ माह है। एन.जी.टी./जी.आर.ए.पी. के निर्देशों और बाद में कोविड–19 लॉकडाउन के कारण इय कार्य को शुरू नहीं किया गया जा सका। नगर निगम, फरीदाबाद ने प्रस्तुत किया है कि इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करवाकर पूर्ण करवा दिया जाएगा।

.....

To appoint Teaching Staff

169. Shri Deepak Mangla : Will the Medical Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of the building of GNM training school and Nursing Hostel has been completed in district Palwal but due non availability of teaching staff the nursing classes have not been stared so far; if so, the time by which the teaching staff is likely to be appointed in above said school together with the details thereof?

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री अनिल विज) : नर्सिंग कालेज पलवल के लिए शिक्षण व गैर शिक्षण अमला स्वीकृत करवाने के लिए मामला विचाराधीन है। शैक्षणिक सत्र 2021–22 से आरम्भ होने की संभावना है।

.....

To Upgrade the Sports stadium

141. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Sports Stadium in village Jhojhu Kalan of Badhra Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized?

खेल एवं युवा मामले संबंधी राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। गांव झोंझू कलां में पहले से ही राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर निर्मित है।

.....

Details of Roads

161. Shri Bishan Lal Saini : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a road has been constructed from Matka Chowk to S.D School in the Municipal Corporation, Yamunanagar;

(b) whether it is also a fact that as per the estimate the construction of the above said road was to be made with the Fiori machine; and

(c) whether Fiori machine was used in construction of above said road?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हां, श्रीमान जी। (ख) नही, श्रीमान जी।

(ग) हां, श्रीमान जी फियोरी मशीन का उपयोग उक्त वर्णित सड़क के कुछ हिस्सों में किया गया तांकि काम में तेजी लाई जा सके क्योकि उक्त सड़क के पर तीन स्कूल पड़ते हैं। नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी द्वारा फियोरी मशीन के उपयोग करने के लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया गया। कनक्रीट मिक्स सामग्री के वितरण में तेजी लाने के लिए फियोरी मशीन का उपयोग किया गया।

.....

Construction of Road

152. Shri Neeraj Sharma : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that the Saran School road in N.I.T Faridabad is in very bad condition; if so, the time by which the said road is likely to be repaired constructed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : हाँ श्रीमान जी। नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा उक्त कार्य का अनुमान 59.76 लाख रुपये की लागत से मुख्यमंत्री घोषणा नंबर 25284 के तहत तैयार किया गया है। उक्त कार्य का और निविदाएं आमंत्रित करने के बाद कार्य जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा।

.....

To Open a Government ITI

142 Smt. Naina Singh Chautala : Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open any Government Industrial training Institute in village Chiriya of Badhra Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the said Institution is likely to be opened ?

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (पंडित मूल चंद शर्मा) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

.....

To Complete the Work of Sewerage Line

153. Shri Neeraj Sharma : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which the work of sewerage line of Bhatiwali Pocket, Subhash chowk and Nangla Part-II in Ward No.-9 of N.I.T. Faridabad Assembly Constituency is likely to be completed as per the Chief Minister announcement no. 20969?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, नगर निगम फरीदाबाद द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या नंबर 20969 के अन्तर्गत उक्त कार्य की 41.88 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्य के लिए धन राशि दिनांक 25.09.2020 को आंबटित की गई। ई–निविदाएं आमंत्रित करने के बाद जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा।

.....

Compensation to the Farmers

143. Shri Naina Singh Chautala : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the time by which the compensation is likely to be given to the farmers who have cultivated tomatoes under the Bhawantar Bharpayi Yojna in Badhra Assembly Constituency togetherwith the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : वर्ष 2019–20 में भावान्तर भरपाई योजना के तहत बाढ़डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी टमाटर

किसान प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है। जबकि वर्ष 2018–19 में इस योजना के तहत 70 हजार 16 रूपये टमाटर किसानों को बाढ़डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिये गये।

.....

To Complete the Construction Work

154. Shri Neeraj Sharma : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which the construction work of RCC rivulet on both the side from Saran School to Kurukshetra School in Ward No. 7 of N.I.T. Faridabad Assembly Constituency is likely to be completed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमानजी, नगर निगम फरीदाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कार्य प्रगति पर है और 20% पूरा हो चुका है। यह कार्य जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा।

.....

To Construct Water Courses By Pipe Line

144 Smt. Naina Singh Choutala : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that open water courses are not constructed due to the sand dunes in many areas of Badhra Assembly constituency.

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct water course by using the pipeline in order to supply water up to the tail in the said areas; and

(c) if so, the time by which the work on said proposal is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हॉ, श्रीमान जी ।

(क) यह कहना सही नहीं है कि बाढ़डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में खुले खालों का निर्माण रेत के टीलों के कारण नहीं किया गया है, वास्तव में इसके लिए ग्रामीणों / शेयरधारकों की कोई मांग नहीं है।

(ख) बाढ़डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेयरधारकों की ऐसी कोई मांग नहीं है तथा मांग आने पर इस बारे तकनीकी व्यवहार्यता के बाद विचार किया जाएगा।

(ग) मांग/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऐसे खालों का निर्माण किया जा सकता है।

हरियाणा विधान सभा के सदस्य को जन्मदिन की शुभकामनाएँ

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज श्री कमल गुप्ता विधायक जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत–बहुत हार्दिक बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्ज्वल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करता है।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो शुभ आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं और रिटर्न गिफ्ट के रूप में मैं भी वेदों की इन ऋचाओं के माध्यम से आप सभी के जीवन की मंगल कामना करता हूं।

> 'पश्येम् शरदं शतं, जीवेम् शरदं शतं, श्रृणुयाम् शरदं शत्, प्रब्रवाम् शरदं शतं, अदीनाः स्याम् शरदं शतं, भूयश्च् शरदं शतं।'
>
> आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद।

———————

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्यों की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

गैर सरकारी प्रस्ताव का मामला उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक से लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के खरखौदा (सोनीपत) और पानीपत के समालखा तथा फतेहाबाद में स्थित शराब के गोदामों में शराब की तस्करी के बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–17 जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक सप्लीमैंट्री पूछ सकती हैं। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–38 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा ही दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दी गई है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव संख्या–3 जो कि श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक तथा 7 अन्य विधायकों, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री भारत भूषण बतरा, श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री आफताब अहमद, श्री कुलदीप वत्स, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री शीश पाल सिंह द्वारा दिया गया है, मैंने उसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–45 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री

सुरेन्द्र पंवार, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी तथा अन्य दो हस्ताक्षरी भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

अब अभय सिंह चौटाला, विधायक अपना नोटिस पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जो नॉन ओफिशियल रैजोल्यूशन दिया गया है, आप हमें उसका फेट बतायें। अध्यक्ष महोदय, यह तीनों कृषि कानून किसानों को उजाड़ने के लिए बनाये गए हैं और इन कानूनों को बनाकर पूंजीपतियों के हाथ में किसानों की गर्दन पकड़ा दी गई है। आज देश का किसान उजड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे द्वारा दिए गए रैजोल्यूशन को मंजूर किया जाये।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, कल एक सहमति बनी थी एक रैजोल्यूशन सरकार की तरफ से पेश होगा और एक रैजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश होगा और उन पर चर्चा कर ली जायेगी। सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ऑफिशियल रैजोल्यूशन आने वाला है। अतः कादियान जी एक बार उस रैजोल्यूशन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपका विषय भी देख लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से एक रैजोल्यूशन के अतिरिक्त, शॉर्ट डयूरेशन नोटिस भी दिया गया है और यह नोटिस 24 घंटे वाली शर्त को भी पूरा करता है। अतः आपको विषय की गम्भीरता को देखते हुए इन्हें मंजूर करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मैं फिर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जहां तक शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस की बात है, इसके संदर्भ में भी कल यह निर्णय लिया गया था कि इस पर आज के दिन चर्चा की जायेगी लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से भी उसी सेम सब्जैक्ट पर रैजोल्यूशन लाया जा रहा है अतः अब पहले सरकार के रैजोल्यूशन पर चर्चा की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 171 को पढ़कर बताना पढ़ेगा। नियम 171 कहता है कि :–

> "171. A member other than a Minister who wishes to move resolution shall give not less than fifteen clear days' notice of his intention and shall submit, together with the notice, the text of the resolution which he wishes to move:"

अध्यक्ष महोदय, अब आपके सामने सब कुछ क्लीयर हो गया है। अब आपको हमारे रैजोल्यूशन व शार्ट ड्यूरेशन नोटिस को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः देखिए, आपके द्वारा दिया गया रैजोल्यूशन व शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस दोनों नांमजूर हो चुके हैं और सरकार द्वारा जो रैजोल्यूशन लाया जा रहा है उसको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियमों के तहत सरकार कभी भी ला सकती है और मैंने इस रैजोल्यूशन को स्वीकार कर लिया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप एक मटके में दो पेट नहीं बना सकते? हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप विपक्ष के रैजोल्यूशन को नामंजूर कर रहे हैं और सरकार के रैजोल्यूशन को स्वीकार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे रैजोल्यूशन को स्वीकार किया जाता तो उस पर ट्रेजरी बेंचिज के सदस्य भी बोल सकते थे, चर्चा में भाग लेकर अपनी बात रख सकते थे लेकिन आप द्वारा इन्हें नामंजूर करना ठीक बात नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कादियान जी को बताना चाहूंगा कि कल हुड्डा साहब के साथ चर्चा में एक सहमति बनी थी कि विपक्ष की तरफ से भी एक रैजोल्यूशन आ जायेगा और एक रैजोल्यूशन सरकार की तरफ से आयेगा और उन पर चर्चा होगी। अतः जिस विषय पर सहमति बन चुकी हो उस विषय को बार–बार उठाना ठीक नहीं है। इससे सदन का समय खराब होता है। अतः अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा कर ली जाये उसके बाद इस विषय को देखते हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से एग्री हूँ लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब हमारे रैजोल्यूशन को टर्न डाउन करके शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में बदल दिया गया है तो क्या यह ठीक नहीं होता कि बजाय शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर चर्चा कराकर हमारे रैजोल्यूशन पर ही चर्चा करा ली जाती?

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप जो नॉन–ऑफिशियल रैजोल्यूशन की बार–बार बात कर रहे हैं वह रिजैक्ट हो चुका है। (विघ्न) अब इस विषय पर बार–बार बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हमें यह बताया जाये कि किस ग्राउण्ड पर हमारा नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन रिजैक्ट हुआ है।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आपको रैजोल्यूशन सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले देना चाहिए था। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमारा रैजोल्यूशन ऑफिशियल तरीके से रिजैक्ट कीजिए, ताकि यह ऑन दि रिकॉर्ड सदन के पटल पर आ जाये। (विघ्न) मेरे पास तो आपकी तरफ से रिजैक्शन की कोई भी जानकारी नहीं आई है। (विघ्न) जिस तरह से मेरे दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रिजैक्ट किए गए हैं और उनकी जानकारी मुझे दी गई है उसी तरह से मुझे इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बहन किरण जी, फाइल के ऊपर रिजैक्शन के ऑर्डर हो चुके हैं और उसकी फोटो कॉपी आपको बाद में मिल जायेगी। (विघ्न) बहन जी, जब कल इस संबंध में एनाउंसमैंट हो गई थी तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका रैजोल्यूशन रिजैक्ट हो गया है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप एक बार फिर से रिजैक्शन की एनाउंसमैंट कर दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बहन जी, दोबारा से एनाउंसमैंट करने का क्या मतलब है। जब रिजैक्ट ही हो गया तो बार–बार एनउंसमैंट करने का आपका मकसद क्या है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने किस ग्राउण्ड के तहत इसे रिजैक्ट किया है? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बहन जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि रैजोल्यूशन सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले देना होता है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रैजोल्यूशन सत्र के दौरान किसी भी समय दिया जा सकता है। (विघ्न) Resolution can be brought on the floor of the House any time.

श्री अध्यक्षः बहन जी, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम–171 में साफ–साफ लिखा है कि–

> "171. A member other than a Minister who wishes to move resolution shall give not less than fifteen clear days' notice of his intention and shall submit, together with the notice, the text of the resolution which he wishes to move:"

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह रैजोल्यूशन 15 दिन से पहले से ही आपके पास भेजा हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बहन जी, आपके द्वारा दिए गए रैजोल्यूशन की डेट 2 नवम्बर, 2020 है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री बलराज कुण्डूः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जो तीन अध्यादेश (1) अत्यावश्यक वस्तु अध्यादेश, 2020 (2) एफ.पी.टी.सी. (द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स) प्रोमोशन एंड फेसिलिएशन अध्यादेश, 2020 तथा (3) एफ. ए.पी.ए.एफ.एस. (फार्मर एम्पावरमैंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमैंट ऑन प्राइस इश्युरेंस एंड फार्म सर्विसज) अध्यादेश, 2020 पारित किए, के बारे में अपना एक कालिंग अटैंशन मोशन 15 दिन पहले आपके कार्यालय को भेजा हुआ है। कृपया करके उसका फेट बताएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कुण्डू साहब, ठीक है आपका कालिंग अटैंशन मोशन पहले आया था लेकिन उस समय वह तीनों कृषि अध्यादेशों के संबंध में था, लेकिन अब वे कृषि अध्यादेश कानून का रूप ले चुके हैं, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। (विघ्न) अब आपके द्वारा दिया गया कालिंग अटैंशन मोशन रिजैक्ट हो गया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह कह दें कि हमारे द्वारा दिए गए तीन प्राईवेट मैम्बर बिल्ज के संबंध में दिए गए रैजोल्यूशन को रिजैक्ट कर दिया गया है और सरकार कृषि कानून के समर्थन में रैजोल्यूशन लेकर आ रही है। (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जो कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था आज उससे ज्यादा इम्पोर्टैंट इशू कोई नहीं है । मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार कीजिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलराज कुण्डू जी, आपने हमें जो कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था वह कॉलिंग अटैंशन मोशन रिजैक्ट हो चुका है । (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करवाते ? उपाध्यक्ष महोदय श्री रणबीर गंगवा जी ने मुझे 26.08.2020 को कहा था कि इस सैशन की अगली सिटिंग में इस विषय पर चर्चा करवाई जाएगी । (विघ्न)

(इस समय श्री बलराज कुंडू सदन की वैल में आकर अध्यक्ष महोदय से अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करवाने के लिए तर्क–वितर्क करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष : बलराज कुण्डू जी, आप पहले अपनी सीट पर जाएं और वहां से ही बैठकर चर्चा कीजिए । (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा करवाइये । इससे महत्वपूर्ण विषय आज कोई भी नहीं है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलराज कुण्डू जी, हम इस पर चर्चा करवायेंगे लेकिन पहले आप अपनी सीट पर जाइये । (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा करके उस पर वोटिंग करवाइये । मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वैस्ट करता हूं । हमें अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना है । आप बताइये कि अगर आप इस पर सदन में आज चर्चा नहीं करवायेंगे तो हम अपने क्षेत्र की जनता को क्या जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बलराज कुण्डू जी, आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये । (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, आपने सभी माननीय सदस्यों की सीटों पर प्लास्टिक शील्ड लगाई हुई है । इसकी वजह से हमें न तो कुछ दिखता है और न ही कुछ सुनता है ।

श्री अध्यक्ष : बलराज कुण्डू जी, अन्य सभी माननीय सदस्यों को सब कुछ दिख और सुन रहा है । केवल आपको ही कुछ दिख और सुन नहीं रहा है । आपकी दी हुई सी.ए. रिजैक्ट हो चुकी है और इस पर कल बात भी हो चुकी है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सोनीपत और पानीपत दोनों शहरों में अनेक लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुके हैं । कल सोनीपत में 27 और पानीपत में 7 लोगों की मृत्यु हुई है । इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं । हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों ने आपको इस बारे में कॉलिंग अटैंशन नोटिस दिया हुआ है । आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, मेरे पास यह कॉलिंग अटैंशन मोशन आई थी लेकिन नियम के मुताबिक एक दिन में केवल एक कॉलिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा करवाई जा सकती है । इसके बावजूद मैंने अपनी पावर यूज करते हुए आपके लिए 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज को अलाउ कर दिया था लेकिन 3 कॉलिंग अटैंशन मोशंज स्वयं स्पीकर भी अलाउ नहीं कर सकता । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब आप 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज को अलाउ कर सकते हो तो 3 कॉलिंग अटैंशन मोशंज को भी अलाउ कर सकते हो । कल सोनीपत में जहरीली शराब पीने से 27 और पानीपत में 7 लोगों की मृत्यु हुई है और यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण विषयों पर कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए गए हैं, हमें उनका फेट बताया जाए ।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की सदन में बहस करने की कोई तैयारी नहीं है । इन्होंने कल भी कॉलिंग अटैंशन मोशन पर एक घंटा खराब कर दिया था और आज भी ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) अगर इनके मन में किसानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है और इनके पास कोई विषय है तो इनको इस कॉलिंग अटैंशन मोशन को कम्पलीट करके किसान की बात करनी चाहिए लेकिन ये उससे बचना चाह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित अनेक सदस्य वैल में आ गये और अध्यक्ष महोदय से तर्क–वितर्क करने लगे ।)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं। एक दिन में 2 से ज्यादा कॉलिंग अटैंशन मोशंज नहीं लाये जा सकते।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से जो पी.टी.आई. टीचर्ज से संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया गया था, उसके फेट के बारे में बता दें।

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, आप तो कानून के ज्ञाता है। आपको पता है कि सदन कानून/नियमों से चलता है। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, आप इस आउस के कस्टोडियन हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताए कि जो पी.टी.आई. टीचर्ज हटाये गये हैं, क्या उनको वापिस नौकरी पर रखा जाएगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, मैं आपको रूल्ज पढ़कर बता देता हूं।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, सरकार को पी.टी.आई. टीचर्ज के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत लम्बे समय तक राज किया है। ये बता दें कि इनके समय में एक दिन में कितने कालिंग अटैंशन मोशंज लाये गये हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, आपने पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए कहा था, फिर शराब के मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए कह रहे थे और अब पी.टी.आई. टीचर्ज के विषय पर चर्चा करवाने के लिए कह रहे हैं। जब मैं इस विषय पर चर्चा करवाने के लिए कहूंगा तो आप दूसरे विषय पर चर्चा करवाने के लिए कहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) जो पाप इनकी सरकार के समय में हुआ है, ये उसके बारे में जबाव हमारी सरकार से ले रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार को उन पी.टी.आई. टीचर्ज को नौकरी पर वापिस लेना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ग्रुप डी के कर्मचारियों का बुरा हाल कर दिया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। अगर आपके पास कोई मुद्दा है तो उसके बारे में बता दें। आप कभी ग्रुप डी के कर्मचारियों की बात करते हैं, कभी पी.टी.आई. टीचर्ज की बात करते हैं और कभी शराब के मुद्दे पर चर्चा करवाने की बात करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सदन में चर्चा करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पी.टी.आई. टीचर्ज और शराब के अलावा दूसरे मुद्दे भी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार किसानों के मुद्दे को कोई मुद्दा नहीं मानती है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इलियास जी, मैं तो किसानों के मुद्दे पर चर्चा करवाना चाहता हूं, परन्तु आप इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी अपनी बात रखना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ये दोनों मुद्दे ही बहुत गम्भीर हैं। इनमें एक पी.टी.आई. टीचर्ज का मामला है और दूसरा हूच ट्रैजडी का मामला है। जिसके कारण 27 लोगों की मौत हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जो मुद्दा चर्चा करने के लिए तय किया गया था, आप उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अलग मुद्दों पर चर्चा करवाने के लिए कह रहे हैं। कल तय हुआ था कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, परन्तु आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा करवाएंगे तो आप पी.टी.आई. टीचर्ज के मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए कहेंगे और हम पी.टी.आई. टीचर्ज के मुद्दे पर चर्चा करवाएंगे तो आप शराब के मुद्दे पर चर्चा करवाने की बात करेंगे। अगर हम शराब के मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए कहेंगे तो आप ग्रूप डी के कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए कहेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप जो मुद्दा तय किया गया है, उसके ऊपर ही चर्चा करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, क्या आप पी.टी.आई. टीचर्ज के मुद्दे को मुद्दा नहीं समझते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप संबंधित मुद्दे पर ही चर्चा कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, आपने जो निश्चित एजेंडा तय किया है, उसमें 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज हैं। इसके बाद जो चर्चा किसानों के मुद्दे पर करनी है, वह प्रस्ताव के माध्यम से हो जाएगी। जिसके बारे में कल भी बात हुई थी। हमने तो एक पेज का प्रस्ताव रखना है। बाकी जो चर्चा करवानी है, उसमें आप एक घंटा या आधा घंटा चर्चा करवाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय ये अपनी सारी बातें कह लेंगे। उसके बाद इनके जो मुद्दे हैं, उनको ये प्रश्न के रूप में उठाते जाएंगे। हम उनका जबाव देते जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, फिर आप ही बतायें कि किसके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होती है? सभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा ही भेजे जाते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजें हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री कुलदीप वत्स, विधायक, श्रीमती शंकुतला खटक, विधायक और श्री शीश पाल सिंह, विधायक आदि। ये सभी विपक्षी पार्टी के ही सदस्य हैं? (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने दूसरी विपक्षी पार्टी के सदस्य द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ क्यों क्लब कर दिए?

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये सभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो आपकी पार्टी के सदस्यों द्वारा ही भेजे गये हैं। जहां तक दूसरी पार्टी के सदस्य का सवाल है तो मैं इस बारे में भी बता देना चाहूंगा कि इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विषय समान होने के कारण क्लब किया गया हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। (विघ्न) ये सभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने ही भेजे हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एडमिट किए हैं उनमें सबसे ऊपर श्री अभय सिंह चौटाला जी का नाम लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे पास जिस पार्टी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सबसे पहले आयेगा, उसी पार्टी के सदस्य का नाम पहले लिखा जायेगा। इस महान सदन की परम्परा के अनुसार ही यह किया गया है। ऐसी और कोई बात नहीं है। प्लीज आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक–आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं लेकिन आप इन पर भी और हमारे द्वारा दिए गए गैर सरकारी प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं करवाने चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया था। अब आप प्लीज बैठ जायें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे द्वारा दिए गए गैर सरकारी प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को एडमिट नहीं करते हैं तो हम उसके विरोध में सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य उनके द्वारा दिए गैर सरकारी प्रस्ताव और विभिन्न विषयों पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार न किए जाने के विरोध में सदन से वॉक–आउट कर गये।)

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़े।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने कृषि से संबंधित जो तीन बिल पास किए हैं। मैंने उनके खिलाफ एक काम रोको प्रस्ताव दे रखा है। आज भी आपने मुझे इस काम रोको प्रस्ताव के बारे नहीं बताया है। उसका क्या फेट है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आज का जो विषय है वह कल तय हो गया था कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों बारे रैजोल्यूशन पर आज दिनांक 06.11.2020 को चर्चा होगी। इस बारे में आपका जो काम रोको प्रस्ताव आया है वह मुझे दिनांक 06.11.2020 को सुबह 8.19 बजे मिला है इसलिए वह विचाराधीन है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सत्र का आज अंतिम दिन है तो फिर मेरे काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कब करवाई जायेगी? काम रोको प्रस्ताव का मतलब यह है कि जैसे ही प्रश्न काल समाप्त होता है, उसके तुरन्त बाद ही काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाती है या फिर इसको डिसअलाउ कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, फैसला तो आपने ही करना है इसलिए आप यह बतायें कि मैंने जो काम रोको प्रस्ताव दे रखा है उसका फेट क्या है। आज सदन में इस काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल रैजोल्यूशन पहले ही आ चुका है इसलिए पहले इस पर सदन में चर्चा करवाई जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह ऑफिशियल रैजोल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का है?

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑफिशियल रैजोल्यूशन है वह केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि बिलों पर आधारित है और उनका सब्जैक्ट भी सेम है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, उसमें एक फर्क है। सरकार की तरफ से इस विषय पर प्रस्ताव आया है। मैंने प्रस्ताव नहीं दिया बल्कि मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। आप उसके ऊपर मुझे अपने फैसले के बारे में बतायें।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इस विषय पर आपके द्वारा दिए गए काम रोको प्रस्ताव को डिसअलाउ कर दिया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इसका मतलब तो यही हुआ कि सरकार को प्रदेश के किसानों की कोई चिंता नहीं है क्योंकि अगर प्रदेश सरकार को प्रदेश के किसानों की चिंता होती तो मेरे काम रोको प्रस्ताव को डिसअलाउ नहीं किया जाता बल्कि उसके ऊपर चर्चा करवाई जाती।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब यह प्रस्ताव सदन में रखेंगे उस समय आपको उसके ऊपर चर्चा करने का मौका मिलेगा आप उस समय अपनी बात कहना। मैं आपको बोलने के लिए पर्याप्त समय दूंगा। सरकार इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इस पर चर्चा कब करवाई जायेगी?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इस प्रस्ताव पर आज ही चर्चा करवाई जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस इशू पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में मिले हुए हैं। इस प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट है वह कांग्रेस के शासन काल के दौरान ही बनाया गया था।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इस सम्बन्ध में यहां पर पूरी चर्चा करवाई जायेगी लेकिन फिलहाल आपने जो प्रदेश में शराब के घोटाले वाला कालिंग अटैंशन मोशन दिया है आप उसे पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, उसे तो पढ़ूंगा ही लेकिन उससे पहले मुझे यह बताया जाये कि जो मैंने एडजर्नमैंट मोशन दिया है क्या वह महत्वपूर्ण नहीं है? मुझे यह भी बताया जाये कि क्या आपने मेरे एडजर्नमैंट मोशन को कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट कर दिया? किसान से सम्बंधित जो तीन बिल हैं उनके ऊपर चर्चा करवाने के लिए मैंने परसों भी एक प्राईवेट मैम्बर बिल दिया था उसके ऊपर भी आपने मुझे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। आज भी आप मुझे कोई स्पष्ट और संतुष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं कि सदन में एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन इन्हीं तीन बिलों के ऊपर आ चुका है। सब्जैक्ट एक है और जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिसाईड कर चुके हैं कि हमने चर्चा करनी है इसलिए हमने आपके एडजर्नमैंट मोशन को रिजैक्ट किया है। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

(i) राज्य में खरखौदा (सोनीपत), समालखा (पानीपत) तथा फतेहाबाद के शराब गोदामों में शराब तस्करी से सम्बंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक से लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के खरखौदा (सोनीपत) और पानीपत के समालखा तथा फतेहाबाद में स्थित शराब के गोदामों में शराब की तस्करी के बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–17 जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक सप्लीमैंटरी पूछ सकती हैं। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–38 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा ही दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दी गई है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव संख्या–2 जो कि श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक तथा 7 अन्य विधायकों, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री भारत भूषण बतरा, श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री आफताब अहमद, श्री कुलदीप वत्स, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री शीश पाल सिंह द्वारा दिया गया है। मैंने उसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–45 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दिया गया

है। श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी तथा अन्य दो हस्ताक्षरी भी इस पर सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

अभय सिंह जी, अब आप कृपा करके अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं लॉक–डाउन के दौरान प्रदेश में हुए शराब घोटाले बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि लॉक–डाउन के दौरान प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ था जिसकी जांच प्रदेश की सरकार ने सीबीआई व एसआईटी से न करवाकर एसईटी से करवाई और एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट विजीलैंस ब्यूरो से जांच करवाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि एस.ई.टी. की रिपोर्ट में गृह विभाग व आबकारी एवं कराधान विभाग के उपर गम्भीर टिप्पणी की गई थी। एस.ई.टी. द्वारा पूरे प्रदेश के अन्दर शराब घोटाले की जांच न किए जाने की वजह से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के अन्दर हुए शराब घोटाले दब गए हैं। उदारहण के तौर पर अम्बाला डिस्टलरी की जांच की अनुमति एस.ई.टी. को आबकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई जो स्पष्ट इशारा करती है कि सरकार इस घोटाले की जांच को लेकर गम्भीर नहीं है। इसके साथ–साथ गृहमंत्री जी के आदेश के बाद एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो पुलिस विभाग की लापरवाही, मिलिभगत व अनियमितता की जांच करेगी। अभी तक इस कमेटी द्वारा की जाने वाली जांच के तथ्य भी सामने नहीं आए हैं। विजीलैंस ब्यूरो की जांच भी शराब घोटाले को लेकर बहुत ही धीमी गति से हो रही है। विजीलैंस ब्यूरो की जांच भी शराब घोटाले को लेकर बहुत ही धीमी गति से हो रही है जिसकी वजह से शराब के तस्करों के हौंसले बुलन्द बने हुए हैं तथा कानून का डर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भी अवैध शराब की तस्करी हो रही है। रोहतक में 40 हजार लीटर लाहन शराब पकड़ी गई जो यू.पी. और राजस्थान जानी थी, यमुनानगर के एक रिहायशी इलाके में एक अवैध शराब की फैक्टरी पकड़ी, रादौर में 700 पेटी नकली शराब पकड़ी तथा महम से 300 पेटियां नकली शराब की पकड़ी गई, फरीदाबाद में 900 पेटियां देशी शराब की पकड़ी गई। इसके अलावा हरियाणा निर्मित 1500 शराब की पेटियां आई.एम. एफ.एल., जयपुर में पकड़ी गई। हिसार में अग्रेंजी शराब की 781 शराब की पेटियां पकड़ी गई जिन पर हरियाणा का मार्का लगा हुआ था। अम्बाला स्थित एन.वी. डिस्टलरी की संलिप्तता प्रदेश व प्रदेश से बाहर हो रही शराब की तस्करी में पाई

गई है और उक्त डिस्टलरी को एस.ई.टी. की जांच के दायरे में भी नहीं लाया गया था। शराब घोटाला व शराब की तस्करी को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती। इस गंभीर समस्या को लेकर आम जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व आक्रोश व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 के द्वारा, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक राज्य में हुए शराब घोटाले बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती हैं कि लोक डाउन के दौरान शराब घोटाले की खबरें निरंतर रूप से समाचार पत्रों में आती रही है। यह घोटाला उस समय हुआ जब राज्य के सभी शराब के ठेके एवं डिस्टलरियां बंद पड़ी थी। पर यह फिर भी संभव हो गया कि इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रूपयों का गबन शराब की तस्करी द्वारा संभव हुआ। सरकार के राजस्व में शराब के तस्करों एक्साईज विभाग के अफसरों कर्मचारियों और पुलिस विभाग की मिलीभगत ने इसे अंजाम दिया। वास्तविकता यह है कि जब 31 मार्च को शराब के ठेकेदारों का कार्यकाल समाप्त हो गया था तो कथित दोषियों द्वारा शराब की कंपनियों से मिलीभगत करके निरंतर अवैध शराब निकलती रही।

सरकार द्वारा जो एस.आई.टी. ने रिपोर्ट प्रस्तुत की क्या उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि कितनी मात्रा में कहां–कहां से किस–किस डिस्टलरी से कितनी शराब की मात्रा निकली है और वह केवल और केवल निजी हितों ने अपना हित साधते हुए हजारों करोड़ों का चूना राजस्व का लगाया।

वह सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से यह आग्रह करती हैं कि सरकार पर दबाव डालते हुए स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार विस्तृत रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें और दोषियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करते हुए उन्हें दंड दिलवाएं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में हुए शराब घोटाले बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ था जिसकी जांच प्रदेश की सरकार ने सीबीआई व एस.आई.टी. से न करवाकर एस.ई.टी. से करवाई और एस.ई.टी. की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट विजिलेंस ब्यूरों से जांच करवाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि एस.ई.टी. की रिपार्ट में गृह विभाग व आबकारी एवं कराधान विभाग के ऊपर गम्भीर टिप्पणी की गई थी। एस.ई.टी. की द्वारा पूरे प्रदेश के अन्दर शराब घोटाले की जांच न किए जाने की वजह से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के अन्दर हुए शराब घोटाले दब गए हैं। उदाहरण के तौर पर अम्बाला डिस्टलरी की जांच की अनुमति एस.ई.टी. को आबकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई जो स्पष्ट इशारा करती है कि सरकार इस घोटाले की जांच को लेकर गम्भीर नहीं है। इसके साथ–साथ गृह मंत्री जी के आदेश के बाद एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो पुलिस विभाग की लापरवाही, मिलीभगत व अनियमितता की जांच करेगी। अभी तक इस कमेटी द्वारा की जाने वाली जांच के तथ्य भी सामने नहीं आए हैं। विजिलैंस ब्यूरो की जांच भी शराब घोटाले को लेकर बहुत ही धीमी गति से हो रही है जिसकी वजह से शराब के तस्करों के हौंसले बुलंद बने हुए हैं तथा कानून का डर कही दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह के कारण प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भी अवैध शराब की तस्करी हो रही है। रोहतक में 40 हजार लीटर लाहन शराब पकड़ी जो यूपी और राजस्थान जानी थी, यमुनानगर के एक रिहायशी इलाके में एक अवैध शराब की फैक्टरी पकड़ी, रादौर में 700 पेटी नकली शराब पकड़ी तथा महम से 300 पेटियां नकली शराब की पकड़ी, फरीदाबाद में 900 पेटियां देशी शराब की पकड़ी गई। इसके अलावा हरियाणा निर्मित 1500 शराब की पेटियां आई.एम.एफ.एल., जयपुर में पकड़ी गई। हिसार में अंग्रेजी शराब की 781 शराब की पेटियां पकड़ी गई जिन पर हरियाणा का मार्का लगा हुआ था। अम्बाला स्थित एन.वी डिस्टलरी की संलिप्तता प्रदेश व प्रदेश से बाहर हो रही शराब की तस्करी में पाई गई है और उक्त डिस्टलरी को एस.ई.टी. की जांच के दायरे में भी नहीं लाया गया था। शराब घोटाला व शराब की तस्करी को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती। इस गंभीर समस्या को लेकर आम जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व आक्रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ADJOUNMENT MOTION NO. 3 CONVERTED INTO ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO. 45 CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO. 7

Shri Surender Panwar, MLA, Shri Jagbir Singh Malik, Shri Bharat Bhushan Batra, MLA, Sh. Shamsher Singh Gogi, MLA, Sh. Aftab Ahmed, MLA, Sh. Kuldeep Vats, MLA, Smt. Shakuntla Khatak, MLA and Sh. Shish Pal Singh, MLA want to draw the kind attention of this August House towards a matter of an urgent and great public importance that in the first week of May, major theft of stock from the godown of the Excise and Taxation Department in Kharkhoda in Sonepat District came to light. Around 10,000 cases of IMFL and other liquor bottles were found missing during the lockdown. About 5500 Boxes of liquor which were recovered from smugglers by Police and Excise officials in 14 cases had disappeared from its stock in Sonepat District.

After Kharkhoda in Sonepat and Samalkha in Panipat and Fatehabad and Yamuna Nagar now the seized liquor is found to have been stolen during lockdown in godowns in Rewari and Narnaul Districts as well. According to information 2,000 cases of liquor have been found to be missing from Rewari godown during the counting after lockdown. Similarly, in Narnaul 70 cases have been gone missing after the cops allegedly took with them on the pretext of getting the stock destroyed. Not only this, the Excise Department Officials have issued 426 permits for Covid-19 passes for the movement of trucks on March 26, a day after the Department Officially sealed all the liquor vends as well as the godowns for the purpose of sale and supply of liquor.

Adding more too embarrassment of JJP, former MLA who unsuccessfully contested the last assembly election on JJP ticket Satwinder Rana was arrested from Sector-3 Chandigarh in connection with a liquor theft case from a godown.

Even as the contents of the Report submitted by Special Enquiry Team (SET), which probed the liquor scam, are not yet out, the BJP-JJP

Government trying to suppressing facts and shielding big name. The SET headed by senior bureaucrat submitted its report, which according to sources, is limited to pin-pointing the loopholes in the Excise and Police Department and does not raise any pointing finger at the bigshot, political or otherwise. The present Government has been complicit in the game of suppressing facts related to the liquor scam that took place during the lockdown. The half-baked investigation has only put smaller fries in politicians and senior officials occupying high position in the State Government. The surprising fact is that this SET was neither empowered to hold any investigation under the code of criminal procedure nor did it have any legal validity.

How they can expect a fair investigation on the part of the Government. Do they have any justification about issuance of permits by Excise Officials during lockdown as well as delay in action into theft or mismatch of stocks at Fatehabad, Rewari and Narnaul. How will people trust their investigation when they set up S.E.C. instead of S.I.T. to probe the allegations?

In view of this, they demand that for fair and impartial probe into the liquor scam. The matter may be enquire by Central Agency or a sitting Judge of the Punjab and Haryana High Court as the S.E.C. constituted by the Government is merely an eyewash.

वक्तव्य –

गृह मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखेंगे।

Home Minister (Shri Anil Vij) : Speaker Sir, the matter of theft of Liquor from the recovered stock kept at temporary warehouse at Kharkhoda-Matindoo Road, Sonepat was brought to my notice by DGP himself on 05.05.2020. Where upon, I wrote a note thereby giving directions to the Home Secretary to constitute SIT (Special Investigation Team) comprising of three members a senior IAS officer, one ADGP

rank officer from the Police Department and one senior officer from Excise Department to look into the matter.

1.2. Subsequently, vide Order No. 6/2/2020-2HC dated 11.05.2020, the Home Department, Haryana constituted a Special Enquiry Team (SET), under the Chairmanship of Shri T.C. Gupta, IAS, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Department of Power, Empowerment, Renewable Energy and Housing along with Sh. Subhash Yadav, IPS, Additional Director General Police at State Vigilance Bureau, Gurugram and Sh. Vijay Singh, Additional Excise and Taxation Commissioner as Members to enquire into the matter of theft of liquor from the recovered stock stored in the temporary warehouse at Kharkhoda-Matindoo Road, Sonepat, Haryana and submit its findings to the Government within a period of 20 days positively.

1.3. Then, I had proposed that the Investigating officer/ the investigation team be imparted the powers under Section 32 CrPC to investigate the issue. In this regard the Advocate General opined that Section 32 is generally used to confer powers upon courts and hence it cannot be used. Further, he also opined that SET is fully competent to enquire into the matter.

2.1. The terms of reference of the Special Enquiry Team (SET) were as follows:-

I. The SET will check the actual availability of stocks in all the warehouses/godowns that was sealed by the Excise Department during the last two years for any violation (in other words, the SET will check whether the stock of liquor which was there on the date of sealing is actually available or not).

II. SET will also examine the cases of seizure of illicit/non excise duty paid liquor in Haryana of the period, April 1, 2019 - March 31, 2020 both by the Police and Excise Departments separately with special reference to the action taken and fines imposed by the Excise Department pursuant to the recovery of the liquor.

III. SET will also collect and collate the result of the investigation of the FIRs, registered from 15.03.2020 till 10.05.2020, that have been registered in different parts of the State for pilferage of liquor from L-1 to L-13 godowns and also from the Malkhanas of the Police Stations. The SET was to submit its report by 31.05.2020 positively.

2.2. The SET was given mandate to examine the incidents of liquor theft across the entire state for the period 01.04.2019 to 31.03.2020. This enquiry was not limited to lockdown period only.

2.3. Sh. Muhammad Akil, IPS, ADGP (H.Q.) and Commissioner of Police, Gurugram was appointed as member of the SET subsequent to superannuation of Sh. Subhash Yadav, IPS through an order of the state Govt. dated 30.05.2020. Further, the Governor of Haryana, later extended the term of the Special Enquiry Team by a further period of two months w.e.f. 31.05.2020. The SET submitted its report on 30.07.2020.

3.1. The Special Enquiry Team (SET) after examining the information received from various sources concluded that mainly the liquor reached in the Districts from Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and some distilleries of Haryana. The old stock of previous years was also sold. The liquor stored in the stores constructed near the legal vends also found its way to the consumers. This illegal sale of liquor could be made possible mainly because of the systemic flaws in the functioning of the excise department at least since 2011-2012 and also due to non-implementation of its own instructions, lack of monitoring and in some instances possible collusion, negligence on the part of some police officials as well as excise officials.

3.2 On receipt of the report of SET, the State Govt. took the following decisions.

i. The State Govt. vide letter No. 20/64/2020-3S(I) dated 25.08.2020 directed the State Vigilance Bureau to enquire into the issues relating to huge shortages/ excesses of liquor stocks, physical movement of the stocks during lockdown period, complicity of some excise officials and collusion on the part of some police officers.

ii. The State Govt. directed the Home Department to call for explanation of the then Superintendent of Police, Sonepat and to initiate departmental enquiries against the officers/ officials of the police department mentioned in the reports of SET and thereafter to send action taken report.

iii. While it was decided to call for the explanation of the Excise and Taxation Commissioner, the Excise and Taxation Department was further directed to take action against the officers/ officials involved and also to give periodic reports on the recommendations of SET.

4. As different Departments are involved in the entire issue, separate investigations/ enquiries are being conducted and appropriate coordination is ensured. Based on further investigations actions are being initiated. For example, the accused Ashok Jain was arrested in case FIR no 671 dated 13.10.19 under Section 420,467,468,471,120B IPC and Excise Act at Police Station Samalkha on 19.10.2020.

5. In order to examine the report of SET vis-à-vis the action by police, a committee under the Chairmanship of Smt. Kala Ramchandran, ADGP (H.Q) was constituted on 18.9.2020 to go through the specific instances where in the SET has mentioned any lapse on the part of Police Department in tracing the origin of the liquor by the Police and any other shortcoming. In each such case, it was directed to fix the responsibility for the failure of Investigation Officers in tracing the origin/source of liquor. Further, the State Vigilance Bureau, Panchkula, has registered a regular enquiry No.4 Dt.01.09.2020. After receipt of the

report of State Vigilance Bureau and the committee, further action in the matter will be initiated. I assure this House that no guilty would be spared.

Some important findings of the SET are:-

3.1 The Special Enquiry Team (SET) concluded that smuggling of liquor from neighbouring States specially Punjab through Haryana and illegal sale of liquor has taken place during the lockdown period because of the systematic flaw in the functioning of the Excise Department and also for non-implementation of its own instructions, lack of monitoring and in some cases negligence on the part of some excise officials and police officials. From the statements of various officers of Excise Department and the Police Department, the SET found possibility of lapses on some officers.

On receipt of the report of SET, I wrote a note proposing following actions:-

A Enquiries and disciplinary proceedings against the officers concerned.

B Thorough inquiry and disciplinary action against Mrs. Pratiksha Godara, IPS the then Superintendent of Police.

C Thorough inquiry and disciplinary action against Shri Shekhar Vidyarthi, IAS, Excise & Taxation Commissioner, Haryana.

D Departmental inquiry against other officers/officials of Excise Department and Police Department as per the observation made by the SET lodging of FIR by State Vigilance Bureau and thorough inquiry.

On my recommendation and approval of Hon'ble Chief Minister, explanation of Mrs. Pratiksha Godara, IPS and Shri Shekhar Vidyarthi, IAS was sought through their administrative departments. The SET has not given the exact figures of loss to the Government exchequer and quantum of smuggled/ theft liquor.

After considering the above report, it was decided by the State Govt. that the whole matter be got probed by the State Vigilance Bureau. Accordingly, vide letter No.20/64/2020-3S(I) dated 25.08.2020, the Chief Secretary to Government Haryana, Department of Personnel, directed the Vigilance Department to get the above mentioned issue probed by the State Vigilance Bureau.

In order to examine the report of the SET vis-à-vis action by police, a committee under the Chairmanship of Smt. Kala Ramchandran, ADGP (H.Q.) was constituted by D.G.P., Haryana on dated 18.09.2020 to go through the specific instances where in the SET has mentioned any lapse on the part of Police Department in tracing the origin of the liquor by the Police and any other shortcoming. In each such case, the responsibility for the failure of Investigation Officers in tracing the origin/ source of liquor shall be fixed and was expected to submit its report by 23.10.2020. The report is still awaited. After receipt of the report of State Vigilance Bureau and the committee, further action in the matter will be taken. I assure this House that no guilty would be spared.

Regarding the quantum of liquor recovery from various distilleries and other information demanded by Smt. Kiran Choudhry, Hon'ble MLA is still being found out by the investigating agencies as the reports are still awaited. As two departments are involved in the entire issue, separate investigations/inquiries are being conducted and appropriate coordination is ensured. Based on further investigation, actions are being initiated. For example, the accused Ashok Jain, owner of a distillery was arrested in case FIR No.671 dated 13.10.19 under section 420, 467, 468, 471, 120B IPC and Excise Act at Police Station, Samalkha on 19.10.2020 and he was taken on five days' remand. He was produced in the concerned Court on 24.05.2020 and later was sent to judicial custody.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, गृह मंत्री जी ने इसका जो जवाब दिया है वह तो इन्होंने पहले ही सारा लिख कर दिया हुआ है। इस पर तो इतनी डिटेल में

पढ़कर बताने की जरूरत ही नहीं थी। यह मामला शराब के घोटाले से जुड़ा हुआ है। यह शराब घोटाला कब हुआ उस पीरियड को मंत्री जी ने छोड़ दिया। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें इन्होंने जांच कब से कब तक होगी इस बारे में बताया है। मंत्री जी ने उस जांच का दायरा भी छोटा कर दिया है। मंत्री जी, आपने तो अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का समय रखा है जबकि 24 मार्च 2020 को लॉकडाऊन लगा था। उस समय पूरे देश के अंदर भय का माहौल पैदा हो गया था। पूरी दुनिया में इस महामारी ने अपने पैर फैलाये हुए थे और जब यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड में मरने वालो की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई तो उसके बाद हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। लॉकडाउन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया था। उस कमेटी में कांग्रेस की तरफ से श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा थे। (इस समय श्री उपाध्यक्ष चेयर पर आसीन हुए।) मैं भी इस कमेटी का सदस्य था। इसके साथ–साथ स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा इनकी कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री भी इस कमेटी में शामिल थे। उस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि अगर किसी व्यक्ति को अपने गांव से दूर किसी अन्य जगह/गांव में जाना होता था तो उस व्यक्ति को वहां के एस.डी.एम. या डी.सी. से परमिट लेना पड़ता था। यही नहीं गांव के अंदर ठीकरी पहरे तक लगने शुरू हो गए थे। शहर में लोगों ने अपने आपको घरों में बंद करके लॉक–डाउन कर रखा था। इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो ऐसे हालत में वे गरीब आदमी जो मेहनत–मजदूरी करके अपना पेट भरने का काम करते थे, उनके लिए खाने का प्रबन्ध करने के लिए बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने पहल की और इस नेक काम में प्रशासन ने भी उनकी काफी मदद की थी। इस प्रकार के हालात लाक–डाउन के दौरान बने हुए थे। इस लॉक–डाउन के दौरान प्रदेश में शराब की तस्करी धडल्ले से हुई थी और जब इस बाबत अलग–अलग चैनलों, सोशल मीडिया व अखबारों के माध्यम से यह बात निकलकर आई कि प्रदेश में लॉक–डाउन के दौरान शराब का बहुत बड़ा माफिया पैदा हो गया है तो उस समय हमारी और मुख्यमंत्री जी की इस बारे में बात हुई थी। हुड्डा साहब इस बात के गवाह हैं कि जब हमारी दूसरी मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह बात कही थी कि आज प्रदेश में वित्तीय संकट खड़ा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह चाहते हैं कि प्रदेश में रजिस्ट्रियां और शराब के ठेके खोल दिए जायें। जब

इन दोनों विषयों पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ चर्चा हुई तो हमने कहा था कि रजिस्ट्रियां तो खोल दो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर शराब के ठेके खुल जायेंगे तो फिर इस लॉक–डाउन का कोई महत्व नहीं रह जायेगा और लोग सोशल डिस्टेंस को भूल जायेंगे। इस प्रकार आखिर में शराब के ठेके नहीं खोलने का फैसला हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जजपा का प्रदेश अध्यक्ष बार–बार इस बात की पैरवी कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी अगर प्रस्ताव लाये तो इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए ताकि वित्तीय संकट से उबरने में लाभ मिल जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद शराब का घोटाला हुआ और उस घोटाले की अखबारों में, टी.वी. में तथा सोशल मीडिया के माध्यम से खूब चर्चा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, लॉक–डाउन के दौरान प्रदेश के अंदर सड़कों पर कोई व्हीकल तक नहीं चल रहा था। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हरियाणा प्रदेश की सभी सीमायें सील कर दी गई थी। सड़क पर एक छोटा–मोटा साधन भी नहीं मिलता था। उन दिनों मुझे दो दफा अर्थात एक बार चंडीगढ़ आना पडा था और एक बार मुझे गुड़गांव जाना पड़ा था तो मैं अपने डिप्टी कमिश्नर से परमिट लेकर गया था कि मुझे यहां पर जरूरी काम के लिए जाना है अतः मुझे परमिट दिया जाये। मुझे 24 घंटे का परमिट इस आधार पर दिया गया था कि मैं गंतव्य पर जाकर 24 घंटे में वापिस आकर रिपोर्ट करूंगा। उस वक्त सड़क पर सिवाय पुलिस के और कुछ भी कहीं नहीं दिखाई देता था। उस दौरान बीड़ी–सिगरेट की दुकानें भी खुली हुई नहीं होती थी। हुक्का पीने वालों का तम्बाकु भी खत्म हो गया था लेकिन हरियाणा प्रदेश का कोई गांव, शहर, कस्बा या मोहल्ला ऐसा नहीं था जिसमें धड़ल्ले से शराब न बिकी हो। उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा के शासन काल में शराब माफिया ऐसा खड़ा हुआ है जिसने पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी गोदामों में सरकारी शराब रखी हुई थी, उनको चोरी छिपे मेन गेट से निकालने की बजाय गोदाम की पीछे की खिड़की तोड़ कर निकालने का काम किया है। शराब माफिया ने लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ 20 लाख शराब की बोतल गोदामों से अवैध रूप से निकाली थी। जबकि लॉकडाउन के दौरान हर जगह पुलिस का पहरा लगा हुआ था फिर भी पुलिस और एक्साईज विभाग को इस बात का पता नहीं चला कि गोदामों से सरकारी शराब चोरी हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की रहनुमाई में ही यह काम हो रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बात के लिए और आग्रह किया

था कि हमारे प्रदेश में नशे का प्रकोप ज्यादा हो रहा है और अब लॉकडाउन के दौरान ऐसा समय हमारे पास है जिसमें हम नशे की तस्करी करने वालों को भी पकड़ सकते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई भी एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता था। यहां तक कि कोई रिश्तेदार भी किसी के घर जाता था तो उस गांव के लोग उस रिश्तेदार को बाहर ही रोक लेते थे और उससे पूछताछ करते थे कि कहां से आये हो और किससे मिलना है। जब वह रिश्तेदार कहता था कि मुझे फलां आदमी से मिलना है तो गांव के लोग उस फलां आदमी को बुलाकर उसके सामने खड़ा करके मिलवा देते थे और उसके बाद उस रिश्तेदार को वापिस भेज देते थे कि कहीं कोरोना उनके गांव में न आ जाये। उपाध्यक्ष महोदय, कोरोना तो नहीं आया लेकिन शराब इतनी संख्या में आ गई कि कोई कमी नहीं रही। जो शराब की बोतल 100 रुपये में बिकती थी, उसके दाम 500–500 रुपये कर दिए गये। सरकार कहती है कि लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी में इतने लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई और इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गोदामों से सरकारी शराब की जो चोरी हुई है, क्या उसकी रिकवरी हो गई है? शराब की चोरी करने वाले कितने लोगों से रिकवरी की गई है? उपाध्यक्ष महोदय, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस संबंध में एस.आई.टी. का गठन हुआ था लेकिन बाद में एस.ई.टी. का गठन कर दिया गया। माननीय गृह मंत्री जी भी स्वयं चाहते थे कि एस.आई.टी. का गठन हो लेकिन उसके बाद भी एस.ई.टी. का गठन कर दिया गया, जिसके पास जांच करने के लिए कोई पावर नहीं होती है और न ही वह किसी के पास जाकर जांच कर सकती है। पहला लॉकडाउन के दौरान एक्साईज विभाग ने शराब के ठेकेदारों को 46 परमिट दिये थे। लॉकडाउन के दौरान कोई भी शराब की फैक्ट्री नहीं चल रही थी। शराब की फैक्ट्री के अंदर सैनिटाइजर बनाने की परमीशन दी गई और सैनिटाइजर बनाने की आड़ में ही भाजपा व जजपा सरकार ने 46 परमिट जारी किए और 20 गेट पास दिये। जबकि लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर छोटी–मोटी फैक्ट्रियों से लेकर बड़ी फैक्ट्रियाँ तक सारी की सारी बंद पड़ी हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, समालखा के गोदामों से लगभग 80 प्रतिशत सरकारी शराब की चोरी की गई। इसी तरह से खरखौदा के गोदामों से शराब की चोरी की गई। इस संबंध में भाजपा व जजपा सरकार कहती है कि हमने एस0ई0टी0 का गठन कर दिया है और उसने जांच की

है। जांच के बाद स्टेट विजिलैंस से कहा गया है कि इस संबंध में एफ0आई0आर0 दर्ज की जाये लेकिन हमें पता चला है कि स्टेट विजिलैंस ने भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की और अपनी जांच शुरू कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार द्वारा गठित टीम ने जांच कर दी है तो सरकार को चाहिए कि उसी जांच के आधार पर एफ0आई0आर0 दर्ज करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनसे पूछताछ करें। जिन फैक्ट्रियों से शराब निकली और जिनको गेट पास मिले उनकी शराब निकलकर कहां पर गई? जगह–जगह पुलिस का पहरा होने के बावजूद भी यदि शराब किसी गोदाम, कस्बे, गांव या शहर में जा रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी?उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त पुलिस सोई हुई थी ? उस वक्त पुलिस को दोषियों को पकड़ना चाहिए था । पुलिस ने उस दौरान किसी को नहीं पकड़ा । न तो उनको पुलिस ने पकड़ा और न ही एक्साइज डिपार्टमैंट ने किसी से कुछ पूछा बल्कि उनको खुली छूट दे दी गई कि आप हरियाणा में अपनी मर्जी से दारू लाओ और यहां पर उसको बेचकर अपनी जेब भरने का काम करो । क्या माफिया बिना सरकार की प्रोटैक्शन के ही खड़ा हो गया ? सरकार की प्रोटैक्शन के बिना माफिया खड़ा नहीं हो सकता । माफिया तभी खड़ा होगा जब उसको सरकार प्रोटैक्शन देगी । जहां शराब का कारोबार करने वाले शराब माफिया को आपकी सरकार का प्रोटैक्शन मिला हुआ था वहीं हरियाणा प्रदेश में चिट्टे का काम करने वाले लोगों को भी इस सरकार का प्रोटैक्शन मिला हुआ था । इसी वजह से वे लोग इस काम में लगे हुए हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में जिस एस.ई.टी. का गठन किया गया था उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी तो फिर सरकार को उस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए थी । इसके अलावा अगर सरकार इस मामले में निष्पक्ष है और प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो उसको उसी तरह से कार्य करना चाहिए जिस तरह से सरकार ने एक इंस्पैक्टर की डैथ होने पर उसकी जांच तुरंत सी.बी.आई. को दे दी थी । आज इस हाउस में बैठे हुए लगभग सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि शराब के इस मामले की जांच भी सी.बी.आई. से होनी चाहिए । इसके लिए सदन में सभी माननीय सदस्यों के हाथ खड़े करवाकर भी पूछा जा सकता है कि कितने माननीय सदस्य इस केस की जांच सी.बी.आई. से करवाना चाहते हैं । अगर सरकार प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय को आज सदन में खड़े होकर अनाउंस करना चाहिए कि इस केस की जांच सी.बी.आई. से

करवाई जाएगी । कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में बड़ी दरियादिली दिखाई थी । माननीय सदस्य श्री राम कुमार गौतम द्वारा हाउस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में 5 वर्ष की छूट देने की बात पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तुरंत सदन में अपनी सीट से उठकर हामी भर दी थी । अगर यह सरकार प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो इस केस की जांच सी.बी.आई. से करवानी चाहिए । कल जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की बात चल रही थी तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं थे । आज भी एक व्यक्ति इसी विषय पर मुझसे मिलने के लिए आया था । वह व्यक्ति पहले पिछली सरकार में मंत्री रहे श्री ओम प्रकाश धनखड़ की गाड़ी का ड्राइवर था । उसने सोनीपत में अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी थी । इसके लिए सरकार चाहे डी.सी. सोनीपत से फोन करके पूछ लें, मैंने डी.सी., सोनीपत को फोन करके कहा कि अगर इनके डॉक्यूमैंट्स में कोई कमी है तो बताइये अदरवाइज इनसे रजिस्ट्रेशन फी लेकर आप इनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाइये । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, यह बात तो आपने सदन में कल भी बताई थी । अतः अब आप इस विषय पर बात मत कीजिए ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात सदन में कल नहीं उठाई थी । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को रजिस्ट्री के विषय में ताजा घटना बता रहा हूं । उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैंने रजिस्ट्री करवाने के लिए पूरे पैसे भर रखे हैं लेकिन तहसीलदार मुझसे 160 रूपये प्रति फुट अतिरिक्त राशि मांग रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा ? रजिस्ट्री के लिए तहसीलों में सरेआम पैसे मांगे जा रहे हैं । उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी स्वयं उस तहसीलदार को फोन किया लेकिन उसके बाद भी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने तो शराब घोटाले में अच्छी तरह से जांच करने की कोशिश की थी परंतु इनकी चली नहीं । अगर इनकी चली होती तो यह घोटाला सामने आने के दिन ही इसकी जांच के लिए एस.आई.टी. का गठन होता और उस एस.आई.टी. के पास उस घोटाले से संबंधित सभी व्यक्तियों से पूछताछ करने की ताकत होती । इस मामले में माननीय

गृह मंत्री महोदय की तो कलम चली लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय पता नहीं किस कमजोरी की वजह से हिम्मत नहीं दिखा जाए । जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी कि एस.ई.टी. को इस केस से संबंधित सभी व्यक्तियों से सैक्शन–132 सी.आर.पी.सी. के तहत पूछताछ करने के लिए पावर दे दी जाए तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया और इस मामले पर कानूनी राय लेने के लिए इसको ए.जी. के पास भेज दिया । मेरा कहना है कि ए.जी. तो सरकार की एक एजेंसी है । सरकार

12:00 बजे

ए.जी. के कान में जैसी फूंक मारेगी ए.जी. सरकार के पास वैसा ही लिखकर भेज देगा । मैं माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विवाद के अन्दर आप दोनों के सामने कहीं न कहीं इस गठबंधन की सरकार को लेकर मुसीबतें हैं, इसलिए आप इस मामले को जांच करने के लिए सी.बी.आई. को सौंप दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिन लोगों ने गिरोह खड़े किये हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि कल को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के ऊपर इस बात का आरोप न लगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने आप को सरैंडर कर दिया था।

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात कहने के लिए मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः इलियास जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। श्रीमती किरण चौधरी जी अपनी बात रखेंगी।

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने शराब घोटाले के बारे में सारी स्थिति से अवगत करवाया है। मैं भी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को सुझाव देना चाहूंगा और यह भी कह सकता हूं कि मैं अपनी भावना प्रकट कर रहा हूं। मैं एक रजिस्ट्री के संबंध में एक सप्ताह पहले पुन्हाना तहसील में गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः इलियास जी, यह कॉलिंग अटैंशन मोशन इस विषय पर नहीं है। प्लीज, आप बैठ जाएं। आप जो बात कह रहे है, वह अलग विषय है। रजिस्ट्री से संबंधित विषय पर कल चर्चा हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी अपनी बात रखेंगी।

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा प्रदेश के विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः इलियास जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। मैंने आपको बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः इलियास जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। आप इस विषय पर बाद में चर्चा कर लें। अब माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी अपनी बात रखेंगी।

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पुन्हाना तहसील में अधिकारियों/कर्मचारियों को लगे हुए 10–10 साल हो गये हैं और वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे लोगों को हमारे एरिया से हटवा दें क्योंकि उनको वहां पर कोई डर नहीं है। मेरा सुझाव है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः इलियास जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह बात बिल्कुल सही है। आज भी सरकार द्वारा कहा जाता है कि कोई रिवैन्यू लॉस नहीं हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को दिखाकर एक एकड़ से ज्यादा लैंड की रजिस्ट्री की जा रही हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ई.डी.सी. चार्जिज मिलना चाहिए, वह सरकार के पास नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, आप जो बात कह रही हैं, वह विषय अलग है। जब इस विषय पर चर्चा हो तब आप अपनी बात रख लेना।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूं। वह बात बिल्कुल सही है और सरकार को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने डिटेल में अपनी रिपोर्ट पढ़ी है। मुझे यह अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत से इशूज पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें माननीय मंत्री जी की मंशा पूरी नहीं हो पायी। इनकी नीयत यह थी कि एस.आई.टी. गठित की जाए, परन्तु सरकार ने एस.आई.टी. की जगह पर एस.ई.टी. गठित कर दी और उसका जो दायरा बना, उसको भी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा सके। My sympathies are with Mr. Vij

completely. उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाईम नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ मेरे प्रश्न का जबाव पूछना चाहती हूं। मेरे पास यह इंडियन एक्सप्रैस अखबार की क्लिपिंग है जिसमें "Under Scanner an IAS and an IPS" के बारे में लिखा है। इनके खिलाफ क्या–क्या कार्यवाही हुई, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया। लेकिन वह कार्यवाही अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अखबार वालों ने खुद लिखा है कि:– ETC should have ensured installation of CCTVs and also SoPs for the same जो नहीं किया गया। Despite the provision of CCTV cameras being introduced in the Excise Policy 2011-12. जब मैं एक्साईज मिनिस्टर थी, उस समय हमने यह पॉलिसी इन्ट्रोड्यूस की थी कि सी.सी.टी.वी. कैमराज और होलोग्राम लगेंगे। उसके बावजूद विभाग ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए आप इसके ऊपर संज्ञान लें क्योंकि यह काम ऊपर वाले अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है। दूसरी बात में उन्होंने कहा है कि:– the Excise Department seems to be avoiding streamlining the process by not issuing any guidelines SoPs on the subject. मतलब इसके ऊपर भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक और जगह लिखा है कि:– ETC did not issue written instructions immediately after a decision to close down the liquor vends w.e.f. March 27, 2020 in a video conference meeting held in March 26, 2020 chaired by the Deputy Chief Minister attended by the Principal Secretary Excise & Taxation, Excise and Taxation Commissioner and all DETCs.

परन्तु विभाग की तरफ से इसके ऊपर कोई इन्स्ट्रक्शन इशू नहीं की गई इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि शराब के तस्करों, एक्साइज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों और पुलिस विभाग की मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया गया है। मैं इस महान सदन में बड़े लैवल के अधिकारियों की बात कर रही हूं, कोई छोटे अधिकारियों की बात नहीं कर रही हूं। अभी तक इस मामले पर कोई स्पष्ट नतीजा एस.ई.टी. ने नहीं निकाला है। ETC did not co-operate for the site visit of SET to the distilleries vide communication dated 20.08.2020 stated that the visit to the distillery premises is not covered under the provisions of the Punjab Excise Policy Act. यह सारा का सारा मामला तय शुदा तरीके से किया गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि एस.पी. प्रतीक्षा गोदारा

के खिलाफ एक्शन लिया है लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार ने कोई कन्कल्यूसिव एक्शन लिया गया है या नहीं है? मैं उस बारे में भी पूछना चाहूंगी कि जो जनरल एफ.आई.आर. रजिस्टर्ड की गई हैं, उनका क्या नतीजा निकला है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगी कि जो बोतलों के ऊपर होलोग्राम लगाये जाते हैं। हमारी सरकार के समय में बोतलों पर होलोग्राम लगाने की पॉलिसी लागू की गई थी ताकि कोई गैर कानूनी तरीके से मद्यशालाओं में शराब न निकाल पायें और हरेक मद्यशाला का एक कोटा होता है जिसे मद्यशालाओं को निर्धारित समय में उस कोटे को पूरा करना होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पिछले 6 वर्षों के बारे में पूछना चाहती हूं कि जो अतिरिक्त आबकारी शुल्क है, वह पहले अमूमन 76 करोड़ रुपये आया करता था और जो इस लॉकडाउन के समय में अमूमन 29 करोड़ रुपये अतिरिक्त आबकारी शुल्क हो गया तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आबकारी विभाग और सरकार का इसमें कितना नुकसान हुआ होगा। यह तो बिल्कुल ही जैसे मैंने कहा black and white है। इसमें कहीं कोई grey matter तो नहीं है। मैं समझती हूं कि काफी दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले पर कोई निश्चित कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अभी हमारे माननीय कुलदीप वत्स जी ने भी एक इशू उठाया था कि उनके जिले में एक कलैक्टर और उनकी माता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं। मैं ये सारी बातें आज सदन पटल पर कह रही हूं। सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? अध्यक्ष महोदय, मैं उस बारे में बताना चाहूंगी कि उस पर कार्रवाई करने की बजाये उसकी वहां से ट्रांसफर कर दी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार ने उनके बैंक अकाउंट्स चैक किये? क्या सरकार को इस बात का पता चला कि उन पर किस बात के आरोप लगाये गये थे? क्या उन पर जो आरोप लगाये गये थे क्या वे सही पाये गये थे? अगर आरोप सही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मुझे इन सब बातों का भी जवाब चाहिए। इसके अलावा मुझे यह भी बताया जाये कि संबंधित अधिकारियों के मोबाइल फोन का डाटा निकाला गया या नहीं? जहां तक मेरी जानकारी है कि एस.ई.टी. का दायरा बहुत बड़ा होता है परन्तु अभी तक एस.ई.टी. के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि 22936 carton liquor stock में भी पूरी हेराफेरी की गई है क्योंकि इस बात का विशेष दल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। विशेष दल जांच को सूचित किया गया कि लॉकडाउन की अवधि में इतने

22936 carton liquor stock की हेराफेरी की गई है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो अवैध शराब के मुकदमें दर्ज किए गए हैं उनमें जो बेचारे वाहन चालक थे उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, जिसकी शराब है, जिन ऑनर्स की गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमें दर्ज किए गए? मैं कहना चाहती हूं कि आखिर उन ड्राइवर्ज की क्या गलती है क्योंकि वे तो एक पेड इम्पलॉईज होते हैं। वह तो सिर्फ किसी की गाड़ी चला रहा है। एक गरीब आदमी के खिलाफ मुकद्मा दर्ज करके छोड़ दिया गया। यह कैसी नाइन्साफी है? दूसरी तरफ जो आला अधिकारी हैं, उन पर आज तक भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहती हूं कि भिवानी के अंदर हिसार डी.टी.सी. ने एल–1, एल–13 की चैकिंग की और चैकिंग के दौरान यह पाया कि लगभग 23 हजार अंग्रेजी और देसी शराब की पेटी कम मिली। मौके पर ही उसका चालान कर दिया गया जो कि मैं समझती हूं, यह बहुत अच्छी बात हुई। सी.एम. फ्लाइंग ने दिनांक 14.10.2020 को देसी और अंग्रेजी शराब की एल–1 और एल–13 की चैकिंग की तो उसमें 1200 पेटी अंग्रेजी और देशी शराब की कम मिली। मौके पर ही उसका चालान कर दिया गया, जो कि मैं समझती हूं कि यह भी बहुत अच्छी बात हुई। इसके साथ–साथ सी.एम. फ्लाइंग ने दिनांक 19.10.2020 को फिर से चैकिंग की तो उसमें 2100 पेटी कम पाई गई और मौके पर ही उसका चालान कर दिया गया, यह बात भी बहुत अच्छी हुई। इन तीन चैकिंग की जो रिपोर्ट है उनके अंदर 45200 शराब की पेटी कम मिली। हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। प्रदेश सरकार कर्ज के अंदर डूब रही है। मेरा सुझाव है कि सरकार के पास एक जरिया है जहां से सरकार को पैसा मिल सकता है। कोरोना सैस और एक्साईज ड्यूटी करीब–करीब तीन करोड़ रूपये बनती थी जिसको एक्साईज डिपार्टमैंट ने अभी तक रिकवर नहीं किया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि अब तक क्यों नहीं इसकी रिकवरी की गई? जहां पर एल–1 और एल–13 में बार–बार शराब की पेटियां कम पाई जाती हैं एक्साईज पॉलिसी के तहत उनको रोक देना चाहिए। उनको दोबारा से लाईसैंस नहीं देना चाहिए लेकिन अभी तक भी दिन–प्रति–दिन परमिट जारी किये जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार के आला अधिकारियों की इस मामले में पूरी तरह से मिलीभगत है। हर बार मैंने इस बात को अपनी फोन कॉल के जरिये उठाया है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि धड़ल्ले से यह काम हो रहा है। जो अफसर

यह सब कर रहे हैं उनके केवल तबादले ही किये जाते हैं। जोकि सजा के नाम पर महज खानापूर्ति ही होती है। अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर किस तरह के हालात पैदा हुए उन्हें सभी ने देखा है। अगर इसके बावजूद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। कार्रवाई के नाम पर छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और जो बड़े मगरमच्छ हैं वे सारे के सारे बड़े आराम से घूम रहे हैं। श्री अभय चौटाला जी ने इस मामले में सी.बी.आई. इंक्वॉयरी की मांग की। मैं भी मांग करती हूं कि इस मामले में सी. बी.आई. द्वारा जांच की जानी चाहिए क्योंकि अगर सी.बी.आई. से इस मामले की जांच न करवाकर स्टेट विजीलैंस डिपार्टमैंट से इस मामले की जांच करवाई जा रही है तो फिर यह जांच दोबारा से खानापूर्ति ही होगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो डिस्टिलरीज वाले हैं वे एक–एक परमिट के ऊपर कम से कम 100–100 गाड़ियों को डिस्टिलरी से निकाल रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि इनके खिलाफ क्लोजर क्यों नहीं होता है? इन डिस्टिलरीज के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ एक डिस्टिलरी के खिलाफ ही एक्शन क्यों किया गया है? बाकी भी डिस्टिलरीज हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इस बारे में लिखित में दूंगी। वहां पर अवैध शराब का गोरखधंधा किया जा रहा है। उन सभी डिस्टिलरीज की जांच होनी चाहिए। अनिल विज जी एक बहुत ही कर्मठ मंत्री हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी बहुत इज्जत है मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि इस घोटाले में जो आला अधिकारी शामिल हैं चाहे वे कलैक्टर लैवल के हों, चाहे उससे ऊपर के लैवल के हों उनके खिलाफ वे कब तक सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह काम ऐसे ही बेरोकटोक चलता रहेगा और आने वाले समय में सरकार को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह शराब घोटाले का मामला था अगर सरकार इसको इतना लाइटली न लेती तो जो पिछले 2–3 दिन में सोनीपत में 30–40 लोगों की मृत्यु हुई है, वह नहीं होती। उस समय इस मामले को बहुत गम्भीरता से नहीं लिया गया। इस मामले की जांच करने के लिए एस.ई.टी. बनाई गई। अगर इस मामले में सी.बी.आई. से जांच करवाई जाती या फिर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच करवाई जाती तो

परिणाम ज्यादा सकारात्मक आते। जहां तक इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का सम्बन्ध है तो इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि तत्कालीन एस.पी. प्रतीक्षा गोदारा जी की रहनुमाई में यह सारा कार्य हुआ। उनके खिलाफ अगर ठीक से एक्शन लिया जाता तो सोनीपत और पानीपत में जो लोगों की मृत्यु हुई है वह न होती। इसी प्रकार से कल शाम को यह पता चला है कि गन्नौर में पांच लोगों की मृत्यु हो गई है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार के समय में बहुत ही अच्छी एक्साईज पॉलिसी बनाई गई थी। उस समय सरकार का पूरा अंकुश था। जो अवैध शराब बनाते हैं या फिर शराब के ठेके के ऊपर जो किया जाता है वह किसी भी सूरत में नहीं हो सकता था। आज से पहले हरियाणा में किसी ने सुना नहीं था कि स्पूरियस लिकर पीने से किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार ही यह हुआ है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि सरकार या तो पूरी तरह से अंधी हो गई है या फिर उसने जानबूझकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है। शराब माफिया को खुलेआम पूरी छूट दी जा रही है।

श्री सुरेन्द्र पंवारः उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। पहले जहां लोग कहते थे कि देशों में देश हरियाणा जहां दूध–दही का खाना। आज शराब की वजह से इतनी मौतें हुई हैं और इस मामले में सरकार की गम्भीरता नजर नहीं आ रही है। जिस प्रदेश में 2 जिलों में 3 दिन में इतनी मौतें हुई हों वहां अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई चैकिंग नहीं हुई है। हालात ये हैं कि 2 दिन हो गये लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह जहरीली शराब कहां से चली और कौन लोग इसमें इनवॉल्व हैं। अब तक तो सबके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस जहरीली शराब की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रत्येक परिवार को 25–25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये तथा जो अधिकारी/कर्मचारी या अन्य लोग इसमें इनवॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सी.बी.आई. या पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच करवाई जाये।

श्री शमशेर सिंह गोगीः उपाध्यक्ष महोदय, हमारा लॉकडाउन बहुत कामयाब रहा है इसकी तारीफ मैं सदन में बहुत देर से सुन रहा हूं। लॉकडाउन में अगर कोई

आदमी पैदल भी सड़क पर चलता था तो उसका चालान हो जाता था। साईकिल वाले का चालान हो जाता था और सड़क पर सिर्फ पुलिस थी। आज हरियाणा की सी.आई.डी. सारा दिन विपक्ष के विधायकों की लोकेशन ट्रेस करती रहती है, क्या हम कोई शराब बेचते हैं जो सी.आई.डी. हमारे पीछे लगी हुई है। ऐसे मामलों में क्या सी.आई.डी. सी.एम. ऑफिस को रिपोर्ट नहीं करती है? अगर सी.आई.डी. ने अपनी रिपोर्ट सी.एम. ऑफिस को दी है तो उसको दबाने का काम सी.एम. ऑफिस ने किया है। इसका मतलब यह है कि सी.एम. ऑफिस भी इस मामले में शामिल है। इस मामले में सी.आई.डी. के ऑफिसर्ज, पुलिस के ऑफिसर्ज भी शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक दिन जब हम इसी सदन में संविधान दिवस पर बोल रहे थे, उस दिन मैंने कहा था कि इस देश का सत्यानाश भी एक दिन हम चुने हुए नुमाइंदे ही करेंगे। इस केस की कभी भी जांच नहीं होगी। श्री अनिल विज जी को आयरनमैन और शक्तिमान के रूप में देखा जाता है लेकिन उनकी सारी शक्तियां पता नहीं कहां पर चली गई? इस मामले में सबसे पहले एस.ई.टी. बनी और अब यह मामला विजिलैंस को दे दिया गया है। अब विजिलैंस वाले कहते हैं कि एस.ई.टी. हमें रिकॉर्ड नहीं दे रही है। जब एस.ई.टी. रिकॉर्ड ही नहीं देगी तो पुलिस वाले क्या करेंगे, केवल सरकार का समय बर्बाद करेंगे। शराब पीकर जो बच्चे मर रहे हैं वे हमारे ही बच्चे मर रहे हैं। विज साहब तो शराब पीते नहीं हैं लेकिन जो लोग शराब बेचने वाले हैं उनको तो जवाब देना पड़ेगा। इस मामले में जो भी एस.पी., डी.सी. या डी.ई.टी.सी. हो यानि जो भी इसमें भागीदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। मेरे कहने का मतलब यह है कि गलत काम भी हम ही कर रहे हैं और जांच भी हम ही कर रहे हैं। अगर कातिल ही खुद मुंसिक होगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा? उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस केस की जांच स्टेट विजीलैंस या सी.बी. आई. की बजाए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चाहे कोई भी आदमी हो अगर वह गलत काम करता है तो उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसको तो भगवान भी माफ नहीं करता। जय हिन्द, जय भारत।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने शराब की नाजायज बिक्री के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी, प्लीज, श्री कुलदीप वत्स जी का प्रश्न भी इसी से संबंधित है इसलिए एक बार उनको भी सुन लें।

श्री अनिल विज : ठीक है।

श्री कुलदीप वत्स : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सारे सम्मानित साथियों ने एक–एक चीज बड़ी बारीकी से यहां बताई है। आज से तीन या चार महीने पहले मैंने प्रैस कॉन्फ्रैंस में यह मुद्दा उठाया था और उस में जिस अधिकारी का मैंने नाम लिया था उसके बारे में मैंने कहा था कि उस अधिकारी को इतने लम्बे समय तक एक ही पद पर क्यों रखा गया था? जिसको उस पोस्ट का इतना तजुर्बा ही नहीं था फिर भी उसको 5 साल तक उसी पोस्ट पर क्यों रखा गया? मेरे कहने के बावजूद भी आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही सरकार की तरफ से उस संबंध में कोई जवाब आया है। मैं गोगी जी की बात से सहमत हूं कि इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जैसे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस महिला ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिसने पांच साल तक एक ही पद पर रहते हुए बहुत भ्रष्टाचार किया है, और उसके साथ उसकी मां का नाम भी जुड़ा हुआ है? मैंने उसका खुलासा किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज तक उस महिला ऑफिसर पर क्या कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री जी, क्या आपने उस ऑफिसर की जांच करवाई? अनिल विज जी, अब आपकी ताकत तो खत्म हो गई है। आप सिर्फ और सिर्फ अखबार और टी.वी. चैनलों तक ही सीमित रह गये हैं । इसके अलावा अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी नाक के नीचे इतने बड़े अत्याचार होते हैं। सरेआम ऐसे–ऐसे काम हो रहे हैं लेकिन आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसे आप शराब की बात कर रहे थे। मैंने उस संबंध में आपको लैटर भी लिखा था उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? लॉकडाउन में इतना बड़ा शराब घोटाला कैसे हुआ? राजस्थान से शराब कैसे आई, पंजाब से शराब कैसे आई? हरियाणा के आपके खुद के गृह जिले में जैसा कि श्री अभय सिंह जी ने भी कहा है कि जिन फैक्ट्रियों को सैनेटाईजर बनाने के नाम से परमीशन दी गई उन्हीं फैक्ट्रियों में शराब कहां से बनी? मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। इसका आप हमें जवाब दीजिए। आज हरियाणा के अन्दर चाहे सोनीपत है, पानीपत है, गुड़गांव है, झज्जर है, फरीदाबाद है वहां जहरीली शराब पी–पीकर कई बच्चे मर रहे हैं, कई आदमी मर रहे हैं उनका जिम्मेवार कौन है? उपाध्यक्ष महोदय, उनके जिम्मेवार मंत्री जी हैं, उनकी जिम्मेवार गवर्नमैंट है, मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि इस

मामले की गम्भीरता से जांच हो और इनके पीछे जो ठेकेदार लगे हुए हैं, जो इस प्रकार के माफिया बने हुए हैं, जो बाहर से अवैध रूप से शराब लाकर लोगों को बेचते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेन्द्र भाई जी ने भी यह बात ठीक कही थी कि जहरीली शराब पीने से 40–40 लोगों की जान गई हैं लेकिन अनिल विज जी, उनके ऊपर आपका एक ब्यान भी नहीं आया। आपने उन पर क्या कार्रवाई की? उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इन्होंने उस महिला ऑफिसर पर क्या कार्रवाई की है? इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लोग अनिल विज जी को कहते हैं कि गब्बर आ गया। लोग गब्बर का क्या करेंगे? इस हरियाणा की जनता को गब्बर की तरह डराकर नहीं बल्कि उनके साथ प्यार से काम करना पड़ेगा। मंत्री जी, आप अपने अधिकारियों से पूछिये कि उन्होंने अवैध रूप से शराब हरियाणा में लाकर बेचने वालों पर क्या कार्रवाई की है। मैं आपको अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि क्या एक विधायक का इतना हक नहीं बनता है कि वह किसी ऑफिसर को फोन कर सके? क्या एक विधायक अपने हल्के की बात नहीं उठा सकता? विधायकों के फोन को टेप कर लिया जाता है। एक विधायक की रिकॉर्डिंग करके उसको ब्लैकमेल किया जाता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहे तो इस बारे में बी.जे.पी. के विधायकों से भी पूछ सकते हैं। एक विधायक के साथ जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो यह कैसे चलेगा? अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई भी की जा रही है या नहीं। इस तरह से अधिकारियों द्वारा विधायकों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से विधायकों की इज्जत नहीं होगी तो फिर सरकार के मंत्रियों की इज्जत कौन करेगा। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे पुनः रिक्वैस्ट है कि आप इस मामले की अच्छी तरह से जांच करवाईये। उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में सभी सदस्य बैठे हुए हैं। अधिकारियों द्वारा विधायकों का बहुत अपमान किया जाता है और मेरा आग्रह है कि अधिकारियों द्वारा किए गए इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और अधिकारियों पर लगाम डालने की जरूरत है। ठीक है सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है लेकिन कम से कम इन अधिकारियों पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार विधायकों की इज्जत नहीं करवा सकती तो फिर विधायकों की इज्जत कौन करवायेगा? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी की

बात करते हैं लेकिन आज प्रदेश में जो रजिस्ट्री घोटाला तथा शराब घोटाला हुआ है, इसकी जांच सी.बी.आई. से करवाई जाये अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पर ये घोटाले सबसे बड़ा दाग व लांछन का काम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरविन्द्र कल्याणः उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वत्स जी को कहना चाहूंगा कि वे हमारी इज्जत की जिम्मेवारी न ले। इस तरह की आधारहीन बातें करना ठीक नहीं है। वे इस तरह की बात करके हमारे विधायकों की इज्जत की जिम्मेवारी कैसे ले रहे हैं? कौन कहता है कि विधायकों की इज्जत नहीं है? (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को सिवाय झूठ बोलने व लोगों को भड़काने के अन्य कोई काम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) हमारे गृह मंत्री जी गब्बर हैं, गब्बर है और गब्बर हैं। सिर्फ इनके कहने मात्र से मंत्री जी गब्बर नहीं रहेंगे, यह बात इनको भूल जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बढ़िया काम को भी गलत तरीके से पेश करना इन लोगों की आदत मे शुमार हो चुका है।(शोर एवं व्यवधान) ये लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं ऐसा करके इन्होंने सिर्फ किसानों का नाश करने का ही काम किया है। ये लोग जमींदारों के बारे में क्या बात करेंगे, अरे जमींदार तो हम हैं और जमींदारों के हितों की रक्षा कैसे होती है यह हमें अच्छी तरह से आता है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग हर बात में झूठ बोलने का ही काम करते हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः वत्स जी और कल्याण जी आप लोग प्लीज बैठ जायें क्योंकि माननीय मंत्री जी अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए हैं।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने अवैध शराब के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं खुद भी इस विषय पर बहुत ज्यादा गम्भीर हूँ और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं दोषी पाए गए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी, ठेकेदार या फैक्ट्री व शराब के माफिया को बख्शने वाला नहीं हूँ और हमने इसके लिए प्रक्रिया आरम्भ कर भी दी है। हमने इस विषय की जांच करने का जिम्मा एस.ई.टी. को दिया और एस.ई.टी ने इस मामले पर बहुत ही विस्तारपूर्वक व व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके लिए मैं एस.ई.टी. के अधिकारियों की सराहना करना चाहता हूँ। हमने स्टेट विजीलैंस को इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिन पुलिस कर्मचारियों या एक्साइज

के कर्मचारियों ने कोताही बरती है या उनकी कोई संलिप्तता है या उन्होंने अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन नहीं किया है तो उन पर शिकंजा कसने के लिए होम डिपार्टमैंट में ए.डी.जी.पी. कला–रामचन्द्रन की अध्यक्षता में मैंने एक तीन सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। यह इस समिति के काम करने का ही नतीजा है कि एक डिस्टिलरी मालिक जिसका नाम अशोक जैन है जिसको आज तक कोई हाथ नहीं लगा सका था और उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता था, वह आज सलाखों के पीछ खड़ा है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) सरकार इस दिशा में पूरी गम्भीरता और ईमानदारी के साथ काम करती है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य श्री अभय सिंह जी ने एक बात उठाई थी कि मैंने एस0आई0टी0 के लिए लिखा था और एस0ई0टी0 बना दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि एस0आई0टी0 बने या फिर एस0ई0टी0 बने लेकिन एस0ई0टी ने अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी के साथ किया है। वह टीम सारे के सारे फैक्ट्स ऑन दि रिकॉड लेकर आई। उसने जहां पर अधूरी तफ्तीशें हुई थी उनका भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था। जिन अधिकारियों ने अपने काम में कोताही बरती थी उनके नाम का भी टीम ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है। एस.ई.टी. ने अपने सुझावों के साथ काफी विस्तार पूर्वक रिपोर्ट दी है। माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी एक बात और कह रहे थे कि लॉकडाउन का पीरियड इसमें इंक्ल्यूड नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके जवाब में कहना चाहता हूँ कि पहले इसमें प्रिंटिंग मिसटेक हो गई थी जिसको बाद में ठीक करके जारी कर दिया गया था और वह तिथि 15 मार्च, 2020 से लेकर 10 मई, 2020 तक है, मैं समझता हूँ कि इस दौरान लॉकडाउन का पीरियड आ जाता है। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, चाहे वह एस0ई0टी0 थी या फिर एस0आई0टी0 थी लेकिन एस0ई0टी0 के पास CrPC Section 32 के तहत ऐसी कोई पावर नहीं है कि वह किसी को बुलाकर या फिर नोटिस वगैरह देकर पूछताछ कर सके। इस प्रकार से जो एस0ई0टी0 बनी है उसके पास CrPC Section 32 के तहत कोई पावर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि CrPC Section 32 के तहत ही एस0ई0टी0 को भी पावर दे दी जाये ताकि यह टीम भी किसी के बारे में नोटिस वगैरह देकर पूछताछ कर सके लेकिन सरकार ने माननीय गृह मंत्री जी की भी इस बात को

इग्नोर कर दिया। मैं तो यह कहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री महोदय सदन में इस बात पर ज्यादा जोर न दे तो ज्यादा अच्छा है। जब इस संबंध में एक्साईज डिपार्टमैंट के डी0ई0टी0सी0 को नोटिस दिया गया तो उन्होंने नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया और कह दिया कि इस बारे में हमारा डिपार्टमैंट ही बतायेगा हम कुछ नहीं बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से एस0ई0टी0 को पावर लैस कर दिया गया और माननीय गृह मंत्री उस कमेटी को सदन में बधाई दे रहे हैं। एस0ई0टी0 तो चाहती थी कि वह अच्छा काम करे लेकिन सरकार ने ही उसको पावर लैस कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा व जजपा सरकार इस मैटर को बंद करना चाहती है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है और मुझे एक माननीय सदस्य ने गब्बर भी कहा है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं गब्बर नहीं हूँ बल्कि अनिल विज हूँ। अनिल विज होने के नाते मैं जिस काम को हाथ में ले लेता हूँ उसे आखिरी मुकाम तक पहुँचाता हूँ। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) मेरे पास जिस दिन से एस0ई0टी0 की रिपोर्ट आई बिना देरी के स्टेट विजीलैंस को मार्क कर दी और स्टेट विजीलैंस के पास तहकीकात करने की सारी की सारी पावर्ज होती हैं। उसी पावर के हिसाब से स्टेट विजीलैंस ने इस संबंध में जरूरी कागज एक्साईज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट से मांगे थे और एक्साईज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने लगभग 400 पेजों का एक दस्तावेज स्टेट विजीलैंस को सौंप भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कह रहा हूँ कि मैं किसी भी दोषी को बख्शूंगा नहीं। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है और मैंने अपने विभाग में कार्यरत अधिकारियों में से विशेष अधिकारी चुनकर एक टीम बनाई है और वह टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उसी टीम ने निर्भीक होकर अशोक जैन जैसी बड़ी हस्ती को सलाखों के पीछे पहुँचाया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कार्रवाई पहले कभी नहीं हुआ करती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन किरण चौधरी जी को भी कहना चाहता हूँ कि यह सरकार भ्रष्टाचार के मामले में छोटी–मोटी मछलियों के साथ–साथ बड़ी–बड़ी मछलियों को भी बख्शने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूं कि किसी अधिकारी/कर्मचारी, डिस्टलरी वाले, ठेकेदार, वाइन माफिया को मैं बख्शने वाला नहीं हूं । (शार एवं व्यवधान) मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं किसी आई.ए.एस./आई.पी.

एस. को भी दोषी पाए जाने पर नहीं बख्शूंगा । आप एक बार जांच पूरी हो जाने दीजिए । अभी हमारे सामने सारे तथ्य नहीं आये हैं । जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी और उस दिन अगर हम दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप हमारा गिरेबान पकड़ लेना । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारीगण/कर्मचारीगण के ऊपर दोषारोपण हुए हैं माननीय मंत्री जी द्वारा उनको अलग रखा जाना चाहिए और उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए तभी जांच निष्पक्ष रूप से हो पाएगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि जांच किये बगैर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती । यह न तो इंसाफ का तकाजा है और न ही उचित है । जब इस केस में दो अधिकारियों (आई.ए.एस./आई.पी.एस.) का जिक्र आया था तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस भी इशू किये थे । उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है । (विघ्न) हमने उनको बख्शा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने सोनीपत और पानीपत में शराब की वजह से होने वाली मौतों पर कहा कि आज से पहले शराब से इतनी संख्या में कभी भी मौतें नहीं हुई । मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1980 में 40 से ज्यादा मौतें नरवाना में हुई थी, 1982 में कालांवाली, सिरसा में 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थी, वर्ष 2005 में गांव गुजरीवास, रेवाड़ी में 4 मौतें हुई थी, वर्ष 2003 में गांव जगराओं, थाना सदर, हिसार में 5–7 मौतें हुई थी, वर्ष 2003 में तरावड़ी, करनाल में 5 मौतें हुई थी, वर्ष 2006 में गांव मल्लड़थाना, पिल्लूखेड़ा, जीन्द में 5 मौतें हुई थी, वर्ष 1996 में गांव संभाली, थाना निसिंग, करनाल में 5 लोगों की मौत हुई और 1997 में थाना बिलासपुर, यमुनानगर में 9 मौतें हुई थी । मैं इस मामले को इन आंकड़ों के माध्यम से जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं कि अगर जहरीली शराब से पहले भी मौतें हुई थी तो इससे अब भी मौतें होना ठीक है । मैं जहरीली शराब की वजह से हुई मौतों को गलत मानता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, Let me give full time to speak.

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप बीच में टोका–टिप्पणी मत कीजिए । सी.ए. के लिए आधे घण्टे का टाइम निर्धारित था लेकिन इस पर फिलहाल 1 घण्टा 10 मिनट हो चुके हैं । अतः अब आप प्लीज इस पर चर्चा होने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कोई यह न समझे कि सोनीपत और पानीपत शहरों में हूच ट्रैजडी हो गई और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कोई कार्रवाई नहीं की । मैं किसी भी दोषी को बख्शता नहीं हूं । अगर प्रदेश में कोई दुर्घटना हो जाए तो मैं सोते हुए भी उठ जाता हूं और उस पर कार्रवाई करता हूं । मैं समाचार–पत्रों में आने वाली खबरों और टी.वी. न्यूज चैनलों पर आने वाली खबरों पर भी कार्रवाई करता हूं । मुझे जैसे ही समाचार–पत्रों के माध्यम से सोनीपत में होने वाली मौतों की जानकारी मिली तो मैंने तुरंत मोहाना थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव नैना में चल रहे इल्लीगल बॉटलिंग प्लांट जिसकी संभावना थी कि उसकी वजह से ही इतने लोगों की मौत हुई है, के बारे में मैंने कहा कि जिस थाने के इंस्पैक्टर के अंतर्गत वह इल्लीगल प्लांट चल रहा था उसको और ए.एस.आई. को तुरंत प्रभाव से सस्पैण्ड कर दिया जाए । हमने उस थाने के इंस्पैक्टर और ए.एस.आई. को सस्पैण्ड कर दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं किसी भी दोषी को बख्शने वाला नहीं हूं । मैंने आज तक किसी भी दोषी को नहीं बख्शा है । मेरी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द ही नहीं है पर बेवजह भी कार्रवाई करना उचित नहीं होता। जहां तक बताया जा रहा है कि सोनीपत में 40 मौतें हो गयी और पानीपत में 50 मौतें हो गयी हैं मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। यह खबर भास्कर अखबार ने छापी थी। भास्कर अखबार के सोनीपत एडीशन में यह खबर छापी थी कि सोनीपत के श्मशान घाट में 2 दिनों में 17 लोगों का दाह संस्कार किया गया है। इस बात से हम 17 मौतों को हूच ट्रैजडी तो नहीं कह सकते। इसमें नॉर्मली लोगों की भी मौत हो सकती हैं और शराब पीकर मरने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल मौत भी हो सकती हैं। मैं उन सभी मृतकों को शराबी नहीं मान सकता हूं क्योंकि कल किसी का बेटा मेरे पास आकर कहेगा कि उनका पिता जी तो शराब को देखता भी नहीं था और आपने उनका नाम शराबियों की लिस्ट में लिख दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं जबाव दे रहा हूं, इसलिए माननीय सदस्य पंवार जी मुझे बोलने दें। अगर कोई बात रह जाएगी तो माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुरेन्द्र जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी जबाव दे रहे हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं अपनी बात रखने के लिए खुद लड़ता रहा हूं। पहले मैं सदन के उस कौने में बैठता था, जहां पर अब माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी बैठे हुए हैं। वही मेरे बैठने की सीट होती थी और मैं अपनी बात रखने के लिए खुद लड़ता था। मैं माननीय सदस्य को अपनी बात रखने के लिए मौका क्यों नहीं दूंगा? माननीय सदस्य अपनी आवाज उठाएं, लेकिन मैं जबाव दे रहा हूं और अगर कोई बात रह जाएगी तो मैं उसको करैक्ट करूंगा। भास्कर अखबार ने छापा था कि 17 लोगों की मौत हुई हैं। मैंने इस संबंध में वहां के डी.सी. को कहा था कि आप इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दें और संबंधित लोगों के घर–घर जाकर जांच करवाएं और यह काम चल रहा है। लेकिन हॉस्पिटल में जो लोग आए, जिनका पोस्टमार्टम हुआ, वे केवल 5 लोग हैं। जिन्होंने हॉस्पिटल में आकर कहा कि उन्होंने शराब पी थी। इसी प्रकार से पानीपत में 4 लोग हैं। हमने इसके साथ ही सारे सोनीपत में सर्च अभियान चलाया और जो शुगर मिल है, उसके सामने एक दुकान का पता चला, जहां पर शराब बिकती थी। हमने उस दुकानदार को पकड़कर, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी है। मैं किसी भी गलत काम करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। मैं इस हाउस के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश को बताना चाहूंगा कि गलत काम करने वालों को बक्शेंगे नहीं, इसलिए वे गलत काम करने से बाज आ जाएं। अगर हमारे पास कोई भी सबूत/शिकायत आएगी और उसमें जो दोषी पाया जाएगा तो उसको बक्शा नहीं जाएगा। उन सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पंवार जी ने सोनीपत और पानीपत वाले केसिज के बारे में पूछा था, जिनका मैंने रिप्लाई दे दिया है। इसके अतिरिक्त श्री शमशेर सिंह गोगी जी ने कहा था कि इस मामले में बहुत से लोग शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो भी गलत कार्यों में शामिल होगा, उसको बक्शा नहीं जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेंद्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को जो एल– 1 शराब पकड़ी गई है, उसके बारे में भी जबाव देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री सुरेंद्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। यह चर्चा का तरीका ठीक नहीं है। आप पहले कॉलिंग अटैंशन मोशन के बारे में समझें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेंद्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर केवल 17 मौंते हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, किसने कहा है कि वहां पर 17 मौतें हुई हैं ? आपने सुना ही नहीं कि माननीय मंत्री जी ने क्या कहा है ?

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर लोगों ने जल्दी में दाह–संस्कार किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, आपने सुना ही नहीं कि माननीय मंत्री जी ने क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि यह खबर भास्कर अखबार ने छापी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, वहां पर इतनी जल्दी उन लोगों का दाह–संस्कार क्यों किया गया ? भास्कर अखबार ने छापा है कि लगभग 27 मौतें हुई हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सोनीपत में 17 मौतें हुई हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि केवल शहर के ही श्मशान घाट में दाह–संस्कार नहीं हुआ है बल्कि गांवों में श्मशान घाटों में भी दाह–संस्कार किया गया है।

श्री अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, अगर आपके पास कोई इन्फर्मेशन है तो वह माननीय मंत्री जी को दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में किसी के जहरीली शराब पीकर मरने का मामला हो तो उसके बारे में लिखित में दे दें। मैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, अगर इस संबंध में आपके पास कोई इन्फार्मेशन है तो आप माननीय मंत्री जी को लिखित में दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, सरकार मृतकों के परिवारों के लिए क्या कर रही है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, यह चर्चा करने का तरीका नहीं है। इस प्रकार से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए 1:15 घंटे का समय हो चुका है, जबकि इस पर 30 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते। आपने कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया है और आप बहुत दिनों से इस सदन के सदस्य हैं, इसलिए आपको भी पता है कि जिसका नाम का कालिंग अटैंशन मोशन आया है, वह माननीय सदस्य केवल एक ही सप्लीमैंटरी पूछ सकता है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि भिवानी में जो धांधली चल रही है, उसको रोकने के लिए वह क्या उपाय करेंगे?

———————————

(ii) अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़ की एक कन्या छात्र कुमारी निकिता तोमर की हत्या से संबंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से परीक्षा देकर बाहर निकल रही छात्रा स्वर्गीय निकिता तोमर की दिन दिहाड़े तौसीफ खान द्वारा निर्मम हत्या बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 52, जोकि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई है, को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री नीरज शर्मा, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से परीक्षा देकर बाहर निकल रही छात्रा स्वर्गीय निकिता तोमर की दिन दहाड़े तौसीफ खान द्वारा निर्मम हत्या बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि बल्लभगढ़ शहर में निकिता तौमर बी.कॉम ऑनर्स तृतीय वर्ष की छात्रा जब दिनांक 26.10.2020 को अग्रवाल कालेज बल्लभगढ़ से परीक्षा देकर

बाहर निकली तो तौसीफ खान एवं उसके अन्य साथियों ने जबरन विवाह करने के मकसद से जबरदस्ती दिन–दहाड़े अपहरण का प्रयास किया, लेकिन वीरांगना निकिता के प्रबल विरोध के कारण अभियुक्त अपहरण करने में नाकाम रहे तो उन्होंने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जो बहुत जघन्य अपराध है। निकिता की निर्मम हत्या से हरियाणा ही नहीं पूरे देश में इस जघन्य हत्या से जनमानस में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश में महिलाओं पर दिन–प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस बाबत जवाब देना चाहिए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 52

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 52 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक फरीदाबाद जिला के बल्लभगढ़ में कॉलेज से परीक्षा देकर निकली छात्रा निकिता की सरेआम एक युवक द्वारा गोली मार कर हत्या करने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि फरीदाबाद जिला के बल्लभगढ़ में कॉलेज से परीक्षा देकर निकली छात्रा निकिता की सरेआम एक युवक द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी कार में सवार होकर फरार हो गए। न्यूज चैनलो के माध्यम से सी.सी.टी.वी. कैमरे में पूरी वारदात स्पष्ट रूप दिखाई गई है। यह मामला दिन–प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस हत्या कांड की वजह से गुस्साऐ परिजनों व लोगों ने बल्लभगढ़ में हाइवे को जाम कर दिया और परिजन धरने पर बैठ गए हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। निकिता की हत्या के बाद से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है। निकिता की मां लगातार दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस खौफनाक वारदात से फरीदाबाद का माहौल उबलने लगा है। परिवार के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर जमी और इंसाफ की मांग कर रही है। मामला इसलिए और भी संगीन हो रहा है क्योंकि पीड़ित और आरोपी अलग–अलग समुदाय से है। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व आक्रोश व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

वक्तव्य–

गृहमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26.10.2020 को लगभग 3:30 बजे निकिता तोमर पुत्री श्री मूलचंद तोमर आर/ओ एच–मकान 3800, संजय कॉलोनी, सैक्टर 23 फरीदाबाद, अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ से निकल रही थी, तब तौफीक पुत्र श्री जाकिर हुसैन वासी वार्ड नंबर 10, कबीर नगर, अलवर रोड, सोहना, जिला गुरूग्राम ने बंदूक की नोक पर उसे अपनी कार में बैठाने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो तौसीफ ने उसे गोली मार दी और अपनी आई–20 कार लेकर भाग गया। इस घटना के दौरान उसके साथ रेहान पुत्र श्री सुहाबुद्दीन वासी गांव रेवासन, पीएस रोजका मेओ, जिला नूंह भी था। मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की गई और सर्वोच्च प्राथमिकता पर जांच की गई। मुख्य आरोपी तौसीफ को उसी दिन तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और सह–आरोपी रेहान को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अपराध में प्रयुक्त हथियार और कार बरामद कर ली गई है। फौरैंसिक साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और जल्द ही इस मामले में चार्टशीट कर दी जाएगी।

हरियाणा में सनसनीखेज मामलों की उचित और त्वरित जांच और परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 2019 से, 'चिन्हित अपराध' नामक योजना लागू की गई है। वर्तमान मामले को 'चिन्हित अपराध' की सूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार इस मामले में सरकार द्वारा शीघ्र परीक्षण के लिए निगरानी रखी जाएगी।

यह कहना गलत है कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध दैनिक आधार पर बढ़ रहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) ने 'भारत में अपराध–2019' शीर्षक से एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार, 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7.3 प्रतिशत की राष्ट्रव्यापी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में हरियाणा में 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में केवल 2.49 प्रतिशत मामलों की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 व 2019 में महिला विरुद्ध अपराध में भारत व हरियाणा की तुलना निम्न तालिका में देखी जा सकती है:–

Total Crime against Women Cases registered under IPC and Local & Special Laws				
	2018	**2019**	**Total Increase**	**Percentage Increase**
Haryana	14326	14683	+357	2.49%
India	378236	405861	+27625	7.30%

यदि हम वर्ष 2019 और 2020 (प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर तक) में हरियाणा के अपराध आंकड़ों की तुलना करें, यह कहना गलत होगा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के समग्र आंकड़ों में कोई वृद्धि हुई है। वास्तव में, जैसा कि निम्न तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2019 की तुलना में 2020 (30 सितंबर तक) में 1697 मामलों की गिरावट देखी गई हैः–

Comparative Figures for "Crime Against Women" in Haryana				
Sr.	Head of Crime	Total No. of cases registered 01.01.19 to 30.09.2019	Total No. of Cases registered 01.01.20 to 30.09.2020	Variation in 2020 over 2019
1	Dowry Death (304 B IPC)	208	2017	9
2	Rape (376 IPC)	1271	1126	-145
3	Attempt to Rape (376/511 IPC)	171	209	38
4	Molestation (354 IPC)	2080	1856	-224
5	Harassment of women at public place (509/294 IPC)	173	183	10
6	Kidnapping of Women/Girls	2490	1914	-576
7	Dowry Harassment	3536	2725	-811

8	Acid attack on women(370/370A IPC)	5	2	-3
9	Trafficking/Exploitation of women (370/370A IPC)	9	8	-1
10	The Immoral Trafficking (Prevention) Act 1956	35	28	-7
11	PNDT Act	14	23	9
12	Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986	0	0	0
13	Dowry Prohibition Act, 1961	12	16	4
	Total	10004	8307	-1697

श्री नीरज शर्मा : स्पीकर सर, यह बहुत सीरियस मैटर है। पूरा प्रदेश और देश इस पर निगाह रखे हुए है। मंत्री जी ने जो अपना जवाब दिया यह सदन में दिया है। सदन से बाहर मंत्री जी द्वारा दिए गए ब्यानों से हमें पता चला कि मंत्री जी इस मामले की जांच करने के लिए एस.आई.टी. का गठन कर रहे हैं। मंत्री जी ने इस मामले की जांच करने के लिए एस.आई.टी. का गठन भी किया। मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस स्तर के अधिकारी की एस.आई.टी. गठित की गई है? मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.आई.टी. तो ए.एस.आई. स्तर के अधिकारी की भी गठित हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में आज एक बड़ी खबर आई है कि इस मामले में पुलिस के एक अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि इस मामले में जो एस.आई.टी. का गठन किया गया वह कम से कम आई.जी. या ए.डी.जी.पी. लैवल के अधिकारी की हो। इनसे नीचे के स्तर के अधिकारी की एस.आई.टी. का गठन न किया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इसी सदन में सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जहां पर जरूरी होगा उन सभी शिक्षण संस्थानों में बेटियों को लाने और ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था सरकार के स्तर पर की जायेगी। सरकार ने

यह वायदा किया था कि विभिन्न संस्थानों में पढ़ने वाली प्रदेश की बेटियों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जायेगी। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि प्रतिदिन लाने ले जाने की बात तो दूर बेटी के एग्जाम वाले दिन भी बेटी को लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि अगर सरकार की तरफ से एग्जाम वाले दिन भी परिवहन की व्यवस्था की गई होती तो आज वह हमारी बेटी जिन्दा होती। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा उस बेटी के परिजनों को यह विश्वास दिलाया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस जायेगा। इस बाबत भी माननीय मंत्री जी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी नहीं बताया गया कि इस मामले की सुनवाई के लिए कौन सी कोर्ट बनाई गई है और किस कोर्ट के अंदर यह केस जायेगा। अध्यक्ष जी, चौथी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 65 हजार पुलिस कर्मियों का बल है। 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' की हम बात करते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता, क्या ये पुलिस बल सिर्फ मंत्रियों की सुरक्षा के लिए है। क्या एग्जाम वाले दिन भी वहां पर दो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती थी? अगर यह काम किया जाता तो हमारी उस बेटी की जान की सुरक्षा हो सकती थी। पांचवी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में बातें बड़ी लम्बी चौड़ी हो रही हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि हम 10 दिन के अंदर इस मामले की जांच पूरी करवा देंगे और चार्जशीट दाखिल कर देंगे लेकिन अभी भी माननीय मंत्री जी सदन में यह कह रहे हैं कि इस मामले में जल्दी ही चार्जशीट दाखिल की जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार इस केस में ऐसा उदाहरण पेश करें और ऐसा सख्त कानून बनायें कि पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी दूसरी निकिता बेटी के साथ ऐसा न होने पाये। मैं यह कहना चाहूंगा कि 08 नवम्बर, 2020 को उस बेटी की 13वीं है, अभी तक उस केस में कुछ हुआ नहीं है। मैं एक कागज फेस बुक से निकालकर लाया हूं उसमें बरोदा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने यह कहा है कि योगेश्वर को माता–बहनों का एक–एक वोट हमारी बेटी निकिता तोमर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी बहन–बेटियों के प्रति यही विचार है। अध्यक्ष जी, अंत में, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा – नारी सताये तीन मिटे रावण, कौरव, कंस और जनता सताये सब मिटे धन, वैभव और वंश। अध्यक्ष

जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि मंत्री जी सदन में लिखी लाइनों को पढ़कर ही अपना जवाब दें, जिनका मैंने पहले दिन से मान–सम्मान किया है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी ने निकिता हत्या के मुद्दे पर विशेष रूप से महिलाओं को लेकर अपनी तरफ से जो सारी बातें रखी हैं मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पानीपत में एक रैली का आयोजन करके बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओं का नारा दिया था। हम यह मानते थे कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश से नारा दिया है और हमारा प्रदेश दिल्ली के साथ सटा हुआ है। एन.सी.आर. में सबसे बड़ी जगह हमारे प्रदेश की है। प्रधानमंत्री जी के नारे के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी जहां प्रदेश की सरकार देगी वहीं केन्द्र की सरकार भी उसमें मदद करेगी, लेकिन हैरानी की बात है कि इस नारे के बाद महिला पुलिस फोर्स की संख्या बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ी। इसके अलावा कॉलेज और स्कूल या वे ट्रांसपोर्ट जिनके माध्यम से जो बच्चियां एक गांव से दूसरे गांव या गांव से शहर तक पढ़ने जाती हैं उनको वहां सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान हो। हम यह मानते थे कि उनको सुरक्षा मिलेगी। जहां बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी वहीं मां–बाप की भी इस बात की चिन्ता समाप्त हो जायेगी और उनको लगेगा कि सरकार अपने वायदे को निभाने का काम कर रही है। लेकिन अपराध में सुधार होने की बजाय निरंतर बढ़ता ही गया। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं बल्कि आपके नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह बात दिखाते हैं। महिलाओं के प्रति जो गम्भीर अपराध के मामले दर्ज हैं उसमें महिलाओं के प्रति बलात्कार के मामले हैं उस बारे में मैं वर्ष 2019 की बात कर रहा हूं क्योंकि वर्ष 2020 तो सारा का सारा लॉकडाउन में चला गया है। वर्ष 2019 में बलात्कार के 1480 मामले दर्ज हुए हैं। महिलाओं के साथ गैंगरेप के 177 मामले दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के उत्पीड़न के 2803 मामले दर्ज हुए हैं तथा पोकसो एक्ट के तहत 1117 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त नाबालिग लड़कियों के साथ सैक्सुअल अपराध के 808 मामले दर्ज हुये हैं। इसी प्रकार से 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के साथ अपराध के 2517 केस दर्ज किये गये हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या

आपराधिक बल के प्रयोग के 2581 मामले दर्ज हुए। इस प्रकार से कुल मिला कर 14683 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा अभी माननीय मंत्री जी एन.सी.आर.बी. के बारे में बता रहे थे। एन.सी.आर.बी. में जो वर्ष 2016 में लापता महिलाओं के मामले

13:00 बजे

दर्ज हुए थे वे 3554 थे और वर्ष 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 4780 हो गया था। वर्ष 2018 में यह आंकड़ा फिर से बढ़कर 5311 हो गया था जबकि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के बाद यह आंकड़ा कम होना चाहिए था। वर्ष 2019 और 2020 के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं। इसी तरह से महिलाओं पर हुए अपराधों के जो मामले एन.सी.आर.बी. में दर्ज हुए हैं उनकी मैं वर्ष वार डिटेल बता देता हूं। वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 10762 था जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 11373 हो गया, वर्ष 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 14326 हो गया और वर्ष 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 14683 हो गया था। इस तरह से हर साल यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। वर्ष 2020 में चूंकि लॉकडाउन था इसलिए अभी तक इसकी पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार नहीं हुई होगी या उस रिपोर्ट को नैशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी तक इंटरनैट पर डाउन लोड नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि यह ठीक है कि अपराधी अपना काम करेंगे क्योंकि अपराधी का काम है अपराध करना और सरकार का काम उसको पकड़ना लेकिन सरकार को अपराध से पहले ही इन बच्चियों को प्रोटैक्शन कैसे मिले उसके लिए कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। जहां सरकारी नौकरी के लिए कोई एग्जाम होते हैं वहां तो पुलिस की संख्या सैंकड़ों में चली जाती है कि हम नकल रुकवाएंगे। हम यहां भीड़ को इक्ट्ठा नहीं होने देंगे और जहां हमारी बच्चियां कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जाती हैं तो वहां चार पुलिस वाले भी नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात के लिए प्रदेश की महिलाओं को यह गारंटी दें कि जहां कहीं भी बच्चियों के कॉलेज और स्कूल्ज शहर से बाहर हैं वहां की बच्चियों की पढ़ाई और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करेंगे। अगर वहां पर बच्चियों की सुरक्षा पुख्ता होती है तो फिर इस तरह से कोई भी अपराधी अपराध नहीं कर पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक निवेदन और करूंगा कि जो इस तरह के अपराध होते हैं उनको धर्म के साथ न जोड़कर सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे से कोई इस तरह का अपराध न कर सके। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ ही फास्टट्रैक की बार–बार यहां चर्चा हुई थी। कोई ऐसी फास्टट्रैक कोर्ट जरूर बनाई जाए जिसमें इस तरह के केस को दिया जा सके और जिन लोगों ने

इस तरह का घिनौना कार्य किया है उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे लगता है कि सदन थोड़ा लम्बा चल सकता है क्योंकि पहले तो यह था कि सदन दो बजे तक चलेगा तो हमने भोजन की व्यवस्था नहीं की थी। अगर सदन लम्बा चलेगा तो आपकी राय हो तो हम भोजन की व्यवस्था कर लें।

आवाजें : अध्यक्ष महोदय, भोजन की व्यवस्था कर ली जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हम सभी सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से रेप वगैरह के केसिज में डैथ सैंटैंस दिया जाएगा। मैं यह खाली इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूं। ऐसी कितनी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हुआ है और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। सरकार ने इस बारे में एक बिल भी पास किया था। बताया गया है कि ऐसे लगभग 808 केसिज ही हुए हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि 12 साल से कम उम्र की ऐसी कितनी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हुए हैं। इस पर जो बिल पास किया गया था क्या उसके तहत उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है?

गृह मंत्री(श्री अनिल विज) : बहन जी, यह सैपरेट जानकारी है इसके लिए आप मुझे लिखकर दे देंगी तो भी मैं उस जानकारी को प्रोवाईड करवा दूंगा। इस वक्त प्रदेश का जो बहुत महत्वपूर्ण केस है जिसने सारे देश की आत्मा को हिलाया है, वह निकिता मर्डर केस है। हम इस केस की बात कर रहे हैं और अभय जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है उसके बारे में भी विषय उठाया है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बहुत गम्भीर है। महिलाओं के केसिज डील करने के लिए 33 वूमैन पुलिस स्टेशन खोले गए हैं ताकि वहां महिलाएं पूरी आजादी के साथ अपनी बात कह सकें। वुमैन हैल्पलाइन नम्बर 1091 खोली गई है। डिवीजन लैवल पर वूमैन हैल्प डैस्क स्थापित किए गए है। वूमैन हैल्पलाईन नम्बर 1091 पर शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार दुर्गा शक्ति ऐप बनाई गई है जिसको अब तक 216300 महिलाओं ने डाउनलोड किया है। इस ऐप पर कोई भी महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। कहने का मतलब यह है कि सरकार महिलाओं की

सुरक्षा के प्रति बहुत ही सीरियस है। अध्यक्ष महोदय, अभी नीरज शर्मा जी ने जिस केस की बात की है, यह केस महिलाओं के साथ होने वाले अन्य अपराध के केसिज से कुछ अलग हटकर है। इस मामले में जो एस.आई.टी. गठित की गई है, मैंने उस एस.आई.टी को समाचार पत्रों में आने वाली खबरों तथा निकिता के माता पिता की कथनी के आधार पर, इस केस को लव–जिहाद के एंगल से जांच करने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से केसिज आ रहे हैं जिनमें लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और निःसंदेह ऐसे केसिज के बारे में हमें गम्भीरता से सोचने व कार्रवाई करने की जरूरत है। मैंने जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक ऐसे केसिज का रिकॉर्ड मांगा है जिनमें दूसरे धर्मों में लड़की की शादी हुई हो और उनका धर्म बदलवा दिया गया हो और यह भी आंकड़े इक्ट्ठा करने के निर्देश दिए हैं कि धर्म बदलवाने के बाद क्या वह लड़की शांति से रह रही है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस केस की बात है, इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस केस के दोनों आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का काम किया है। इस केस में जो मुख्य आरोपी तौसीफ है वह एक मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वर्ष 2018 में भी इसी लड़के तौसीफ ने उस लड़की के साथ कोई हरकत की थी जिसकी वजह से एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी लेकिन लोगों के दबाव के कारण उस एफ.आई.आर. को वापिस ले लिया गया था। मैंने इस केस में गठित एस.आई.टी. को कहा है कि वे इस केस की जांच वर्ष 2018 से शुरू करें और उन हालातों तथा लोगों का पता लगायें जिन्होंने निकिता के माता पिता पर दबाव डालकर केस वापिस करवाया था। अध्यक्ष महोदय, ये लोग चाहे कोई भी हों हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया है। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया है बल्कि मैंने तो यह कहा है कि इस केस का आरोपी मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। जिस तरह की बात हुड्डा साहब कह रहे हैं उससे तो चोर की दाड़ी में तिनके वाली बात हो गई। मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर

आप चाहें तो रिकॉर्ड निकलवाकर देख लें तो सब कुछ क्लीयर हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड निकलवाकर देख लें इन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो तौसीफ नाम का व्यक्ति है वह मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। मंत्री जी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैने नाम नहीं लिया अगर नाम लेने की बात आई है तो मैं ऑन रिकार्ड कह सकता हूँ कि वह व्यक्ति हमारे हाउस के एक सदस्य से रिलेटिड है और उसका नजदीकी रिश्तेदार है। मैं यह बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और हुड्डा साहब, वह सदस्य आपकी पार्टी का ही एक सदस्य है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हुड्डा साहब डिनाई कर सकते हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वह व्यक्ति हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य का रिश्तेदार नहीं है बल्कि बी.एस.पी. के एक नेता का रिश्तेदार है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, इस केस से जुड़ा व्यक्ति तौसीफ दोनों अर्थात बी.एस.पी. के नेता और इनकी कांग्रेस पार्टी के सदस्य का नजदीकी रिश्तेदार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अपराधी तो अपराधी होता है चाहे वह किसी पार्टी के सदस्य का रिश्तेदार ही क्यों न हो। मेरा आग्रह है कि मंत्री जी ऐसे व्यक्ति के लिए अगर अपराधी कहकर बोले तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था बल्कि खुद हुड्डा साहब बीच में उठकर बोलने लग गए थे और कहने लगे कि मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है। ऐसा करके इन्होंने चोर की ढाड़ी में तिनके वाली कहावत को सिद्ध करके दिखा दिया। इनके मन में यही बात चल रही थी और उसी कारण हुड्डा साहब बिना वजह बोलने खड़े हुए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड निकलवाकर देख लीजिए तो सारी बात क्लीयर हो जायेगी।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, विज साहब ने अपराधी का नाम किसी राजनीतिक पार्टी के नाम के साथ नहीं जोड़ा है, अगर विज साहब ने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम जोड़ा भी है तो उस शब्द को प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायेगा लेकिन मेरा मानना है कि विज साहब ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2018 में निकिता अपहरण केस में जो लोग शामिल थे चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, जिसने निकिता के परिवार वालों पर दबाव डाल कर केस वापिस करवाया था उनको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय, यदि वह केस वापिस नहीं होता तो आज इस बच्ची की जिन्दगी बच सकती थी, इसलिए मैं वर्ष 2018 में दर्ज निकिता अपहरण का केस री–ओपन करवाऊँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि यह केस चिन्हित अपराध होने के कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जायेगा और हम हर प्रकार की मदद निकिता के परिवार को देंगे। निकिता के माता–पिता और भाई को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। निकिता के भाई ने गन के लाइसैंस की मांग रखी थी तो विभाग ने गन का लाइसैंस बनाकर दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस केस में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है और लीगल स्पोर्ट भी निकिता के परिवार वालों को मुहैया करवा रही है। अध्यक्ष महोदय, सब कुछ ठीक–ठाक रहा और सारे कानूनी पहलुओं को देखते हुए आज नहीं तो कल अति शीघ्र चालान पेश कर दिया जायेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषियों को जो भी इस संबंध में सजा मुकर्रर होती है उनको दी जायेगी। आज हमें इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेकर भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए क्योंकि आज निकिता इस जाल में फंसी है कल को हमारी अन्य कोई बेटी इस जाल में न फंस जाये। हमारे लिये सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि यह काम किसी संगठित योजना के तहत तो नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारी सरकार भी विचार कर रही है कि लव जिहाद के बारे में कोई न कोई कानून जरूर बनाया जाये। देश के अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की घटनाओं के बारे में कानून बनाने की चर्चा हो रही है, उन प्रदेशों से भी हम डिस्कस करेंगे। इस बारे में हिमाचल प्रदेश में कानून बना है तो मैंने उसकी भी एक कॉपी मंगवा ली है। आज हमें इस प्रकार के विषय पर विचार करना बहुत जरूरी है। कोई भी किसी से शादी कर सकता है और प्यार कर सकता है लेकिन प्यार और शादी के चक्र में फसाकर धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है तो उस साजिश पर रोक

लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हरियाणा सरकार को कोई भी कदम उठाना पड़े वह उठायेगी। छल, कपट, धोखा, प्यार, मंशा आदि से अगर किसी को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जायेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, इसलिए हरियाणा सरकार को इस विषय पर कोई भी कानून बनाना पड़े वह जरूर बनायेगी।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में बताया कि वे इस केस की जांच वर्ष 2018 से शुरू करवाएंगे । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । मेरा कहना है कि इस केस की गहराई से जांच करने से माननीय मंत्री जी को किसी ने नहीं रोका है । मैंने इस केस की जांच करने के लिए एस.आई.टी. गठित करने के लिए विनती की थी । इस केस में वर्ष 2018 में पुलिस विभाग के एक सीनियर ऑफिसर का नाम आया था । मैं यहां पर उस ऑफिसर का नाम स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यह भी जांच का एक विषय है । मेरा आग्रह है कि एस.आई.टी. आई.जी. या ए.डी.जी.पी. के लैवल पर गठित होनी चाहिए । अगर सरकार इस केस की निष्पक्ष जांच करना चाहती है और जब इस केस में पुलिस विभाग के एक सीनियर अधिकारी का नाम आ रहा है तो फिर मेरा प्रश्न है कि इस सरकार ने एस.आई.टी. निचले स्तर के अधिकारी के लैवल पर क्यों गठित की है ? दूसरा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेंगे । माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह केस अलग तरह का है । माननीय मंत्री जी सदन में यह स्पष्ट करें कि जिस परिवार ने 95 प्रतिशत अंक लेने वाली अपनी होनहार बेटी को खोया है क्या उस परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, मैं अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि उस परिवार की मदद के बारे में उन्होंने जो कहा था वे उस पर अवश्य विचार करें ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम इस पर विचार कर लेंगे ।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में आज एक घोषणा करनी है । आज प्रश्न काल के समय एक माननीय सदस्य का प्रश्न लगा हुआ था लेकिन उस समय वे माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे जिस कारण उनका उत्तर नहीं दिया जा सका । उन्होंने एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा प्लाटों के आबंटन में अनुसूचित

जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान के बारे में पूछा था । आज तक अनुसूचित जातियों के लिए इस तरह की कोई रियायत नहीं दी गई थी लेकिन हम समाज के कमजोर और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं । इसके लिए मैं सदन में एक छोटी–सी रियायत की घोषणा कर रहा हूं । मैं अनाउंसमैंट करता हूं कि प्लॉट्स के आबंटन या ऑक्शन में अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति प्लॉट खरीदता है और वह अलॉटमैंट के 3 साल के अन्दर अपने प्रोजैक्ट को शुरू कर देता है तो उसकी 10 परसैंट राशि छोड़ दी जाएगी ।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक क्लैरीफिकेशन चाहता हूं कि क्या औद्योगिक प्लॉट्स के आबंटन में पहले रिजर्वेशन की पॉलिसी थी और बाद में ओपन में कंवर्ट कर दिया गया ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई पॉलिसी हमारी जानकारी में नहीं है । ऐसा हो सकता है कि बहुत समय पहले ऐसी कोई पॉलिसी हो और बाद में उसे बंद कर दिया गया हो लेकिन हमारी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में इस तरह की किसी भी पॉलिसी को बंद नहीं किया गया है ।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पॉलिसी मेरे विचार से 80 के दशक में थी । अतः आप इस पॉलिसी को पुनः लागू कर दीजिए । इसके अलावा प्लॉट्स के आबंटन या ऑक्शन में अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा प्लॉट खरीदने पर आपने 10 परसैंट राशि छोड़ने की घोषणा की है । इसके बारे में मेरा कहना है कि आपने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए बहुत कम रियायत दी है । इसके साथ–साथ आपने इसमें 3 साल के अन्दर–अन्दर प्रोजैक्ट को शुरू करने की भी शर्त रखी है । इसके बारे में मेरा कहना है कि इस समयावधि में अगर वह व्यक्ति बैंक की किस्त जमा नहीं करवा पाया तो बैंक उस प्लॉट को अपने पास गिरवी रख लेगा और अनुसूचित जाति का व्यक्ति सरकार की इस पॉलिसी का लाभ भी नहीं ले पाएगा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ध्यान में यह बात ला दी है । अब हम इस पर जो भी विचार बनेगा उसको देख लेंगे ।

विभिन्न मामले उठाना

श्री अध्यक्ष : राम कुमार गौतम जी, अब आप अपनी बात रखें ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत इम्पोर्टैंट इशू पर बात करना चाहता हूं । आज माननीय मंत्री अनिज विज जी ने सदन में बहुत अच्छा जवाब

दिया है । मुझे उम्मीद है कि उस केस में सौ प्रतिशत कार्रवाई होगी । अध्यक्ष महोदय, कल सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे द्वारा विषय उठाने के बाद उसी समय जो घोषणा की थी उससे मैं उनका बड़ा कायल हो गया हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर और माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज को शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तो एकदम पुलिस भर्ती में 5 साल की एज रिलैक्सेशन की घोषणा ही कर दी थी । इससे मुझे बहुत अच्छा लगा । इससे हरियाणा के बहुत–से बच्चे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के मुरीद हो जाएंगे कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा करने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों ने आवाज उठाई है कि अभी पुलिस भर्ती में जो पोस्ट्स सरकार निकाल चुकी है उसमें एक रैक्टिफिकेशन करके ओवरएज्ड हो चुके अभ्यर्थियों को भी अप्लाई करने के लिए ऐलिजिबल कर दिया जाए । दूसरा मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और भारतीय जनता पार्टी से विशेष तौर से गुजारिश करना चाहता हूं कि हरियाणा में जो 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' का नारा चल रहा है इस नारे को बदल दिया जाए । इसको बदलकर 'हिन्दुस्तान एक हिन्दुस्तानी एक' या 'भारत एक भारतीय एक' या 'इण्डिया एक इण्डियन एक' कर दें । मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस नारे को अवश्य बदल देंगे । अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस देश की जो तबाही, बिगाड़, उजाड़ और नुकसान हुआ है वह जातिवाद, भ्रष्टाचार, ऊँच–नीच और धर्म के आधार पर भेदभाव की वजह से हुआ है और इनके कारण ही देश नरक की ओर जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश बहुत बड़ा देश था, एक महान् देश था, लेकिन ऐसी स्टेज आयी कि हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा और पता नहीं कौन–कौन यहां पर राज कर गया ? गुलाम वंश ने भी यहां पर राज किया है और अंग्रेजों ने भी राज किया है। छोटे–छोटे राज्य बन गये हैं और भाई को भाई मारने लगा। मैं चाहता हूं कि यह महान् देश दोबारा से महान् बने। इसमें जो जातिवाद, भेदभाव, भ्रष्टाचार और ऊंच–नीच की बीमारी है, उसको खत्म किया जाए। मैं भ्रष्टाचार के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आज यदि हम सारे देश में नजर डालें तो देखने को मिलेगा कि इस देश में बड़े–बड़े नेता वही हैं जिन्होंने खूब भ्रष्टाचार

किया है और आज भी करने में लगे हुए हैं और जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूंगा। सबसे बड़े नेता भी वही लोग हैं। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ फास्ट ट्रक अदालतें बनायी जाएं। वैसे तो इस बात की शुरूआत नेता से हो जाए तो ही अच्छा है क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। जिस प्रकार दिल्ली में निर्भया केस में किया गया था। उसी प्रकार ऐसे केसिज में डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। जैसे लालू प्रसाद यादव और जो दूसरे ऐसे कई पॉलिटिशिंज हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपये लूट रखे हैं और बड़े नेता भी वही हैं क्योंकि वे जात–पात का जहर फैलाते हैं।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, प्लीज, आप अपनी बात ब्रीफ में रखें।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं सभी बातें सही कहूंगा, कोई भी गलत बात नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आप सही बात ही कह रहे हैं, परन्तु अपनी बात ब्रीफ में रखें।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। जो ईमानदार ऑफिसर्ज हैं, उनको ही एस.पी., डी.सी., आई.जी., डी.जी. पी. और दूसरी बड़ी–बड़ी पोस्ट्स पर लगा दें। इससे पब्लिक में अच्छा मैसेज जाएगा और आपका राज भी बढ़िया चलेगा। आप भ्रष्ट ऑफिसर्ज को एग्जाम्पलरी पनिशमैंट दें। उनको जबरन रिटायर करें या उन पर केस दर्ज करवाएं और उनके खिलाफ एक्शन लें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस समय सारे देश में बहुत ही जबरदस्त मिलावट का सामान बेचा जा रहा है। जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आप विषय पर ही अपनी बात रखें।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आप सभी विषयों पर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा समय हो जाएगा।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को ध्यान से सुने। मेरी एक–एक बात कीमती है और बहुत ही जल्दी मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आज जो बात कर रहे हैं, वे बहुत लम्बे विषय हैं और ये सभी विषय एक ही दिन में समाप्त नहीं हो सकते।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गौतम जी, सारे विषय एक दिन में नहीं रखे जा सकते। आपको इसके लिए नोटिस देना चाहिए था कि आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी हैं। मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं इर्म्पोटैंट बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, हर माननीय सदस्य इर्म्पोटैंट बात ही कहता है। आपको अपनी बात इर्म्पोटैंट लगती है, उनको अपनी बात इर्म्पोटैंट लगती है और किसी को दूसरी बात इर्म्पोटैंट लगती होगी। जो विधान सभा के नियम है, कानून हैं और जो परम्पराएं हैं, उन्हीं के अनुसार सदन चलता है। आप ऐसे ही बीच में उठकर सारे देश की चर्चा आज के दिन ही समाप्त नहीं कर सकते। आप किसी स्पेसिफिक विषय पर ही बोलें।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, दूसरे माननीय सदस्यों ने 15–15 मिनट तक अपनी बात रखी है। मैं सिर्फ एक मिनट में ही अपनी बात रख दूंगा।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, दूसरे माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखने के लिए संबंधित विषय पर पहले नोटिस दिया था, आपको भी अपने विषय पर बोलने के लिए पहले नोटिस देना चाहिए था।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्य को बोलने के लिए 10–15 मिनट का और अतिरिक्त समय दे दें।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले मीटिंग के दौरान कहा था कि आप मिलावट के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएं। हजारों क्विंटल नकली घी, नकली दूध और नकली मावा बेचा जा रहा है। हर चीज मिलावट करके बेची जा रही है। आप ऐसे लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें। ऐसा नकली सामान बेचने वालों को चौराहों पर खड़ा करके उनको चीर देना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा जो

आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाई गई है, उस बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी गुजारिश की थी और एक उदाहरण भी दिया था कि हमारे मार्केटिंग कमेटी में 11 साल से एक कर्मचारी लगा हुआ था और वह मेरे पास रोता हुआ आया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मुझे दलाल कह रहा है कि तुझे 15 हजार रुपये सैलरी मिल रही है इसलिए तू मुझे 5 हजार रुपये दे दे और तुझे 10 हजार रुपये सैलरी मिल जाया करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि इस आउटसोर्सिंग पॉलिसी को बिल्कुल ही खत्म कर दो। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार बीच में दलालों को क्यों पाल रही है, इनको मत पालो। अध्यक्ष महोदय, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर लगे हुए कर्मचारियों को सरकार खुद सैलरी दे। मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, वह हमारे देश का गौरव है और यह अनेक भाषाओं की मां है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, संस्कृत भाषा के टीचर्ज की वर्ष 2009 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं हुई। वर्ष 2012 में हुड्डा साहब ने भी एक ऐसा कानून बना दिया था। उन्होंने तो संस्कृत भाषा को बिल्कुल ही खत्म करने की सोच ली थी। अध्यक्ष महोदय, इनके पिता जी भैंसवाल कलां के गुरूकुल में पढ़े हुए थे, फिर भी हुड्डा साहब ने संस्कृत भाषा को खत्म करने वाला कानून बनाया था। जिसकी वजह से सभी गुरूकुल बंद हो गये थे जबकि मेरा मानना है कि संस्कृत भाषा बहुत बढ़िया भाषा है लेकिन इन्होंने इस भाषा का सत्यानाश करके रखा दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, अब आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं उन लैक्चरार के बारे में इस महान सदन में बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) मुझे दो मिनट का और समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में बहुत ही कीमती बात रखना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए सिर्फ दो मिनट का समय और दे दीजिए। वर्ष 2018 में जो भर्ती हुई थी, उसमें संस्कृत लैक्चरार की लिस्ट लगना अभी बाकी है। उस लिस्ट को मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आप कमाल कर रहे हो। आप किसी बात की इम्पोर्टेंस को क्यों नहीं समझना चाहते हो? आप मुझे सिर्फ दो मिनट का समय और दे दीजिए ताकि मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सिर्फ दो मिनट का समय और दे दीजिए ताकि मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप हाउस को ऐसे हाइजैक नहीं कर सकते हो। आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) मेरी इजाजत के बगैर जो भी माननीय सदस्य कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, * * *

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, * * *

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) मेरी इजाजत के बगैर जो भी माननीय सदस्य कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप किस रूलिंग के तहत बोल रहे हो। क्या आपने बोलने के लिए मेरे से परमीशन ली है। पहले आप बतायें कि आप किस रूलिंग के तहत खड़े होकर बोल रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज सभी बैठ जायें।

———————————

———————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

सरकारी संकल्प

(कृषि कानूनों को पास करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद देने संबंधी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

"कि भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित तीन अधिनियमों नामतः कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, किसान (सशक्तिकरण तथा संरक्षण), मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन), 2020 को 27 सितम्बर, 2020 को अधिसूचित किया है। पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को, कहीं भी, और अपने मनपसंद मूल्य पर बेचने का विकल्प उपलब्ध करवाना है। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपनी फसल को बेचने के लिए कोई अनुबन्ध करता है। तीसरा अधिनियम कृषि विपणन को सरल करता है और केवल असाधारण परिस्थितियों में भण्डारण सीमा को लागू करता है। ये अधिनियम किसानों को अधिक सशक्त बनाएंगे और कृषि ढांचा मजबूत होने के साथ–साथ किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य कृषि विकास में देश में अग्रणी है इसलिए ये सुधार हरियाणा के किसानों के लिए बड़े अच्छे परिणाम लाएंगे। सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए सरकार किसानों को पुनः आश्वस्त करती है कि मण्डी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित रहेगी। इन अधिनियमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए यह सदन भारत सरकार का धन्यवाद करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

"कि भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित तीन अधिनियमों नामतः कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, किसान (सशक्तिकरण तथा संरक्षण), मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन), 2020 को 27 सितम्बर, 2020 को अधिसूचित किया है। पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को, कहीं भी, और अपने मनपसंद मूल्य पर बेचने का विकल्प उपलब्ध करवाना है। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपनी फसल को बेचने के लिए कोई अनुबन्ध करता है। तीसरा अधिनियम कृषि विपणन को सरल करता है और केवल असाधारण परिस्थितियों में भण्डारण सीमा को लागू करता है। ये अधिनियम किसानों को अधिक सशक्त बनाएंगे और कृषि ढांचा मजबूत होने के साथ–साथ किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य कृषि विकास में देश में अग्रणी है इसलिए ये सुधार हरियाणा के किसानों के लिए बड़े अच्छे परिणाम लाएंगे। सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए सरकार किसानों को पुनः आश्वस्त करती है कि मण्डी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित रहेगी। इन अधिनियमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए यह सदन भारत सरकार का धन्यवाद करता है।"

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई): अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि यह किसानों के हित में है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें किसानों के हित की कौन सी बात है। इसमें पहली बात यह कही गई है कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है। क्या आज इस बात पर कोई पाबंदी है ? आज मैं अपना गेहूं कहीं पर भी जा कर बेच सकता हूं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है फिर इसमें नई बात क्या है? इसमें दूसरी बात कांट्रैक्ट फार्मिंग की कही गई है। पहला एक्ट तो आपका यही कहता है कि किसान अपनी फसल को मनपसंद जगह पर कहीं भी बेच सकता है जबकि आज भी किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और कोई भी किसान कहीं पर भी अपना उत्पाद बेच सकता है। दूसरे एक्ट का उद्देश्य उस समय किसान को सुरक्षा प्रदान करना है जब किसान फसल को बेचने के लिए कोई अनुबंध करता है यानि कांट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरी बात इन्होंने कही है कि हम मंडी में किसान की फसल एम.एस.पी. पर खरीदेंगे। चौथी बात इसमें होल्डिंग की कही गई है। मैंने ये तीनो एक्ट पढ़े हैं और इन एक्ट्स में ये चार मुख्य बातें हैं। होल्डिंग को हम एक्सट्रा ऑर्डिनरी हालात में कभी भी रोक सकते हैं। इन एक्ट्स के अनुसार कोई कितनी भी होल्डिंग करे, कोई रोक नहीं है। यहां तक कि आलू और प्याज जो आम आदमी खाता है उनको भी इन्होंने होल्डिंग में असैंशियल कोमोडिटीज से बाहर निकाल दिया। आज आलू, प्याज और टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया है, यह उसका ही नतीजा है। आज दो मंडी बन गई हैं। एक तो मंडी यार्ड में बन गई है और दूसरी मंडी बाहर बन गई है। जो यार्ड से बाहर मंडी होगी उसको न तो कोई टैक्स देना पड़ेगा और न ही कोई पाबंदी होगी। इसका मतलब यह होगा कि किसान को डिस्ट्रैस सेल करनी पड़ेगी। इससे यह होगा कि जो कारपोरेट्स हैं, जो धनाढ्य हैं वे मनमाने भाव पर किसान का उत्पाद खरीदेंगे। जब किसान का उत्पाद आयेगा उस समय रेट कम हो जायेंगे और जब जमाखोरी हो जायेगी, जब डिमांड एण्ड सप्लाई की बात आयेगी उस समय रेट बढ़ जायेंगे। उस समय बेच कर वह मुनाफा कमायेंगे। मुनाफा व्यापारी कमायेगा और भुगतेगा किसान। इसमें दूसरी बात कांट्रैक्ट फार्मिंग की कही गई है। हम भी वर्ष 2007 में कांट्रैक्ट फार्मिंग का कंसैप्ट लेकर आये थे। MSP is like minimum wages of agriculture. यह कोई रिम्यूनरेटिव नहीं है। अगर सरकार इसमें

लिख दे कि किसान की फसल एम.एस.पी. पर बिकेगी तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तीन एक्ट बने हैं इनमें एम.एस.पी. का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। अगर इनमें कहीं पर भी एम.एस.पी. की बात लिखी हो तो हम इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास करवा देंगे। सरकार ने कहा है कि हम मंडी सिस्टम को कंटीन्यू करेंगे। यह तो यार्ड की बात है जो एम.एस.पी. पर खरीद होती है। केन्द्र सरकार 24 फसलों के एम.एस.पी. अनाउंस करती है। मैं आज इनकी रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूं। The Data from Agra Market - which is the portal of Agriculture Ministry says - Crops such like soyabeans, ragi maize and cotton are selling upto 30 % below MSP. इसी प्रकार से आप Economic survey of India के पेज न0 194 पर देख सकते हैं -

> "With the implementation of the National Food Security Act from July, 2013, the food subsidy bill has increased from 113171.2 crore in 2014-15 to 171127.5 crore in 2018-19. India's food management should focus on rationalisation of food subsidy."

जो आप गरीब आदमी को देते हैं। अब यह एक्ट आने के बाद उन्होंने क्या किया है। The Government made first move during the budget when it reduced food subsidy from 1,84,000 to 1,16000 crore. इसी प्रकार से एफ.सी.आई. की सपोर्ट को भी 1,51,000 करोड़ रुपये से घटा कर 78,000 करोड़ कर दिया है। जब तक एम.एस.पी. को असैंशियल नहीं बनायेंगे तब तक कोई एम.एस.पी. देने को तैयार नहीं होगा। वर्ष 2007 में हमने कांट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल पास किया था उसके क्लॉज 6 में हमने एक प्रावधान किया था, जिसका रैलीवेंट पार्ट मैं पढ़ कर सुनाता हूं –

> 'The agreed rate/contract rate shall not be less than minimum support price of the proceeding year. The buyer shall deposit an amount upto 15% of the total price of the agricultural produce as per agreed rate or minimum support price (if the rate is not agreed upon) or bank guarantee for the sum with the committee in which the land is situated as security. Where there is no minimum support price crop outside the MSP list and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the prevailing market rate…'

जो आज सरकार कह रही है धन्यवाद करो तो हम किसका धन्यवाद करें। किसान की सिक्योरिटी कहां है, किसान की प्रोटैक्शन कहां है? आपने पहले भी देखा है कि

किसान का टमाटर एक रुपये किलो बिक गया और आज टमाटर का भाव 50 रुपये किलो है क्योंकि अब होल्डिंग की पूरी इजाजत हो गई है। कोई भी फसल आयेगी तो किसान को डिस्ट्रैस सेल करनी पड़ेगी और उसकी इनवैस्टमैंट बढ़ जायेगी। किसान को कुछ नहीं मिलेगा और व्यापारी बीच में कमायेंगे। इस प्रकार से दो मण्डियों का सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करें, यह बिल तो ले ही आएं और इसके साथ साथ इसमें एक बात और जोड़ दें कि चौथा कानून भी बनाया जाए, जिसमें यह किया जाए कि अगर कोई भी एम.एस.पी. से कम रेट पर फसल खरीदेगा तो हम उसको सजा करेंगे फिर हमें यह कानून मंजूर है और हम इसका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज किसान की कोई प्रोटैक्शन ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोई प्रोटैक्शन नहीं है तो फिर किसान कहां जाएगा? अगर मुख्यमंत्री जी को यह मंजूर है तो हमें बताएं, नहीं तो जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है वह हमें नामंजूर है इसलिए या तो चौथा एक्ट लाया जाए या फिर इस प्रस्ताव पर पहले वोटिंग करवाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप लोग इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करना चाहते क्या? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, पहले वोटिंग करवाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, प्लीज आप सभी बैठ जाईये, अभी बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है। (शोर एवं व्यवधान) आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान) वोटिंग तो लास्ट में होती है। अभी तो सदस्य चर्चा करने के लिए खड़े हैं।(शोर एवं व्यवधान) आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं यह बात अलग है लेकिन दूसरे तो चर्चा करना चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह यादव जी इन बिलों पर बोलना चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, पहले आप सलाह कीजिए कि क्या करना है?

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। आप वोटिंग करवाईये। जो इसके समर्थन में है वह हाथ खड़ा कर लेगा।(शोर एवं व्यवधान) इसलिए आप पहले वोटिंग करवाएं उसके बाद चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय डॉ. रघुबीर सिंह कादियान सदन की वैल में गए।)

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, वोटिंग के बाद चर्चा होगी। आपको वोटिंग करवाने में क्या दिक्कत है? (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : हुड्डा साहब, आप पहले अपना तर्क दीजिए कि आपका क्या तर्क है? वोटिंग तो बाद में करवाएंगे।(शोर एवं व्यवधान) आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा नहीं करेंगे। हम इन बिलों का विरोध करते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल) : कादियान साहब, चर्चा करके जिसको जितना बोलना है बोलिये। (शोर एवं व्यवधान) उससे पहले वोटिंग का क्या मतलब है। क्या आप हमारी बात भी नहीं सुनोगे?(शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, सारी बात सुनने के बाद वोटिंग की तो लास्ट स्टेज है।(शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप अपना तर्क दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) आप पहले चर्चा कर लें। आपके पास कोई तर्क नहीं है।(शोर एवं व्यवधान) आप टोटली किसान विरोधी है और किसान को बहकाने का काम कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य सदन की वैल में आए।)

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की स्थापना ही बहकाने के लिए हुई थी। (शोर एवं व्यवधान) मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि शादी में जिसको नाचना नहीं आता है वह घोड़ी की झप्पी भरता है और वही बात कांग्रेस के लोग सदन में सिद्ध करके दिखा रहे हैं। इनके पास कोई तर्क तो है नहीं इसलिए यह लोग सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आपको विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, मैं तो आज रात 12 बजे तक सदन की कार्यवाही चलाने के लिए तैयार होकर आया था लेकिन आप लोगों की एक्टिविटी देखकर ऐसा लगता है कि आप सदन की कार्यवाही को चलने ही नहीं देना चाहते हैं। (शोर एवं

व्यवधान) मैं तो सोचकर आया था कि आज हाउस की कार्यवाही रात 12 बजे तक चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए।)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य मुद्दे पर बात करने से बच रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो इन्हें अपने स्थान पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष चर्चा करने से भाग रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपको विपक्ष की बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, विपक्ष की बात सुनी जा रही है। मैं तो आज रात 12 बजे तक सदन की कार्यवाही को चलाने की सोचकर आया था लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा जिस प्रकार सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है उससे साफ पता चलता है कि विपक्ष मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रहा है। (शोर एवं व्यवधान) अगर विपक्ष वाकई चर्चा करना चाहता है तो यह चर्चा बैठकर की जाती है नारे लगाने से तो महज सदन का समय बर्बाद होता है।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सदन में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये जा रहे हैं, के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यदि नारे लगाने हैं तो सदन के बाहर लगाओ। सदन तो चर्चा करने के लिए होता है, नारे लगाने के लिए नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान) नारे तो जब एम.एल.ए. बने थे तब भी बहुत लगाये थे अब तो चर्चा करने का समय है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, आप लोगों को नारे नहीं लगाने चाहिए बल्कि सदन में चर्चा करनी चाहिए। आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए और सदन में जो विषय चल रहा है, उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं है। यह बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ। जिस प्रकार का आचरण विपक्ष द्वारा किया जा रहा है उससे मेरे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब आपने कल कहा था कि आप लोग रात के 12 बजे तक चर्चा करेंगे लेकिन आप लोग तो दिन के 12 बजने के कुछ समय बाद ही बात से

उलट गए हैं। मेरा अनुरोध है कि जो लोग सदन में चर्चा करना चाहते हैं कम से कम उनको तो चर्चा करने दी जानी चाहिए। श्री बलराज कुंडू जी तथा श्री अभय सिंह चौटाला जी चर्चा करना चाहते हैं, कम से कम उनका समय तो खराब न किया जाये, उनका हक क्यों मार रहे हो? बलराज कुंडू चर्चा करना चाह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अभय चौटाला जी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान) अभय जी, आप अपनी बात रखें। यह सब तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि इनके पास कोई विषय ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शुकन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ0 अभय सिंह यादव जी, आप सरकार द्वारा कृषि कानून के संबंध में लाये गये रैजोल्यूशन पर बोलना शुरू कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, भारत माता की जय बोलने वाले धरती को बेचने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आज सदन में वोटिंग के सिवाए कोई काम नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरविन्द्र कल्याणः अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बैठने के लिए कहें और सरकार की बात सुनने के लिए कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आप पहले इन्हें चुप तो करवाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढाण्डाः अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लालः अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार किसान विरोधी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता भी वैल में आकर बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप कृषि कानून के संबंध में वोटिंग क्यों नहीं करवा रहे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, इस तरह का आचरण संवैधानिक परम्परा के खिलाफ है। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, चर्चा के लिए प्रस्ताव आया है, इसलिए आप नहीं बोलना चाहते हैं तो दूसरे मैम्बर्ज को तो बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, नारेबाजी तो कहीं भी की जा सकती है लेकिन हाउस में तो सिर्फ चर्चा ही हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, पहले आप कृषि कानून के संबंध में वोटिंग करवाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, प्लीज आप सरकार के द्वारा कृषि कानून के संबंध में लाए गए रैजोल्यूशन पर चर्चा कीजिए और मेरे पास इस रैजोल्यूशन पर बोलने के लिए माननीय सदस्यों के नाम आये हुए हैं, इसलिए मैं किसी भी माननीय सदस्य का राईट डिनाइ नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए ही तो हाउस बना है। (शोर एवं व्यवधान) हर विधायक का हाउस में बोलने का अपना–अपना राईट होता है। मैं आप लोगों से बार–बार अनुरोध कर रहा हूँ कि पहले आप अपनी–अपनी सीटों पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

*1.54 बजे **(तत्पश्चात् सदन 15 मिनट के लिए *स्थगित हुआ तथा मध्याह्न पश्चात् 02.09 बजे पुनः समवेत हुआ।)**

(जैसे ही हाउस पुनः समवेत हुआ उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)

बैठक का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन 30 मिनट के लिए दोपहर के खाने के लिए और स्थगित किया जाता है ।

*2:09 बजे **(तत्पश्चात् सदन 30 मिनट के लिए *स्थगित हुआ तथा मध्याह्न प्रश्चात् 2:39 बजे पुनः समवेत हुआ ।)**

(जैसे ही सदन समवेत हुआ, उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर आसीन हुए।)

सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन स्थगित होने से पूर्व सरकारी संकल्प पर चर्चा चल रही थी क्योंकि उस पर प्रस्ताव पेश हो चुका है। अब श्री अभय सिंह यादव इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं तो वे मुझे अपना नाम दे दें।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बत्तरा जी ने एक अमैंडमेंट दी थी। उसका फेट क्या है ? हम चाहते हैं कि इस सरकारी प्रस्ताव पर पहले वोटिंग करवायी जाए।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, अभी मेरे पास रिटन में कोई अमैंडमेंट नहीं आयी है। अगर कोई माननीय सदस्य चर्चा के बाद रिटन में कुछ देना चाहें तो वह दे सकते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी अमैंडमेंट ही चर्चा कराने पर है। आप इस प्रस्ताव पर वोटिंग कब करवा रहे हैं ? मेरी मांग है कि इस विषय पर वोटिंग करवायी जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, मेरे पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई अमैंडमैंट नहीं आई है। यदि आपके पास कोई अमैंडमैंट है तो वह रिटन में दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा जी ने आपको एक अमैंडमैंट दी है, उस अमैंडमैंट का क्या फेट है? आप हमें उस बारे में बतायें। आपने उसको अलाउ किया है या नहीं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक जी, अभी मेरे पास रिटन में कोई अमैंडमैंट नहीं आई है इसलिए आप कोई अमैंडमैंट देना चाहते हैं तो रिटन में दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को कुछ समय के लिए और स्थगित कर दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, हाउस की बैठक की कार्यवाही तो समय के अनुसार ही चलेगी। जो माननीय सदस्य सदन के बाहर हैं, वे भी सदन में जल्दी ही उपस्थित हो जायेंगे। सदन को पहले ही 45 मिनट के लिए स्थगित किया जा चुका है। (शोर एवं व्यवधान) अब सदन में सभी सदस्य उपस्थित हो गये हैं इसलिए आप सभी सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें और वहीं से अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य सदन की वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य केन्द्र के नए कृषि कानूनों के समर्थन में लाए गए प्रदेश सरकार के ''धन्यवाद प्रस्ताव'' पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं इसलिए आप पहले सदन में वोटिंग करवाओ। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, आप हाउस के एक वरिष्ठ सदस्य हो और एक वरिष्ठ सदस्य को सदन की कार्यवाही को बाधित करना शोभा नहीं देता है। जब वोटिंग का समय आयेगा तो वोटिंग भी करवा दी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) पहले सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दीजिए। आप भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि बगैर चर्चा किए वोटिंग नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान) पहले सभी माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें ताकि आपको बोलने का पहले मौका दिया जा सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी संकल्प हाउस में पढ़ा है। हम उस सरकारी संकल्प की भाषा से संतुष्ट नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि ये लोग हमें चर्चा करने से नहीं रोक सकते हैं। इन्होंने जो फैसला करना है, वह करें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। (शोर एवं

व्यवधान) ये सभी सदस्य वैल में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब, बात यह है कि आप तांगे को घोड़े के आगे लगाने चाहते हो। किसी कानून में नहीं लिखा है कि बिना डिबेट किए ही वोटिंग की जाए इसलिए पहले आप डिबेट का हिस्सा बनिये उसके बाद आप चाहे तो वोटिंग करवा लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य केन्द्र के नए कृषि कानूनों के समर्थन में लाए गए प्रदेश सरकार के ''धन्यवाद प्रस्ताव'' पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मलिक साहब को कहना चाहता हूं कि चाहे तो ये अब डिबेट कर लें और चाहे 15 मिनट के बाद डिबेट कर लें परन्तु इन्होंने सदन से वॉक–आउट करने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ये लोग किसी भी विषय पर सदन में डिस्कशन ही नहीं करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप कल तो ऐसे कह रहे थे कि देर रात तक हाउस में चर्चा करेंगे और मैंने भी आपकी बात पर सहमति जताई थी कि ठीक है। हम सदन की बैठक की कार्यवाही रात 12 बजे तक करेंगे। मुझे लगता है कि अब आप वॉक–आउट करने की तैयारी में हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : हुड्डा साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा जो तीन नए कृषि कानून लागू किए हैं वे किसानों व किसानी के प्रति हितकारी हैं इसलिए आप इन तीनों बिलों पर चर्चा करने का काम करें। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से हुड्डा साहब को यह कहना है कि सारे का सारा हरियाणा प्रदेश उनकी बात को सुन रहा है। मेरा उनसे यह भी कहना है कि यहां पर इन अधिनियमों पर चर्चा के दौरान वे अपने तर्क रखें कि कैसे ये अधिनियम किसान के खिलाफ है। उसके बाद हम बतायेंगे कि कैसे ये अधिनियम किसान के हित में हैं? (शोर एवं व्यवधान) इस बात को पूरा हरियाणा सुन रहा है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा के मतदाता ने जिस प्रकार से कांग्रेस के माननीय साथियों को चुनकर यहां भेजा है वैसे ही हमें भी हरियाणा प्रदेश के मतदाता ने ही चुनकर यहां पर भेजा है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा प्रदेश का मतदाता इस बात को सुनने लग रहा है कि कांग्रेस के माननीय साथी क्या बात कह रहे हैं और हम क्या बात कह रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, हमने इन बिलों में अमैंडमैंट के लिए लिखकर दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, अभी तक आपने मुझे कोई अमैंडमैंट लिखकर नहीं दी है।

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, मेरे विचार से शायद यह इतिहास की पहली घटना होगी जब हाउस में किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष चर्चा करना चाहता हो और विपक्ष चर्चा करने से जवाब दे रहा हो। (शोर एवं व्यवधान) कहीं पर ऐसी घटना नहीं घटी कि किसी विषय पर विपक्ष चर्चा करने से भाग रहा हो। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष किसी भी विषय पर हमेशा चर्चा की डिमाण्ड करता है।

(शोर एवं व्यवधान) पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष यह कह रहा है कि हम चर्चा नहीं करते। (शोर एवं व्यवधान) लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, विपक्ष के माननीय साथियों को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बात को सुनकर सत्ता पक्ष का मन भी बदल जाये।

श्री अध्यक्ष : मेरा कांग्रेस के सभी माननीय साथियों से अनुरोध है कि वे कृपया करके अपनी–अपनी सीट्स पर जाकर एक–एक करके अपनी–अपनी बात को कहें।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित अधिकतर सदस्य वैल में आकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे।)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के मित्रों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि श्रीमान् हुड्डा साहब ने जो अभी विषय रखा उसको हम उस प्रस्ताव के विरोध में एक अमैंडमैट मान लेते हैं। उस अमैंडमैंट के ऊपर और जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर एक चर्चा करवा लेते हैं। उस चर्चा में जितने विपक्ष के लोग अपनी बात रखेंगे उतने ही सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी बात रखेंगे। यह हुड्डा साहब तय कर लें कि वे विपक्ष की तरफ से कितने माननीय सदस्यों को बुलवाना चाहते हैं? अभी तक श्री अभय सिंह चौटाला और श्री बलराज कुण्डु इन दो लोगों का बोलना तो तय है। ये दोनों माननीय सदस्य सत्ता पक्ष में नहीं हैं। हुड्डा साहब हमें बता दें कि वे अपनी पार्टी के कितने लोगों को बुलवाना चाहते हैं उतने ही लोग सत्ता पक्ष के बोलेंगे। उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद अगर उसके ऊपर वोटिंग करवानी होगी तो वोटिंग करवा ली जायेगी और अगर वॉयस वोटिंग करवानी होगी तो वह करवा ली जायेगी। इस

प्रकार से मेरा यही कहना है कि पहले चर्चा होगी उसके बाद ही वोटिंग करवाई जायेगी। अगर कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों को सदन की कार्यवाही में भाग लेना है तो खुशी से लें और अगर नहीं लेना है तो फिर स्पीकर साहब जाने उसमें मेरा कोई लेना–देना नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हड्डा : स्पीकर सर, मैं आपको रूल 183 पढ़कर सुनाता हूं–

> "183(1) When an amendment to any resolution is moved, or when two or more such amendments are moved, the Speaker shall, before taking the sense of the Assembly thereon, state or read to the Assembly the terms of the original motion and of the amendment or amendments proposed.
>
> (2) It shall be in the discretion of the Speaker to put first to the vote either the original motion or any amendment which may have been brought forward."

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ये जो बात कह रहे हैं यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं– "Before taking the sense of the Assembly thereon," पर सैंस लेने के बाद रूल 184 लागू हो जायेगा। रूल 184 कहता है कि –

> "When any resolution or amendment thereto involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the Speaker to divide the resolution or the amendment and put each or any point separately to the vote, as he may think fit".

इसका मतलब यह है कि डिस्कशन से पहले कोई वोटिंग नहीं हो सकती। आज तक किसी डैमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है जो हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं। ये अपनी अमैंडमैंट दें। हमें चाहे रात के 12 बजे तक बैठना पड़े हम उस पर डिस्कशन करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः ठीक है, सर। हम अपना अमैंडमैंट दे देते हैं।

(इस समय दस्तावेज अध्यक्ष महोदय को सौंपे गये।)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आपने जो दस्तावेज मुझे सौंपे हैं इसमें अमैंडमैंट नाम का कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है। आपकी तरफ से रैजोल्यूशन या प्रस्ताव आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, आप इसको उस रैजोल्यूशन के साथ क्लब कर दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बतरा जी को कहना चाहूंगा कि ये वकील हैं इसलिए इनको पता होगा कि क्लब हमेशा वे ही चीजें हो सकती हैं जिसकी सैंस एक जैसी हो लेकिन ये दोनों चीजें एक दम से विपरीत हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये अपनी अमैंडमैंट्स दे दें हम उनको कंसीडर कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, आप इन दोनों को ही रख लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, इसमें एक शब्द भी अमैंडमैंट का नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हम अपनी अमैंडमैंट आपके पास सब्मिट कर देंगे लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा समय दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, आज ऐसे सीनियर मैंबर द्वारा रैजोल्यूशन की कॉपी को फाड़ा गया है जिन्होंने स्वयं इस कुर्सी पर रह कर इस पद को सुशोभित भी किया है और मुझे तो दोनों बार और बाकी भी जो साथी चुन कर आए हैं उनको भी उन्होंने ही प्रोटम स्पीकर के नाते शपथ दिलवाई थी। अगर वे खुद ऐसा व्यवहार करेंगे कि सदन की वैल में जाकर रैजोल्यूशन की कॉपी को फाड़ेंगे तो हम लोग उनसे क्या सीखेंगे? आज पूरा हरियाणा इनको देख रहा है इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने सदन की गरिमा को तार–तार किया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हम इन कानूनों की प्रतियां विधान सभा में भी फाड़ेंगे और सड़क पर भी फाड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय यादव जी, आप इस रैजोल्यूशन पर चर्चा शुरू करें।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान) मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सभी अपनी–अपनी सीट पर बैठकर मेरी बात को सुन लें। सदन में बोलने का हक सभी का होता है इसलिए सभी को सुनना भी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सभी अपनी–अपनी सीट पर बैठ जाएं तभी मैं अपनी बात कह पाऊंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि सभी अपनी–अपनी सीट पर चले जाएं। हुड्डा साहब, अपने सदस्यों को समझा दें कि सीट पर बैठकर चर्चा होती है और चर्चा आप करना नहीं चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान) जो यह कहते हैं कि हम 8–8, 10–10 बार मैंबर बन कर आए हैं और स्पीकर भी रहे हैं, अगर वे ही सदन में इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे? आप लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम चर्चा नहीं करना चाहते।(शोर एवं व्यवधान) आप घर से तैयारी करके आया करो।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे जो प्रतिपक्ष के साथी अपनी सीटों पर खड़े हैं वे कृपा बैठ जाएं।(शोर एवं व्यवधान) मैं आपको सारी बातें बड़े प्यार से समझाऊंगा।(शोर एवं व्यवधान) वैसे ही सदन का बहुत समय बर्बाद हो चुका है।(शोर एवं व्यवधान)

15:00 बजे

श्री अध्यक्षः गोगी जी और प्रदीप जी आप सीट पर जाकर बैठिए। आपकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी तथा श्रीमती किरण चौधरी रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट संबधी शब्दावली लिख रहे हैं अतः आपका इस तरह से खड़े होने का कोई औचित्य नहीं है। आप प्लीज अपनी सीट पर जाकर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रैजोल्यूशन पर अमेंडमैंट लिख रहे हैं तो कांग्रेस के दूसरे सदस्यों को बैठ जाना चाहिए क्योंकि इनके वरिष्ठ सदस्यों को रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट की शब्दावली लिखने में इनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की झूठी बातें करके विपक्ष के लोगों द्वारा सदन को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, वास्तव में ये सब बातें विपक्ष के लोग पंजाब सरकार के लोगों को दिखाकर उन्हें खुश करना चाहते है और वे लोग यह सब देख भी रहे होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये मेरा कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा रैजोल्यूशन पर अमेंडमैंट लिखवा रहे हैं और श्रीमती किरण चौधरी उसे लिखने का काम कर रही हैं। अतः बाकी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) जिस तरह की कार्यवाही अब सदन में की जा रही है इससे

ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य घर से अच्छी तरह से तैयारी करके नहीं आ रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि उनके सीनियर लीडर रैजोल्यूशन में अमैंडमैंट लिख रहे हैं अतः बाकी सदस्यों को अपनी सीटों पर बैठ जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जायेंगे तो इससे सदन का समय ही बचेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप तो कानून के ज्ञाता हैं आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझायें कि जब सदन में स्पीकर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है तो सदन के सदस्यों को अपनी सीट पर बैठ जाना होता है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने अमैंडमेंट रैजोल्यूशन की एक कॉपी श्री अध्यक्ष को सुपुर्द की)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अमैंडमैंट ऑन रैजोल्यूशन को अलाउ करें?

श्री अध्यक्षः किरण जी, पहले मैं इसे पढ़ूंगा उसके बाद ही आगामी कार्यवाही संभव हो सकेगी। अभय सिंह यादव जी, अब आप अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप हमारे द्वारा दिए गए रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट को अलाउ करने का काम करें और इसे पढ़कर सदन में सुना दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, पहले मैं आप द्वारा लिखित में दिए गए अमेंडेड रैजोल्यूशन को पढ़ूंगा, उसके बाद क्या करना है, वह सोचा जायेगा। कागज को बिना पढ़े मैं आप जैसे थोड़े ही साइन कर दूंगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अमैंडमैंट ऑन रैजोल्यूशन को पढ़कर सुनाने में आपको क्या दिक्कत है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कृषि से संबंधित तीन कानूनों के लिए केन्द्र के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है और मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, बोलना चाह रहा हूँ लेकिन किरण जी मुझे

बार–बोर बोलने से बाधित कर रही है। यह सरासर गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप अमैंडमैंट ऑन रैजोल्यूशन पर सदन को बाधित करने का काम कर रही हैं लेकिन आपके द्वारा दी गई अमैंडमैंट में तो कोई अमैंडमैंट नज़र ही नहीं आ रही है। (हंसी एवं विघ्न)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य श्री भारत भूषण बतरा द्वारा अमेंडेड रैजोल्यूशन की कॉपी को वापिस ले लिया गया।)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सदन में जो विषय चल रहा है पहले उसको डिसाइड होने दिया जाये। अभय सिंह यादव जी बीच में बोलकर विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं किरण जी के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूँ इसलिए मेरा अनुरोध है कि मुझे बोलने से न रोका जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी, रैजोल्यूशन पर दी गई अमैंडमैंट को अलाउ करके उसे सदन में पढ़कर सुना दें तो इसमें मैं समझती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप एक वरिष्ठ सदस्या हैं और अच्छी तरह से जानती हैं कि किसी काम को करने का कोई सिस्टम होता है। आप लोगों द्वारा जो अमैंडमैंट ऑन रैजोल्यूशन दी गई है, पहले यह सारा रिकॉर्ड फाईल पर आयेगा और उसको अच्छी तरह से पढ़ा जायेगा और तब जाकर इसको अलाउ करने का काम किया जायेगा। अतः आप सदन की कार्यवाही को बाधित न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपको इस अमैंडमैंट को अलाउ करने में क्या दिक्कत है?(विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय हड्डा साहब को एक बात कहना चाहूंगा कि और वह यह है कि अभी हुड्डा साहब व इनकी पार्टी के दूसरे सदस्य रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट के विषय में सब बातें वर्बल कह रहे थे लेकिन अब उन्होंने

इन सब बातों को लिखित में दे दिया है। कागज में उतारने में समय लगा है न आपका? ठीक इसी प्रकार रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट को अलाउ करने का भी एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को एडॉप्ट करने में भी समय लगता है। इन्होंने तो बड़ी आसानी से बोल दिया है कि रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट पर वोट करवा दो। देखिये, बिना डिस्कशन के वोट नहीं हो सकता। पहले डिस्कशन होगी उसके बाद ही वोटिंग होगी।

श्री अध्यक्षः हुड्डा जी, आप एक बात अच्छी तरह से जान लें कि रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट पर वोटिंग बिना डिस्कशन के नहीं होगी।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली का नियम 183 पढ़िए तो आपके समक्ष सब कुछ क्लीयर हो जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपको पहले हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली का नियम 184 पढ़ना चाहिए तो आप व आपकी पार्टी के सदस्यों को भी सब कुछ क्लीयर हो जायेगा? (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 184 में स्पष्ट वर्णित है कि पहले डिस्कशन होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडाः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या पहले रूल 183 पढ़ा जाना चाहिए या रूल 184 पढा जाये? भला कही उल्टी गिनती करके कोई पढ़ता है क्या? अध्यक्ष महोदय, पहले रूल 183 पढ़ा जाना चाहिए। कादियान जी आप इनको रूल 183 पढ़कर सुनाओ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 183 को पढ़कर सुनाता हैः–

> "183 (1) When an amendment to any resolution is moved, or when two or more such amendments are moved, the Speaker shall, before taking the sense of the Assembly thereon, state or read to the Assembly the terms of the original motion and of the amendment or amendments proposed."

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अब आपने पढ़कर सुना दिया है बताओ इसमें वोटिंग का कोई जिक्र है? आपको बात को समझना चाहिए। सरकार अमेंडेड रैजोल्यूशन को सदन में डिस्कशन के लिए ले रही है और इस बात की तसदीक के लिए मैं आपको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 184 को पढ़कर सुनाता हैः–

> "184. When any resolution or amendment thereto involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the Speaker to divide the resolution or the amendment and put each or any point separately to the vote, as he may think fit."

अब तो सब क्लीयर हो गया है। आपको नियम 184 पढ़ना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, काग्रेस पार्टी की तरफ से रैजोल्यूशन में जो अमेंडमैंट किए गए है, मैं ही उनको पढ़कर सुनाती हूँ ताकि यह हाउस की प्रोसिडिंग्ज का हिस्सा बन सके और इनके बारे में सब को पता चल जाये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, पहले रैजोल्यूशन में जो आपकी तरफ से अमैंडमैंट की गई हैं उनको मेरे पास तो भेजो उसके बाद मैं उसको अलाउ करूंगा तभी तो वे हाउस की प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इसकी कॉपी आपको भी दे देंगे लेकिन पहले मैं अमेंडेड रैजोल्यूशन को सदन में पढ़कर सुना देती हूँ।

श्री अध्यक्षः किरण जी की कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, *****(विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, ऐसे थोड़े होता है। न तो अमेंडेड रैजोल्यूशन की कोई कॉपी मेरे पास आई है और न मैंने आपको बोलने के लिए अलाउ किया है और आपने अमेंडेड रैजोल्यूशन को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। रैजोल्यूशन देने का कोई प्रोसीजर तो होता होगा? जब रैजोल्यूशन दिया जाता है तो उसकी एक कापी चेयर के पास आती है और एक कॉपी रैजोल्यूशन देने वाले के पास होती है और किरण जी आपने बिना प्रोसीजर को फोलोअप किए अमेंडेड रैजोल्यूशन को पढ़ना शुरू कर

———————————————————————————————————

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

दिया। यह ठीक नहीं है। आप याद रखें कि आपकी अब कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, *****(विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, अब आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अगर आप अमेंडेड रैजोल्यूशन की कापी लेना चाह रहे हैं तो मैं यह कॉपी आपको सुपुर्द करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि इसको पढ़कर सुनाया जाये ताकि यह सदन के रिकॉर्ड में आ जाये।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती किरण चौधरी द्वारा अमेंडेड रैजोल्यूशन की एक कॉपी श्री अध्यक्ष को सुपुर्द की गई।)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपने अमेंडेड रैजोल्यूशन को पढ़ लिया है लेकिन मुझे भी तो इसका पढ़ना पड़ेगा। मैं इसको फाइल पर लेकर आउंगा और उसके बाद आगामी कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अब रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट की कॉपी आपके पास पहुँच गई है। अब आप ही इस पर फैसला कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन किरण जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लीयर बता देना चाहूंगा कि मैंने रैजोल्यूशन पर आपके द्वारा दी गई अमैंडमैंट को हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 184 के तहत स्वीकार कर लिया है और इसे नियम के आधार पर ही आगामी कार्यवाही की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हाउस इस तरह से नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान) पहले आप इस पर वोटिंग करवाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैंने आपको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 184 पहले ही पढ़ कर सुना दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, फिर किस रूल के तहत आपने हमारा रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट स्वीकार किया है? (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 184 के तहत ही स्वीकार किया है। (शोर एवं व्यवधान) डॉ0 अभय सिंह यादव जी, आप सरकार द्वारा कृषि कानूनों के संबंध में सदन में लाये गये समर्थन रैजोल्यूशन पर बोलना शुरू कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हाउस नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप कृषि कानूनों के संबंध में पहले रैजोल्यूशन पर वोटिंग करवाईये और फिर इस पर चर्चा करवाईयें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप तो पहले स्पीकर भी रह चुके हैं, इसलिए आप आज सदन में गलत परम्परा क्यों डाल रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान) रूल के मुताबिक बिना डिस्कशन के कोई भी वोटिंग नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, पहले आप वोटिंग करवाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आप लोगों द्वारा दी गई रैजोल्यूशन पर अमैंडमैंट मैंने स्वीकार कर ली है और रूल 184 के तहत इस पर डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग स्पीकर के आदेश को नहीं मान रहे हैं और न ही आप लोग स्पीकर को स्पीकर मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यगण को नेम करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाइये । वह सदस्य भी पार्ट ऑफ हाउस हैं, आप भी पार्ट ऑफ हाउस हैं । हम एक पार्ट को खुश करने के लिए दूसरे पार्ट को नाराज नहीं कर सकते । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने वैल में खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी ।)

आपको चर्चा करने से कोई नहीं रोक रहा है । आप हाउस में चर्चा करिये । आप हाउस में चर्चा करने से भाग क्यों रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान) आप हाउस में अपनी सीटों पर बैठकर चर्चा कीजिए । आपको जनता ने चुनकर इसलिए भेजा है ताकि आप हाउस में उनके हितों के लिए चर्चा कर सकें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों को सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। मैं सभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जो बिना परमिशन के खड़े हुए हैं, उनको वार्न कर रहा हूं कि वे अपने–अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) जो विपक्ष के माननीय सदस्य खड़े हैं उनको यह चेतावनी देता हूं कि वे अपनी–अपनी सीटों पर चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान) सभी विपक्ष के माननीय सदस्यगण, बैठ जाएं। जो विपक्ष के माननीय सदस्य खड़े हैं, मैं उनको फिर वार्न कर रहा हूं कि वे अपने–अपने स्थानों पर चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं पुनः सभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यगण जो खड़े हुए हैं, उनको वार्न कर रहा हूं कि वे अपने–अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाएं और सदन की मर्यादा बनाए रखें। अगर आप सब मेरे बार–बार वार्न करने के बाद भी अपनी सीटों पर नहीं बैठते हैं तो मैं सर्वश्री आफताब अहमद, अमित सिहाग, बलबीर सिंह, भारत भूषण बत्तरा, बिशन लाल, राव चिरंजीव, राव दान सिंह, धर्म सिंह छौक्कर, जगबीर सिंह मलिक, जयवीर सिंह, कुलदीप वत्स, माम्मन खान, मेवा सिंह, मोहम्मद इलियास, नीरज शर्मा, प्रदीप चौधरी, डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान, राजेन्द्र सिंह जून, श्रीमती रेणुबाला, श्रीमती शकुंतला खटक, श्रीमती शैली, शमशेर सिंह गोगी, सुभाष गांगोली, सुरेन्द्र पंवार और वरुण चौधरी को नेम करता हूं और इन सभी से निवेदन करता हूं कि वे हाउस से बाहर चले जाएं।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी नामित सदस्य सदन की वैल में खड़े रहकर नारेबाजी करते रहे।)

श्री अध्यक्षः कांग्रेस पार्टी के जिन माननीय सदस्यों को नेम किया गया है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे हाउस से बाहर चले जाएं।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के नेम किये गये सभी नामित सदस्य नाम लेने के बावजूद भी सदन की वैल में ही खड़े रहे और नारेबाजी करते रहे।)

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन 30 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

*3.20 बजे **(तत्पश्चात् सदन 30 मिनट के लिए *स्थगित हुआ तथा मध्याह्न पश्चात् 3.50 बजे पुनः समवेत हुआ।)**

सरकारी संकल्प पर चर्चा का पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब डॉ. अभय सिंह यादव सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा रिज्यूम करेंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं सरकारी संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न)

वॉक आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी पार्टी के जिन माननीय सदस्यों को आपने नेम कर दिया है उनको आप सदन में वापिस बुलायें और सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा से पहले वोटिंग करवायें।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मेरा आपको बार–बार यही कहना है कि सरकारी प्रस्ताव पर वोटिंग डिसकशन के बाद करवायेंगे क्योंकि अभी कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, आप कृपया करके रूल 183 को पढ़ें।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैं यह चाहता हूं कि पहले आप रूल 184 को पढ़ें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, अगर आप हमारी पार्टी के नेम किए गए सभी माननीय सदस्यों को सदन में वापिस नहीं बुलाते हैं और सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा

से पहले वोटिंग नहीं करवाते हैं तो मैं और श्रीमती किरण चौधरी भी इसके विरोधस्वरूप सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्रीमती किरण चौधरी सरकारी प्रस्ताव पर वोटिंग न करवाये जाने और उनकी पार्टी के नेम किये गये सदस्यों को सदन में वापिस न बुलाये जाने के विरोधस्वरूप सदन से वॉक–आउट कर गये।)

नेम किए गए सदस्यगण को वापिस बुलाने के लिए आग्रह

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आज सदन में सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है यह बहुत ही अहम है। जो विपक्ष है अगर आप उसको नेम करके सदन से बाहर कर देंगे तो फिर केवल सत्ता पक्ष के लोग ही रह जायेंगे जो इस पर चर्चा कर सकेंगे। इससे इसका सारे का सारा महत्व खत्म हो जायेगा इसलिए मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि कांग्रेस पार्टी के जिन माननीय सदस्यों को नेम किया गया है उनको वापिस बुलाया जाये और उनको यहां पर बिठाकर ही इस विषय पर चर्चा करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, कांग्रेस के माननीय सदस्यों को वापिस बुलाने में मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर उनके द्वारा वही पहले वाला सीन क्रियेट किया गया तो फिर मैं उनको वापिस नहीं बुला सकता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी प्रस्ताव पर वोटिंग डिसकशन के बाद ही होगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आप जो भी करें वह आपका फैसला होगा लेकिन मेरी आपसे यही रिकवैस्ट है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेम किये गये माननीय साथियों को वापिस बुलाकर ही सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करवायें। मैं सदन के नेता से भी कहूंगा कि वे स्पीकर साहब को ऐसा करने के लिए कहें। मेरा यह मानना है कि अगर यहां पर विपक्ष ही नहीं होगा तो सरकार द्वारा जो प्रस्ताव यहां पर चर्चा के लिए लाया गया है उसका महत्व ही समाप्त हो जायेगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी को यह कहना है कि मैं इस विषय में अपनी राय अध्यक्ष जी को दे चुका हूं। इसके अलावा हुड्डा साहब के साथ ही साथ मैंने अपनी राय सभी प्रमुख नेताओं को भी दे दी है कि कोई भी रेजोल्यूशन जब आता है अगर उस पर सारे का सारा सदन एकमत हो तो उसके ऊपर किसी भी चर्चा की जरूरत नहीं होती लेकिन जब हमें पता है कि किसी विषय पर सदन के माननीय सदस्यों की दो अलग–अलग राय हैं और जब दो अलग–अलग राय होंगी तो जब तक उस विषय

पर सदन में चर्चा न करवाई जाये तब तक हम यह कैसे तय कर सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है? अगर हम ऐसा करते हैं तो वह डैमोक्रेसी के विरोध में होगा। अगर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इस विषय पर वे चर्चा नहीं करना चाहते तो उस स्थिति में उनके बारे में यहां पर चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब इस विषय पर यहां पर चर्चा होगी चाहे कांग्रेस पार्टी का माननीय सदस्य सुनने वाला एक हो या दो हों या फिर कोई नहीं भी हो। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई माननीय सदस्य यहां पर सुनने वाला नहीं होगा तो फिर मीडिया और बाकी सब उपस्थित माननीय सदस्य सुनेंगे। हमारा मकसद इस सदन की बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना है। कांग्रेस के माननीय साथी तो यह चाहते हैं कि चित्त भी उनकी हो और पट भी उनकी ही हो। मेरा उनसे यही कहना है कि ऐसा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मैं आपको फिर से यही कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेम किये गये माननीय सदस्यों को हाउस में बुलाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ मीडिया की पब्लिसिटी के लिए हाउस के एजेंडा के ऊपर फिर से पहले वाला सीन क्रियेट किया तो मैं उसकी परमीशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरा तो बार–बार यही कहना है कि विपक्ष के बिना तो सरकार के इस प्रस्ताव का महत्व ही खत्म हो गया। अगर इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को ही चर्चा करनी है तो फिर उसे विधान सभा में लाने की जरूरत ही नहीं थी बल्कि इसके ऊपर पार्टी की मीटिंग में भी चर्चा की जा सकती थी।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन कांग्रेस पार्टी के माननीय साथी इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आपके सामने हमने उनको बार–बार यही कहा कि पहले आप सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा करें उसके बाद उस पर वोटिंग करवा ली जायेगी। अभय जी, आपने यह भी देखा है कि अभी–अभी हुड्डा साहब भी सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा से मना करके चले गये।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरा तो आपसे बार–बार यही अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय साथियों को हाउस में वापिस बुलाकर ही इस विषय पर चर्चा करवायें।

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से श्री अभय सिंह जी से यही कहना है कि वे कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार कर लें। अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो हम उनको वापिस बुलाने के लिए तैयार हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरा कांग्रेस पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इस सदन का एक मैम्बर हूं और इस नाते से यह मेरी जिम्मेदारी है कि अगर सदन के किसी भी मैम्बर को स्पीकर साहब नेम कर देते हैं तो उसको एक मौका और जरूर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस विषय पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो हम उनको वापिस बुलाने के लिए विचार कर सकते हैं। मेरा यह भी कहना है कि विधान सभा का यह सदन किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए ही बना हुआ है। यहां पर बैठकर हम मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आपने हाउस को एडजर्न किया। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो दो सदस्य सदन में उपस्थित थे आपको उनको बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए थी। आपको उनसे इस विषय में पूछना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हमने उनसे अपने चैम्बर के अंदर आधा घंटा बात की है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जब आपने हाउस को एक बार फिर से एडजर्न किया उस समय भी उनसे एक बार इस विषय पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हम तो इस विषय पर चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है अभय सिंह जी, अब आप कृपया करके बैठ जायें। डॉ. अभय यादव कृपया आप अपनी बात रखें।

सरकारी संकल्प पर चर्चा (पुनरारम्भ)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस एक्ट की मूल भावना से और एक्ट की आत्मा से परिचय करवाना चाहता हूं। मैं एक्ट में जो प्रावधान किये गये हैं उनके

बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के बारे में बार–बार कहा जाता है कि इससे जमींदारों की जमीनों पर कब्जे हो जायेंगे। एक्ट का सैक्शन 3 बहुत स्पष्ट रूप से यह कहता है कि फार्मिंग प्रोड्यूस के बारे में एग्रीमैंट होगा न कि जमीन के बारे में। यह भी बड़ा स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा हुआ है कि यह जमीन न तो मोर्टगेज होगी, न लीज पर दी जा सकेगी और न ही सेल होगी। किसी भी तरह से जमीन की मलकियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो फसल पैदा होगी उस प्रोड्यूस के बारे में एग्रीमैंट होगा। लोगों में यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मल्टी नैशनल कम्पनीज आ जायेंगी और वे जमीनों पर कब्जे कर लेंगी, यह बिल्कुल गलत है और एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्ट में बहुत स्पेसिफिकली यह लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्ट यह भी कहता है कि अगर जो कांट्रैक्टर जमीन लेता है उसका मिनीमम पीरियड एक फसल का है। एक क्रॉप या एक प्रोडक्शन साइकिल और मैक्सीमम पीरियड 5 साल का है। इस अवधि के दौरान उस जमीन में कांट्रैक्टर कोई मोडिफिकेशन नहीं कर सकता, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर उस जमीन पर वह कोई पक्का मकान बनायेगा तो कांट्रैक्ट समाप्त होते ही वह उसको हटायेगा और अगर कांट्रैक्टर उसको नहीं हटाता है तो कांट्रैक्ट पीरियड समाप्त होने के बाद में जो पक्का स्ट्रक्चर बनाया गया है उसकी ऑनरशिप भू मालिक के नाम हो जायेगी। इसके साथ ही एग्रीमैंट यह भी कहता है कि जमीन पर जो शेयर होल्डर है, जो मुजायरा है जो खेती करता है उसको भी बाकायदा एग्रीमैंट में शामिल किया जायेगा ताकि जो मुजायरे हैं, जो खेती कर रहे हैं उन लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। उनके हितों का भी एक्ट में ध्यान रखा गया है। इसके बाद एक्ट दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है। एक तो इसकी क्वालिटी और ग्रेडिंग कांट्रैक्ट में लिखी जायेगी कि यह किस ग्रेड का और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा जिसका कांट्रैक्ट हुआ है और उसकी कीमत पहले ही तय की जायेगी। यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि उस जमीन पर लोन लिया जायेगा। मेरे पास उस एक्ट की प्रति है मैं उसमें से ही पढ़ कर बता रहा हूं। इसमें कोई भी चैक कर सकता है। उसमें किसी भी तरह का यह परिवर्तन नहीं है कि कांट्रैक्टर उस जमीन पर लोन ले लेगा क्योंकि जब जमीन की ऑनरशिप ही ट्रांसफर नहीं होगी तो कांट्रैक्टर द्वारा लोन लेने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जो ग्रेडिंग होगी, जो उस प्रोड्यूस की क्वालिटी के बारे में पैरामीटर्ज

तय होंगे वे दोनों पार्टियों की सहमति से तय होंगे। इसमें साथ में यह भी लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र की एग्रो इकॉनोमी कंडीशन, क्लाइमेटिक तथा दूसरी कंडीशंज को ध्यान में रख कर ही उस प्रोड्यूस का ग्रेड तय होगा। गुरूग्राम, नारनौल, हिसार, रोहतक और सिरसा के टमाटर और आलू का ग्रेड एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंज अलग–अलग हैं। उस क्षेत्र की जमीन की जो नेचर है, जो क्वालिटी है और उसमें जिस तरह का प्रोड्यूस पैदा होता है उसके हिसाब से ही ग्रेडिंग तय की जायेगी। उस ग्रेडिंग के लिए भी इस एक्ट में यह प्रावधान है कि एक थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन होगी, मॉनिटरिंग होगी। दोनों पार्टियों से बाहर की एक पार्टी होगी जो उसकी मॉनिटरिंग करेगी तथा मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बाद वह उस प्रोड्यूस का ग्रेड देगी। इसके बाद जहां तक कीमत की बात है तो कीमत के बारे में एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि एक्ट में एक्सप्लिसिटली यानि बड़ा क्लीयरली मैन्शन होगा कि प्रोड्यूस की कीमत एग्रीमैंट में तय होगी। अगर कीमत में कोई वैरिएशन आती है तो एग्रीमैंट यह कहता है कि मिनीमम इतनी कीमत फिक्स होगी। एक्ट कहता है कि A guarantee price to be paid for such produce. कहने का मतलब यह है कि एक्ट में एक अमाउंट तो क्लीयरली मैन्शन हो गया कि यह अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा क्वालिटी और ग्रेडिंग को देख कर अगर अन्य कोई वैरिएशन अलाऊ होती है, अगर कोई प्रोड्यूस बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी ग्रेडिंग का है तो उसकी वैरिएशन वाले पार्ट के बारे में रेट फिक्सिंग के बारे में एक्ट कहता है कि

16:00 बजे

> ”A clear price reference for any additional amount over and above the guaranteed price, including bonus or premium to ensure best value to the farmer and such prices reference may be linked to the prevailing price in specified APMC yard or electronic trading and transaction platform (ETTP) or any other suitable benchmark prices.”

मतलब जो मार्किट रेट होगा उसमें एक्ट का एक पार्ट यह कहता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें इलैक्ट्रोनिक ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग प्लेटफार्म बनाया जाएगा। वही इलैक्ट्रोनिकली रेट वगैरह फलॉट होंगे। इलैक्ट्रोनिकली ऑफर्स आएंगे और इलैक्ट्रोनिकली ऑफर्स दिये जाएंगे। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूज मार्किट कमेटीज यानि ए.पी.एम.सीज. हैं उनमें जो रेट प्रिविलेंट है उन रेटों को भी ध्यान में रख कर

यह रेट तय किये जाएंगे। एक मिनीमम गारंटिड प्राईस पहले ही एग्रीमेंट में इंश्योर्ड होगा जो किसान को देना ही पड़ेगा। जहां तक पेमैंट के टाईम की बात है। उस बारे में एक्ट यह कहता है कि उसकी पेमैंट डिलीवरी के समय दी जाएगी। एक केस में जहां सीड के लिए अर्थात बीज के लिए कोई प्रोड्यूस बनवाया जाता है तो उसकी 2/3 प्राईस तो डिलीवरी के समय दे दी जाएगी और 1/3 प्राईस सीड की सर्टिफिकेशन के बाद दे दी जाएगी। सर्टिफिकेशन में भी टाईम पीरियड है कि एक महीने के अन्दर–अन्दर सीड की सर्टिफिकेशन होगी और एक महीने के अन्दर उसकी रिमेनिंग पेमैंट मिल जाएगी। इसके बाद जहां तक डिलीवरी की बात है, जब किसान की फसल तैयार हो जाएगी तो उसके एग्रीमेंट में दो तरह के प्रावधान हो सकते हैं। एक तो यह कि जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो स्पोंसर है उसको डिलीवरी खुद लेनी है और दूसरा किसान को डिलीवरी देनी है। अगर किसान को डिलीवरी देनी है तो वह उसको नोटिस देगा और कंट्रैक्टर एक महीने के अन्दर–अन्दर वह उस किसान की फसल को उठाएगा। अदरवाईज अगर वह फसल नहीं उठाएगा तो वह जुर्माने का भागी होगा और एग्रीमेंट में दी हुई टर्म्ज के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो दूसरी बात है वह यह है कि अगर कंट्रैक्टर ने किसान से डिलीवरी लेनी है तो किसान कंट्रैक्टर को नोटिस देगा कि मेरी फसल तैयार है और मैं यह नोटिस दे रहा हूं कि आप एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर मेरी फसल को उठा लें और मेरी पेमेंट कर दें। इस तरह से वह कंट्रैक्टर उस फसल को एक सप्ताह के अन्दर उठाने के लिए बाउंड हो गया। The mode and manner of payment के बारे में भी मैं थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहूंगा कि इसमें The mode and manner of payment का तरीका है कि किस तरीके से पेमेंट देंगे और किस रास्ते से पेमेंट देंगे ? उसके बारे में इस एक्ट में दो जगह प्रावधान किया गया है। एक तो इस एक्ट के सैक्शन–6 का सब सैक्शन–4 है उसमें लिखा है कि-

> "The State Government may prescribe the mode and manner in which payment shall be made to the farmer under sub-section (3)."

स्टेट गवर्नमैंट रूल बनाएगी कि किस तरह से पेमैंट होगी। इसी एक्ट में जो सैक्शन–23 है उसमें भी गवर्नमेंट को पेमैंट के रूल मेकिंग पावर दी गई है। इसमें सैक्शन–23 भी स्पैसिफिक्ली यह कहता है कि **:-**

> "The mode and manner of payment to the farmer under sub-section (4) of section 6."

and these rules shall be made by the State Government मेरा इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक निवेदन है कि जब भी The mode and manner of payment का रूल बनाएं तो उसमें अगर मेरी बात उचित लगे तो इसमें एक बैंक गारंटी का प्रोविजन भी करवा दीजिए। उसमें जितने अमाऊंट का कंट्रैक्ट होगा कंट्रैक्टर उतने ही अमाऊंट की किसान को बैंक गारंटी देगा। ताकि वह एक तरफ से सुरक्षित हो जाए क्योंकि इसी एक्ट का जो सैक्शन–9 है वह बड़ा स्पैसिफिक्ली यह कहता है कि **:-**

> "A Farming agreement may be linked with insurance or credit instrument under any scheme of the Central Government or State Government or any financial service provider to ensure risk mitigation and flow of credit to farmer or Sponsor or both."

अगर फाईनैंशियल इंस्टीच्यूशंस को इन्वोल्व करके, इंश्योरैंस को इन्वोल्व करके कंट्रैक्ट किया जाता है तो दोनों तरफ से ही पेमैंट की गारंटी हो जाएगी और पेमैंट सिक्योर हो जाएगी। इस बात के लिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय, से निवेदन है कि इस पर विचार कर लिया जाए। अब अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी बताया है कि एक्ट का सैक्शन–8 बड़ा क्लीयरली यह कहता है कि **:-**

> "No farming agreement shall be entered into for the purpose of- any transfer, including sale, lease and mortgage of the land or premises of the farmer."

अर्थात किसी भी किसान की जमीन की सेल, मोर्टगेज या लीज का कोई एग्रीमैंट नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल प्रोहिबिटिड है और कांट्रैक्ट में केवल मात्र फार्मिंग प्रोड्यूज के लिए प्रोविजन है लेकिन फार्मिंग लैंड की कोई भी इंवोल्वमैंट नहीं है। जहां तक एग्रीमैंट को टर्मीनेट करने की बात है तो एग्रीमैंट सिर्फ दोनों पक्षों की सहमति से ही मोडिफाई व टर्मीनेट हो सकता है। अब बात आती है डिस्प्यूट्स के समाधान की। अखबारों के माध्यम से या इधर–उधर से स्टेटमैंट आती है कि विवाद को सुलझाने का जो प्रोविजन किया गया है, उससे सिविल कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन को 'बार' कर दिया गया है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि

विवाद को सुलझाने के लिए एस.डी.एम. को 'स्मरी डिसीजन पावर्ज' दी गई हैं ताकि किसान का मामला ज्यादा देर तक लटकता न रहे क्योकि अगर सिविल कोर्ट में मामला चला जायेगा तो सब जानते हैं कि वहां पर इशूज फ्रेम होने, एवीडेंसिज/काउंटर एवीडेंसिज आदि प्रोसैस में बहुत लंबा समय लगता है। इससे बचने के लिए तथा विवाद को जल्द से सुलझाने के लिए एस.डी.एम. को 'स्मरी डिसीजन पॉवर्ज' दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक्ट के सैक्शन–14 में विशेष रूप से यह भी वर्णित है किः–

> "Every order passed by the Sub-Divisional Authority under this section shall have same force as a decree of a civil court."

अर्थात सिविल कोर्ट की डिक्री की जो वैल्यू, 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड के बराबर हैं, वह पॉवर्ज एस.डी.एम. को दे रखी हैं। इसके अतिरिक्त एस.डी.एम. के अधीन विवादों को सुलझाने के लिए एक कांसिलिएशन बोर्ड बनाने का प्रावधान है। विवादों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के आदमियों को इस कांसिलिएशन बोर्ड में लेने की एस.डी.एम. को पॉवर्ज दी गई हैं। कांसिलिएशन बोर्ड में जो चेयरमैन होगा वह एस.डी.एम का कोई सब–आर्डिनेट आफिसर होगा जोकि विवाद को सुलझाने का काम करेगा और अगर उस आफिसर से विवाद नहीं सुलझता है तो फिर एस. डी.एम. को 30 दिन की समयावधि में विवाद को हल करना होगा। अतः केसिज की पैंडैंसीज का बिना किसी जायज वजह के शोर मचाना, मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेमैंट की बात है इसके लिए भी किसान के हितों की रक्षा के लिए कई प्रकार के पग उठाए गए हैं। अगर किसान की कोई पेमेंट स्पोंसर/कांट्रैक्टर की तरफ ड्यू है तो उसके लिए एस.डी.एम. निर्णय करते समय, पैंडिंग अमाउंट का डेढ गुणा पैनल्टी चार्ज लगा सकता है। इसक उलट यदि जिस बंदे ने खर्च किया है और उसकी पेमैंट फार्मर की तरफ ड्यू है तो उस बंदे ने जो एक्चुअल खर्चा किया है, वह उसकी रसीद पेश करेगा और सिर्फ वही रिकवरी फार्मर से की जायेगी। इसके बाद एरियर के संबंध में जो कंफ्यूजन है, की बाबत भी एक्ट में बड़ा इंटेलीजेंटली इस एक्ट के सैक्शन–15 में यह स्पेसिफिक प्रोहिबिशन किया गया है किः–

> "Notwithstanding anything contained in Section 14, no action for recovery of any amount due in pursuance of an order passed under that section shall be initiated against the agricultural land of the farmer."

कहने का भाव यह है कि यदि एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू भी डिक्लेयर हो गया है तो भी किसान की जमीन के अगेनस्ट कोई आर्डर पास नहीं किया जा सकता अर्थात् किसान की जमीन को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। इसके अतिरक्त स्टेट गवर्नमैंट को भी कई प्रकार की पावर्ज दी गई हैं और अन्य कई विशेष प्रकार के प्रावधानों का भी समायोजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज का जमाना ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ग्लोबलाइजेशन की ओपन इकोनोमी में हर पार्टिसिपैंट/स्टेकहोल्डर ने अपने आपको स्थापित करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, समय की मांग है कि आज हमारे किसान भाइयों को बनावटी सुरक्षा चक्र से निकाला जाये। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पहले गांव में जो लकड़ी काटने का काम करते थे या बाल काटने का काम करते थे वह सारा दिन काम किया करते थे और जमींदार उन्हें छः महीने में एक बार अनाज दिया करता था और उस समय यह होता था कि यदि जमींदार किसी काम से खुश नहीं हुआ या फिर किसी बात को लेकर या काम को लेकर जमींदार उस आदमी से बोलना बंद कर देता था तो उस आदमी को अपना घर चलाने की चिंता हो जाती थी। आज कोई भी आदमी गांवों–गांवों में घर–घर जाकर लकड़ी काटने, बाल काटने जैसे कोई काम नहीं करते हैं। सभी लोगों ने अपना–अपना काम धंधा सैटल कर लिया है और जिनके बाप–दादा सारी की सारी जिन्दगी भूखे–प्यासे सोया करते थे आज वे परिवार खुशहाल हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से निवेदन है कि अपनी–अपनी राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से चर्चा करना सबकी मजबूरी होती है लेकिन यदि वे कृषि कानून को गहराई से पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब तक किसान को खुले तौर पर मार्किट में नहीं लेकर आयेंगे तब तक किसानों का भला नहीं होगा। अभी भी कांट्रैक्ट फार्मिंग लगभग सभी प्रदेशों में हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब ने विधान सभा में एक कानून पास किया है कि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम फसल खरीदेंगे तो उनको तीन साल की सजा होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूँ कि इससे खतरनाक कानून नहीं हो सकता है। यदि मेरे विपक्ष के माननीय सदस्य पिछला रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर

खरीदने वाली फसल कि परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर किसान को मजबूरी में अपनी फसल मार्किट में बेचनी पड़ी तो वह मार्किट के रेट के हिसाब से ही बेचेगा। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल की 2000 हजार रुपये है और मार्किट रेट 1800 रुपये है तो खरीददार उसको नहीं खरीदेगा क्योंकि उसे डर लगेगा कि कहीं शिकायत हुई तो उसको सजा हो सकती है। इस प्रकार से किसान अपनी फसल बेचने के लिए कहां जायेगा? कौन उसकी फसल खरीदेगा? यह बात ठीक है कि राजनीति में पब्लिसिटी के लिए जल्दीबाजी में पंजाब राज्य की तरह काम करना पड़ता है, इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से विशेषकर विपक्ष के साथियों से जहां कहीं भी मेरी बात सुन रहे हैं वे खुले दिल और दिमाग से केन्द्र की सरकार द्वारा बनाये गये कृषि कानूनों को पढ़े और उन बिल्ज में किसानों के हित में जो–जो बातें हैं उन बातों को किसानों तक पहुँचाये। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सदन के नेता ने केन्द्र सरकार ने जो तीन कृषि कानून बनाये हैं उनके समर्थन में रैजोल्यूशन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें किसान यूनियनें न बनी हों। राष्ट्रीय स्तर पर भी किसान यूनियनें बनी हुई हैं। उस किसान यूनियनों में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास अपनी बहुत सारी जमीन हैं। छोटे–छोटे किसानों को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए वे निरंतर उनकी अगुवानी भी करते रहते हैं। हमारे देश में ऐसे किसान हैं जिन्हें न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी कृषि पर आधारित लोगों की मदद करने के लिए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनकी राय जानने के लिए बुलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब कृषि के संबंध में केन्द्र सरकार ने कानून बनाये या उससे पहले जब इन कानूनों का ड्राफ्ट तैयार किया, क्या किसी भी राज्य या राष्ट्रीय स्तर के किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया था? क्या उन किसान प्रतिनिधियों के सुझाव लिये गये थे? क्या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहां तक केरला जैसे दूर के राज्यों के किसानों ने इस तरह के कृषि कानून बनाने की कोई डिमाण्ड की थी? क्या किसानों ने एक दिन यह भी सोचा था कि हमारे लिए केन्द्र सरकार ऐसे कानून लेकर आयेगी जो बड़ी–बड़ी कम्पनीज हैं उनके अधीन होना पड़ेगा? क्या उन्होंने यह भी सोचा था कि उन बड़ी–बड़ी कम्पनीज के साथ कांट्रैक्ट फार्मिंग करके अपनी गर्दन उनके हाथ में पकड़ानी पड़ेगी? अध्यक्ष महोदय, देश के किसी भी राज्य की किसान

यूनियन ने इस तरह के कानून बनाने की कोई डिमाण्ड नहीं की थी। कहीं भी ऐसी कोई मांग नहीं आई थी कि कृषि को लेकर एक नया कानून बनाया जाये। इसके बावजूद लॉकडाउन के दौरान जब समूचा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ था उस समय इन कृषि कानूनों का ड्राफ्ट तैयार किया गया । उस समय समूचे देश में इन कानूनों पर कहीं पर भी न तो लोक सभा में, न राज्यसभा में और न ही किसी विधान सभा में पूर्ण रूप से चर्चा हो सकी । राज्य सभा में तो इन कानूनों को बिना बहस के ही पास करवा लिया गया । सारे देश की मीडिया के सभी लोगों ने कहा कि ऐसा पहली दफा हुआ है जब किसी बिल को राज्य सभा में बिना बहस के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पास करवाने का काम किया है और उस पर कोई बहस या चर्चा नहीं करवाई गई । अभी माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव कह रहे थे कि ये कानून बहुत अच्छे हैं । मेरा प्रश्न है कि अगर कानून अच्छे हैं तो फिर इन्होंने इनमें बैंक गारण्टी की मांग क्यों की ? अगर ये कानून अच्छे हैं तो फिर माननीय सदस्य यह सिफारिश क्यों कर रहे थे कि किसान की फसल की बैंक गारण्टी भी होनी चाहिए ? (विघ्न)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बात स्वयं कही थी । मैं माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव से कहना चाहता हूं कि ये अपनी सीट पर बैठ जाएं । मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे वे नहीं । (शोर एवं व्यवधान) यह बात रिकॉर्ड में है । इन्होंने कहा कि मेरी सरकार से एक सिफारिश है । अतः माननीय सदस्य को भी इस बात का डर है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपने माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव का नाम लिया है, इसलिए वे आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं । (विघ्न)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है, इसलिए इनकी बात का जवाब देना मेरी जिम्मेवारी है । हम भी किसान हितैषी हैं और मैंने यह बात इसलिए कही थी ताकि किसान को इन कानूनों के लागू होने के बाद जरा–सी भी रिस्क की शंका न रहे । मैं चाहता हूं कि किसान कम्पनीज के साथ सेफली कांट्रैक्ट कर सके । मैंने यह बात केवल किसान की सेफ्टी के लिए कही थी । इन बिलों में कोई कमी नहीं है । किसान के हितों की सेफ्टी जितनी ज्यादा होगी किसान के लिए उतना ही बेहतर होगा और एक्ट में इसका प्रोविजन भी है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही बात कह रहा हूं । माननीय सदस्य का कहना है कि वे भी किसान हैं और स्वयं भी खेती करते हैं । मेरा कहना है कि इनको भी यह डर सता रहा होगा कि कहीं इनका हक कोई खा न जाए, इसीलिए इन्होंने यह बात कही होगी । अगर माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव को ये कृषि कानून इतने ही अच्छे लग रहे थे तो इनको सदन में बैंक गारण्टी की बात कहने की आवश्यकता ही नहीं थी । (विघ्न) माननीय सदस्य किसान हितैषी नहीं किसान के दुश्मन हैं । अगर माननीय सदस्य किसान के हितैषी होते तो इन बिलों पर सदन में चर्चा करने की बजाय जे.जे.पी. के नेताओं की भांति किसानों के बीच में जाकर बैठते । मेरे विचार से आज जे.जे.पी. के माननीय सदस्यों की कोई मजबूरी है, इसीलिए वे सदन में इन बिलों के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं । (विघ्न) केन्द्र सरकार ने इन कृषि कानूनों को पास करके ऐसा काम किया है जिससे आने वाले समय में इस सरकार की तीन पीढ़ियां विधान सभा तो क्या पंचायत का दरवाजा भी नहीं देख पाएंगी । अतः सरकार किसी गलतफहमी में न रहे । कल हाउस में एक बात पर और चर्चा हो रही थी । सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था कि वर्ष 1955 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह कानून बनाया था । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कानून वर्ष 1955 में नहीं बल्कि वर्ष 1967 में बनाया गया था ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से यह कानून वर्ष 1955 में ही बनाया गया था । अतः वे इस बारे में क्लैरीफिकेशन ले लें ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, फसल की खरीद के बारे में यह सुझाव तो बेशक वर्ष 1955 में आया होगा लेकिन इसको लागू करने का काम पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1967 में किया था । जब श्री लाल बहादुर शास्त्री भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था । उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1967 में पहली बार एम.एस.पी. घोषित करके प्रिक्योरमैंट शुरू करवाई गई थी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उस समय जो कानून बनाया गया था उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट था कि खाद्यान्न, तेल, तिलहन, आलू, प्याज और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की जमाखोरी नहीं की जा सकती लेकिन केन्द्र सरकार ने उस कानून को भी खत्म कर दिया । अब कोई व्यक्ति आलू, प्याज, खाद्यान्न, तेल,

गेहूं, दाल, चने आदि हर खाने की वस्तु का स्टॉक कर सकता है। उसी का नतीजा है कि इन दिनों में किसान अपनी ट्रालियों में प्याज भरके गांव–गांव में जाकर आवाज लगाकर 5–7 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन वही प्याज स्टॉकिस्ट्स स्टोर कर लेता है और 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचता है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने जिस कानून को अमलीजामा पहनाया है, उसकी वजह से प्याज का स्टॉक हो रहा है। आज से 15 दिन पहले मैंने इस संबंध में अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि नासिक सबसे बड़ा प्याज का केन्द्र है और अबकी बार महाराष्ट्र में 20 लाख मीट्रिक टन ज्यादा प्याज पैदा हुआ है। 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा प्याज होने के बाद भी आज प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जब किसान के खेत से प्याज खरीदा जाता है तो वह 4–5 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा जाता है और वही प्याज मंडियों में आने के बाद जिन लोगों को आपने स्टॉक करने की छूट दी है, वे उसका स्टॉक करके उसी प्याज को 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रहे हैं। पहले कम भाव होने की वजह से लोग आलू को सड़क पर फैंककर जाते थे। आज भी सरकार के इस गलत कानून की वजह से किसानों को मजबूर होकर कम्पनी वालों को सस्ते रेट पर बेचना पड़ रहा है और कम्पनी वालों ने उसको अपने बड़े–बड़े कोल्ड–स्टोरेज में ले जाकर स्टॉक कर लिया है। अगर यह कानून बनाना ही था तो जिस ढंग से स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि हम छोटे–छोटे फॉर्मर्ज को कॉ–आपरेटिव सैक्टर्ज के माध्यम से उनके गांव में ही कोल्ड स्टोरेज/स्टोरेज बनाकर देंगे ताकि वे उसमें अपने माल को रख सकें। सरकार द्वारा पहले इन सब चीजों की व्यवस्था करने के बाद ही उस नियम को लागू किया जाना चाहिए था ताकि किसानों को सरकार पर भरोसा होता कि उनके प्रति सरकार की मंशा ठीक है। सरकार ने यह कानून तो पहले बना दिया, परन्तु किसानों को ये सारी फैसिलिटिज नहीं दी गयी है। इसके लिए अब तक किसी भी जगह पर चाहे वह कृषि विज्ञान केन्द्र हों या एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट हो, सरकार की तरफ से कोई इन्फर्मेशन नहीं दी गयी है। इस संबंध में यदि किसी ने अखबार के माध्यम से पढ़ लिया और संबंधित विभाग से इस बारे में कोई जानकारी जुटानी चाही तो उसको भी कोई जबाव नहीं मिला। मैंने भी स्वयं इस संबंध में हमारे राज्य के एरिया के साथ लगते हुए राजस्थान राज्य के संगरिया शहर के कृषि विज्ञान केन्द्र से जानकारी मांगी कि क्या आपके पास केन्द्र सरकार की तरफ से कानून बनाने से

पहले या कानून बनने के बाद कोई इन्फर्मेशन आयी है, जिसमें अढ़ाई एकड़, तीन एकड़ या चार एकड़ का किसान आपस में कॉ–आपरेटिव ढंग से केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पैसे से अपना कोल्ड स्टोरेज बना सकता हो या अपनी फसल को रखने के लिए स्टोर बना सकता हो, उसके लिए जमींन कहां से आएगी या जमींन कौन देगा ? मैंने यह भी पूछा कि क्या इन सभी चीजों के लिए आपके पास सैंट्रल गवर्नमैंट या स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से कोई लिखित में इन्फर्मेशन आयी है ? परन्तु उनके पास इस बात का कोई जबाव नहीं था। दूसरी तरफ सरकार ने इस कानून को बना दिया क्योंकि केन्द्र सरकार में आपकी पार्टी की मैजोरिटी है। पहले इस कानून को कांग्रेस पार्टी भी अपनी सरकार के समय में बनाना चाहती थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी सदा पूंजीपतियों के हाथों में खेलती रहती है। मुझे वह दिन आज भी याद है, जब वर्ष 2012 में केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वे इसी ड्राफ्ट को संसद में लेकर आए थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास मैजोरिटी नहीं थी क्योंकि अनेक दूसरे क्षेत्रीय दल ऐसे थे जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी इस समय सदन से बाहर चले गये। अन्यथा मैं उनसे यह जरूर पूछता कि क्या उनके बेटे ने स्वयं, जब इसी ड्राफ्ट को संसद में बिल के रूप में लेकर आया गया था तो उसका समर्थन किया था ? सरकार इस बात की जानकारी भी जरूर जुटा ले कि जब गुजरात प्रदेश में के.एफ.सी. वाले अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए गए थे तो उस समय वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी थे और उन्होंने उस कम्पनी का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी मल्टी नैशनल कम्पनी को अपने प्रदेश में इन्डस्ट्री नहीं लगाने देंगे। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के बेटे श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (जो उस समय सांसद थे) ने संसद में कहा कि हम के.एफ.सी. को इन्डस्ट्री लगाने के लिए अपने प्रदेश में इन्वाईट करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार है और वे उनको अच्छी क्वालिटी के आलू देंगे। इसके साथ ही साथ यह भी कह दिया कि हम उनको 24–24 इंच के आलू पैदा करके देंगे। उस समय लोकसभा मे विपक्ष की नेता स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी। उन्होंने हाउस में इस बात को लेकर उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि मजाक उड़ाना स्वाभाविक था। वहीं उन्होंने इस बिल का विरोध भी किया था। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल का विरोध कर रही थी। आज आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन कर रही

है। आज कौन सी किसान यूनियन ने आपसे आकर आग्रह किया था कि आप इस किस्म का कानून बनाओ, जिससे हमारी गर्दन ऐसे लोगों के हाथों में जाकर फंस जाये, जिससे कि हमें कोई भी न बचा सके। भारतीय जनता पार्टी बार–बार यह कहती है कि किसान की जमीन गिरवी नहीं रखी जायेगी। सरकार की तरफ से दिल्ली में वर्ष 2017 में एक कांफ्रेंस बुलाई गई थी। जितनी भी मल्टी नैशनल कम्पनीज थी, चाहे वह बिस्कुट बनाने का काम करती हो, चाहे वह के.एफ.सी. हो, चाहे वह McDonald's हो और चाहे वह पेप्सी हो, इन कम्पनियों के सी.ई.ओ. को दिल्ली बुलाया गया था और इसके अलावा उसमें दो किसान संगठन से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी बुलाया गया था। शायद एक व्यक्ति का नाम काका था, वह ब्रह्मामण जाति से संबंध रखता है और मध्यप्रदेश का किसान लीडर है। दूसरे व्यक्ति का नाम मान साहब था जो पंजाब प्रांत का किसान लीडर है। इन दोनों किसान लीडर को यह कहकर बुलाया गया कि हम इस कांफ्रेंस में किसानों से संबंधित फैसला लेंगे जिससे आने वाले समय में इनको बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मीटिंग खत्म करने का समय 3 बजे तक निर्धारित कर दिया गया और पौने तीन बजे तक उन दोनों किसान नेताओं की कोई बात नहीं सुनी गई। जब मीटिंग समाप्त होने के 15 मिनट बचे तो जो मान साहब थे, उनको इस बात का अहसास हो गया कि ये तो केवल तुम्हारी उपस्थिति में स्टैम्प लगवाना चाहते हैं। ये किसान के खिलाफ ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में किसान बर्बाद हो जायेगा। तब दोनों किसान नेताओं ने अंदर से कुंडी बंद कर ली और वहीं से शोर मचाकर के कहा कि जब तक आप लोग हमारी बातें नहीं सुनोगे तब तक हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। अगर कोई बाहर जायेगा तो या तो हमें इस गेट से बाहर फेंक कर जायेगा या फिर हमारे साथ मार पिटाई करके जायेगा ताकि हम पूरी बात प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से किसान भाईयों को रो कर बता सके कि हमारे साथ इस तरह की जबरदस्ती हुई है। आज केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार ने इस देश के किसानों के साथ मनमर्जी की है और देश में काला कानून के रूप में बिल लेकर आये हैं। हरियाणा सरकार आज अकेली बैठकर के उस बिल पर मोहर लगाना चाह रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा कि यह हरियाणा प्रदेश है, इसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी खेती नहीं की है, इन्होंने किसानों से कह तो दिया कि मैंने भी खेतों में हल चलाया है लेकिन मेरे

ख्याल से अगर मैं इनसे यह पूछ लूं कि किस महीने में कौन सी फसल में कितना पानी दिया जाता है तो शायद इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जायेगी। हमारे ऐसे बहुत से साथी है, जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है लेकिन ये (श्री मनोहर लाल) हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इसलिए इनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आज प्रदेश के 70 प्रतिशत किसान केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हरियाणा सरकार सदन में ''धन्यवाद प्रस्ताव'' लेकर आई है। मैं समझता हूं कि उसे वापिस लिया जाये और वापिस लेकर दो लाइनों का नया प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा जाए कि अगर केन्द्र सरकार किसान को सही मायने में मजबूत करना चाहती है तो फिर एम.एस.पी. की गारन्टी वाला नया कानून बनाया जाये। **(इस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, सरकार और उनके चहेतों की तरफ से आये दिन बार–बार यही ब्यान आते रहते हैं कि मंडियों में एम.एस.पी. पर फसलें खरीदने की जिम्मेवारी सरकार की है। अगर किसानों की फसलें एम.एस.पी. से एक रुपया भी कम रेट पर खरीदी जायेगी तो कल को हम रिजाइन दे देंगे। अगर आज ये लोग मंडियों में जाकर देखेंगे तो इनको असली धरातल का पता चलेगा कि एम.एस.पी. पर कोई भी फसल नही खरीदी जा रही है। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह राजस्थान से लगता है। केन्द्र सरकार कहती है कि किसी भी प्रदेश का कोई भी किसान अपनी फसल किसी भी प्रदेश में बेच सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ लगता हुआ राजस्थान का किसान अगर अपना नरमा और कपास ऐलनाबाद की मंडी में लेकर आता है तो उसकी फसल खरीदने से मना कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का किसान अगर अपनी धान की फसल करनाल की मंडियों, सोनीपत की मंडियों में और पानीपत की मंडियों में लेकर आता है तो उनकी फसलें भी खरीदने से मना कर दिया जाता है। दूसरे प्रदेश के किसानों की फसलें हरियाणा प्रदेश की मंडियों में एम.एस.पी. पर न खरीदी जाये इसलिए उन किसानों की फसलें खरीदने से रोकने का काम किया जाता है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि किसान अपनी फसल जहां मर्जी हो वहां ले जाकर के बेच सकता है और दूसरी तरफ उन किसानों की फसलें खरीदने से मना कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने स्वयं यह आदेश दे रखा है कि दूसरे प्रदेश का किसान हमारे प्रदेश की मंडियों में आकर अपनी फसल नहीं बेच सकेगा। इसका तो सीधा मतलब है कि आप अपनी मनमर्जी से किसान की फसल को बिकवाओगे और

किसान की फसल बिजवाने का काम करोगे। आपने तो किसानों से अपनी मनमर्जी की फसल बिजवाने के लिए भी बहुत जोर लगाया था। आपने किसान से मक्का बिजवा दिया। मक्का बीजने वाला किसान आज रोता हुआ घूम रहा है। आज उसका मक्का बाजार में बिकने के बजाये 800 या 900 रूपये प्रति क्विंटल के रेट के हिसाब उसको फैंक कर आना पड़ता है। डिप्टी स्पीकर सर, सी.एम. साहब ने भी बरोदा में यह भाषण दिया था और कहा था कि अगर एम.एस.पी. से नीचे एक दाना भी बिक गया तो मैं उसी समय रिजाईन कर दूंगा। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ये मेरे साथ प्राईवेट गाड़ी में बैठकर हरियाणा प्रदेश की किसी भी मण्डी में चले तो मैं इनको वास्तविक स्थिति से अवगत करवाउंगा। अगर मुख्यमंत्री जी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर जायेंगे तो सम्बंधित विभाग द्वारा वहां पर 8–10 किसान ऐसे खड़े कर दिये जायेंगे जो यह कहेंगे कि उनकी फसल ठीक रेट पर बिक रही है। जब प्राईवेट गाड़ी में जायेंगे तभी वास्तविक स्थिति का पता चल पायेगा। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे तो वहां पर सैंकड़ों किसान ऐसे खड़े हो जायेंगे जो यह कहेंगे कि उनका बाजरा मण्डी में पिटा पड़ा है और धान कोई खरीद नहीं रहा है। आज किसान की धान को कोई पशु नहीं खा रहा है। इतने बुरे हालात हैं। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर यही कहूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापिस लेकर दूसरा प्रस्ताव भेजे जिसमें इन तीनों कानूनों के प्रति विरोध दर्शाया जाये ताकि प्रदेश के किसान को विश्वास हो सके कि प्रदेश की सरकार किसान का हित चाहती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ किया जायेगा। कांग्रेस के माननीय सदस्य तो फंसे हुए थे क्योंकि उनसे यहां पर वर्ष 2012 वाली घटना पर जवाब मांगा जा सकता था इसलिए वे तो सत्ता पक्ष के साथ भिड़कर नेम होकर सदन से बाहर चले गए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने उनको नेम करके गलती की है। होना तो यह चाहिए था कि उनको आज सारी रात बिठाकर रखना चाहिए था। उनको नेम करने की क्या जरूरत थी? वे नारे ही लगाते तो नारे लगाते रहते। सरकार द्वारा कम से कम उनकी पोल तो खोलने का काम किया जाता। सरकार द्वारा उनकी पोल खोलने का काम भी नहीं किया गया।

वॉक–आउट

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप कृपया करके वाईंड–अप करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : डिप्टी स्पीकर सर, कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की पोल भी नहीं खोली गई और न ही किसान की ही कोई मदद की गई है। मैं सरकार द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं इसीलिए मैं इस प्रस्ताव के विरोधस्वरूप सदन से वॉक आउट करके जा रहा हूं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला सरकारी प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर विरोधस्वरूप सदन से वॉक–आउट कर गए।)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी से यह कहना है कि वे हमारे सदन के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। लोकतंत्र का यह तकाजा है कि अगर सदन में कोई बात कही जाये तो कम से कम उसका जवाब सुनकर ही सदन से बाहर जाया जाये इसलिए इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर इनको सरकार का जवाब सुनकर ही जाना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य हैं वे तो बिना अपनी बात कहे ही सदन से चले गए लेकिन ये तो अपनी बात कहकर जा रहे हैं और उसके ऊपर सरकार की बात भी नहीं सुन रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी से बार–बार यही अनुरोध है कि इनको इनकी कही गई बातों पर सरकार का जवाब अवश्य सुनना चाहिए। हमारी एक–एक बात तर्क के साथ कही जायेगी।

श्री बलराज कुण्डु (महम) : डिप्टी स्पीकर सर, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आज सम्मानित सदन के बीच में जिस प्रकार का माहौल मेरे को देखने को मिला है वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि का इतना महत्वपूर्ण विषय और इस विषय पर जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो एक अनोखा खेल आज देखने को मिला है उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। मुझे इस बात का दुख है कि इस विषय के ऊपर जितना सीरियस होकर हमें चिंतन करना चाहिए था और इस पर विचार करना चाहिए था वह चिंतन और विचार न करके हमारे पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक–दूसरे को नीचा दिखाने का ही काम किया है और एक–दूसरे को जस्टीफाईड करने का काम किया है। अभी मैं सुन रहा था कि

सदन में माननीय शिक्षा मंत्री इस विषय पर सदन में चर्चा की बात कर रहे थे। आदरणीय बड़े भाई डॉ. अभय सिंह यादव जी ने इन तीनों एक्ट्स के पक्ष में बात की है। ये तीन एक्ट हैं जिनमें से पहला कानून जिसके बारे में सारी सरकार, मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े–बड़े नेता किसान को एम.एस.पी. की गारंटी देने की बात कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरोदा उप–चुनाव में त्यागपत्र तक देने की बात की थी। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी के हल्के की जो मंडी लगती है उसमें हम चुपचाप एक गाड़ी में बैठ कर चलते हैं और मैं इन्हीं के हल्के के किसानों की दशा दिखाता हूं। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर इनके हल्के के किसानों की फसल एम.एस.पी. पर बिक रही होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार का जो भी नेता कहता हो कि मेरे हल्के में एम.एस.पी. पर फसल खरीद हो रही है तो मैं उनके साथ गुप्त तरीके से चल कर दिखाने के लिए तैयार हूं। मैं यह भी दावा करता हूं कि अगर एक भी जगह पर एम.एस.पी. पर किसान की फसल की खरीद होती मिली तो इन बिलों के समर्थन में सबसे पहला जयकारा मैं लगाऊंगा। लेकिन इस बात की चिन्ता न करते हुए सरकार कहती है कि हमने ओपन मार्केट कर दी है। अब किसान जहां पर चाहे वहां पर जा कर अपनी फसल बेच सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान अपनी फसल को 10–15 किलोमीटर दूर जहां मंडी लगती है वहां पर बेचेगा या 200–250 किलोमीटर दूर जा कर बेचेगा? रोहतक और महम का किसान रोहतक और महम में अपनी फसल बेचेगा या पंचकुला ला कर बेचेगा? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले कौन सा कानून था जो किसान को दूसरी जगह पर अपनी फसल बेचने से रोकता था। पहले भी यह ओपन मार्केट थी। लेकिन अभी जैसे डॉ. अभय सिंह यादव जी ने बताया कि ऑनलाईन किसान अपनी फसल को बेच सकता है। आज ऑनलाईन क्यों किया जा रहा है, किसान से उसकी फसल की खरीद के लिए उसका ब्यौरा ऑनलाईन क्यों लिया गया है? यह तो मजाक बना रखा है। अपनी ही बात पर सरकार स्टैंड नहीं ले रही है। एक तरफ तो ऑनलाईन की बात की जाती है, किसान के पास मैसेज भेजा जाता है कि आप इतनी तारीख को इस मंडी में अपनी फसल को लेकर आईये। दूसरी तरफ कहते हैं कि किसान जहां मर्जी जा कर अपनी फसल बेच सकता है। यह किसान के साथ कितना बड़ा मजाक है। इस पर चिन्ता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो

धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आये हैं, सरकार कह रही है कि ये तीन एक्ट किसान के हित में हैं, किसान की खुशहाली के लिए हैं और किसान की आमदनी दुगणी करने के लिए हैं। सरकार का कहना है कि किसान अपनी मर्जी के रेट पर अपनी फसल को बेचे। मैं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक चीज का रेट तय हो गया कि यह चीज 10 रुपये की है तो ऐसा कौन सा मूर्ख व्यापारी होगा जो उसको 15 या 20 रुपये में खरीदेगा? जिस पर प्रिंट मार्क कर दिया, बाहर लिख दिया कि यह फसल इस रेट में बिकेगी तो उससे ज्यादा रेट देने वाला क्या कोई व्यापारी आयेगा? क्या बात की जा रही है? जो भी बात बोलो वह तथ्य के आधार पर और प्रैक्टिकल बात की जानी चाहिए। दूसरी बात कांट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है। कांट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया नाम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी कह रहे हैं कि एम.एस.पी. से ऊपर किसान की फसल को कौन खरीदेगा। मैं इनको बता रहा हूं कि सरसों का एम.एस.पी. 4400 रुपये प्रति क्विंटल है और आज के दिन मंडियों में सरसों 5500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह व्यापारी की सरसों बिक रही है, यह किसान की सरसों नहीं है। इस समय तो सरसों की बिजाई का समय है इसीलिए महंगी बिक रही है और जब किसान की सरसों मंडियों में आ जायेगी उस समय तो एम.एस.पी. पर भी नहीं खरीदी जाती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि आज बाजरे का एम.एस.पी. 2150 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान का बाजरा 1300–1400 रुपये प्रति क्विंटल पिटता फिर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वह राजस्थान का बाजरा होगा, वह बाजरा हरियाणा का नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वह बाजरा हरियाणा के किसान का है और आज भी किसानों के घरों में पड़ा हुआ है। जहां तक मंत्री जी कह रहे हैं कि वह बाजरा राजस्थान का होगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह बाजरा राजस्थान से किसने मंगवाया, वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही मंगवाया है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार ने 2,23,916 टन बाजरे की खरीद की है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस समय 2013 में कांग्रेस की सरकार थी उस समय बाजरे का एम.एस.पी. 1170 रुपये प्रति क्विंटल था और आज बाजरे का एम.एस.पी. 2150 रुपये प्रति क्विंटल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपको सत्ता में आये 6 साल हो गये हैं तो आप अपनी बात कीजिए कि आपने क्या किया है? मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? यह खबर आ चुकी थी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाजरा स्टॉक कर लिया है और उसको हरियाणा की मंडियों में ला कर बेचा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को जा कर दिखा सकता हूं कि कहीं पर भी बाजरा एम.एस.पी. पर नहीं खरीदा जा रहा है। अभी डॉ. अभय सिंह यादव जी तीन एक्ट्स के बारे में बोल रहे थे। मेरे पास पक्की खबर है कि रेवाड़ी और बावल के किसान रो रहे हैं और वे अपने बाजरे की फसल को 1300–1400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचने को मजबूर हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं जो भी बात करूंगा पूरी तथ्य के साथ करूंगा। मंत्री जी, आप और मैं दोनों भाई साथ चलेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश दलाल : कुण्डू साहब, आप यह एलीगेशन गलत लगा रहे हैं। किसान का बाजरा डायरैक्ट किसान से खरीदा जा रहा है और जिसकी किसान को डायरैक्ट पेमैंट भी की जा रही है।(शोर एवं व्यवधान) आप इसके बारे में गलत ब्यानी न करें।(शोर एवं व्यवधान) हम किसान के अलावा किसी और से कोई बाजरा नहीं खरीदते। हम डायरैक्ट किसान से खरीद करते हैं और उसकी पेमैंट भी हम डायरैक्ट किसान को ही करते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुण्डू : मंत्री जी, आप मेरे बड़े भाई हो। आप मेरे साथ चलने के लिए दिन फिक्स कीजिए। हम उसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे। हम प्राईवेट गाड़ी में बैठकर मास्क लगाकर बिना पी.एस.ओ. के चलेंगे। उसमें हमें कोई नहीं पहचानेगा कि मंत्री जी आए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश दलाल : कुण्डू साहब, आप हमारे भाई हो लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से भटक गये हैं और कांग्रेस पार्टी के चक्कर में आ गये हो।

श्री बलराज कुण्डू : मंत्री जी, आप मेरी बात सुनिये। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और मैं आपके एरिया की मंडियों में ही चलूंगा। जो मैं कह रहा हूं अगर वह बात झूठ निकली तो मैं वहीं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह सदन के सामने वायदा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कुण्डू जी, आप वाइंड्अप कीजिए।

श्री बलराज कुण्डू : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरी बात अधूरी रह रही है इसलिए मुझे अभी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री जयप्रकाश दलाल : कुण्डू साहब, आपको जनता ने पांच साल के लिए चुना है इसलिए अभी आप इस्तीफे की जल्दी न कीजिए।

श्री बलराज कुण्डू : मंत्री जी, मैं तो आपके साथ चलने के लिए कह रहा हूं। आप कोई भी दिन चुन लें, उसी दिन चल पड़ेंगे। जहां तक एम.एस.पी. की बात है अगर एम.एस.पी. से कम रेट पर बाजरा मिल रहा है तो फिर उससे ज्यादा में कौन खरीदेगा? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज पहली बार नहीं हो रही है। शाहबाद बैल्ट में आलू की फसल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती आ रही है। वह कम्पनियां किसानों पर चार–चार करोड़ रुपये का क्लेम कर चुकी हैं। वह कम्पनियां तरह–तरह की कंडीशंज लगाती हैं। जैसे कि यहां आलू के साईज की बात कही गई है। मंत्री जी, क्या आप पहले से यह बता सकते हैं कि आलू का क्या–क्या साईज होगा? आप कल अपने खेत में आलू बोइये और मेरे साथ बात कीजिए कि आप मुझे कितने ईंच का आलू देंगे? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि कितने साईज का प्याज होगा और कितने साईज का आलू पैदा होगा, किस साईज की लोकी पैदा होगी और किस साईज का टमाटर पैदा होगा?(शोर एवं व्यवधान) अभय यादव जी, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिये उसके बाद आप बोल लेना। अगर कोई किसान साईज की गारंटी ले सकता है तो आप मुझे बताईये। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे किसान के साथ मैं मुंह मांगे रेट पर एग्रीमैंट करूंगा।

डॉ० अभय सिंह यादव : कुण्डू साहब, दोनों पार्टियां बैठकर साईज के बारे में एग्रीमैंट करेंगी।

श्री बलराज कुण्डू : यादव जी, आप एक साईडिड एग्रीमैंट कीजिए। अगर कांट्रैक्टर चीटिंग करता है तो किसान को उस एग्रीमैंट को डिजोल्व करने का अधिकार है।

डॉ0 अभय सिंह यादव : कुण्डू साहब, आप कह रहे हैं कि किसान का चार–चार करोड़ रुपये बकाया है।

श्री बलराज कुण्डू : यादव जी, कम्पनीज ने किसान के ऊपर चार–चार करोड़ रुपये का क्लेम किया हुआ है कि एज पर एग्रीमैंट किसान ने उनको वह फसल नहीं दी जिससे उनकी फैक्ट्री का नुकसान हो गया है।

डॉ0 अभय सिंह यादव : कुण्डू साहब, इसीलिए ही इस एक्ट की जरूरत पड़ी है।

श्री बलराज कुण्डू : यादव जी, यह सेम एग्रीमैंट उससे भी खतरनाक है।

श्री अभय सिंह यादव : कुण्डू साहब, आपको यह वैसे ही लग रहा है।

श्री बलराज कुण्डू : यादव जी, आप मुझे यह बताईये कि जब एक–एक महीने से किसानों की फसल की पेमैंट नहीं हो रही है तो फिर आप कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? आप जिस एग्रीमैंट की बात कर रहे हैं? उसमें यह है कि किसान जो भी फसल पैदा करेगा उसको कम्पनीज 100 प्रतिशत तक खरीदेंगी। मंत्री जी, उसमें साईज की बात कर रहे है। वे किसान की फसल की गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वे किसान की पूरी फसल को खरीदेंगे।

शिक्षा मंत्री(श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी किसान की पेमैंट लेट हो रही है तो सरकार ने यह कहा है कि तीन दिन के बाद जो पेमैंट देंगे उस पर हम ब्याज देंगे। यह ठीक है कि पेमैंट लेट हो गई है लेकिन तीन दिन के बाद उस पेमैंट का ब्याज दिया जाएगा।

श्री बलराज कुण्डू : मंत्री जी, किसान को ब्याज कौन दिलाएगा?

श्री कंवर पाल : कुण्डू साहब, तीन दिन के बाद तो पोर्टल पेमैंट की राशि ब्याज सहित ही उठाएगा।

श्री बलराज कुण्डू : मंत्री जी, आप यह बताईये कि किसान को ब्याज कौन दिलाएगा?

श्री कंवर पाल : कुण्डू साहब, अगर तीन दिन से लेट पेमेंट है तो उसका ब्याज सरकार देगी।

श्री बलराज कुण्डू : मंत्री जी, क्या अम्बानी और अदानी जैसों के खिलाफ कोई एस. डी.एम. फैसला कर सकता है? क्या उनके खिलाफ फैसला देने की औकात एक एस.डी.एम. में है?

श्री कंवर पाल : कुण्डू साहब, हम अम्बानी और अदानी का जवाब भी अभी दे देंगे। आप पहले अपनी बात को खत्म कर लें।

श्री बलराज कुण्डू : उपाध्यक्ष महोदय, आज इन कृषि कानूनों में ऐसा प्रोविजन कर दिया गया है कि किसान इतना बेबस हो गया है कि वह एक सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकता। उसके बाद भी आप कहते हैं कि यह एक्ट किसान के बैनीफिट में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो खाद्य वस्तु अधिनियम है उससे किसान का कौन सा बैनीफिट हुआ है। अगस्त में यह बिल पास हुए हैं और अब लागू हुए हैं लेकिन अम्बानी और अदानी के एक–एक लाख मीट्रिक टन के वेयर हाउसिज को बने हुए तो चार–चार महीने हो गये हैं और उनके वेयर हाउसिज को बनाने का प्रोसैस चलते हुए तीन–तीन साल हो गये थे। वे वेयर हाउसिज कैसे बन गये? वह इसलिए बने क्योंकि यह प्लानिंग पहले की थी। अगर सच में ही किसान को बैनीफिट देना था तो कॉपरेटिव स्कीम लाकर किसानों के लिए वेयर हाउसिज बनवाते, कोल्ड स्टोरेज खुलवाते और किसान को कहते कि आप अपनी फसल को इसमें स्टोक कीजिये और अच्छे दाम लीजिये, तब तो हम मानते कि यह बिल किसान के हित में था। यह किस प्रकार किसान के हित में है जब अम्बानी, अदानी जैसे बड़े–बड़े ग्रुप एक–एक लाख मीट्रिक टन के वेयर हाउसिज बनाने के लिए पूरे प्रदेश के अन्दर पहले ही जमीन खरीद चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद कुण्डू साहब, आपको बोलते हुए 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है। आप अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के हितों से जुड़ा यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं कल से इस बात की इंतजार कर रहा था कि कब मुझे बोलने का मौका मिले और मैं इन तीनों कृषि कानूनों के विषय पर अपनी बात रखूं, इसलिए मुझे अपनी पूरी बात रखनी दी जाये। आज शाम को मुझे बोलने का मौका मिला है इसलिए मुझे अपनी पूरी बात रखनी दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों कृषि कानूनों से यदि एक फायदा भी हमारे किसान भाइयों को हो रहा है, तो उस फायदे को सदन के माध्यम

से बताया जाये। यदि सरकार या सरकार के मंत्री मुझे इन कृषि कानूनों का एक भी फायदा बता दें तो मैं भी सरकार के जयकारे लगाने के लिए तैयार हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी जोकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं और एक किसान के घर में पैदा हुए हैं। मैं उनकी सारी पृष्ठभूमि के बारे में जानता हूँ और इसी के मद्देनजर मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि यदि वे इन तीनों कृषि कानूनों से किसान के हित में होने वाला एक भी फायदा बता दें तो मैं भी उनके साथ सरकार के जयकारे लगाने का काम करूंगा। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह तीनों कृषि कानून किसान के हित के हैं और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के लोग सदन से भाग खड़े हुए हैं। कितनी अजीब बात है कि विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर डिबेट तक करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज यह एक इतिहास बन गया है कि किसान के हित के मुद्दे पर विपक्ष डिबेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बलराज कुंडू जी एक इंडीपेंडेंट सदस्य हैं इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार की बातें कही जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन को छोड़कर गए हैं, मैं नहीं गया हूँ? मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन को छोड़कर चले गए हैं तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार व सरकार के मंत्रियों को इस बारे में चेताना है कि क्या वे समझते हैं कि किसान हित में लाए गए तीनों कृषि कानून क्या वास्तव में किसान का हित करने वाले हैं? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी किसान के घर के पैदा हुए है मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि यदि इन कृषि कानूनों का एक भी फायदा किसान का हो रहा है तो उनको सदन में बताना चाहिए?

श्री कंवर पाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कुंडू जी को बताना चाहूंगा कि वह एक बार अपनी बात पूरी कर लें उसके बाद मैं इन कृषि कानूनों का फायदा सदन में बताउंगा।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे किसान की आय दुगुनी होगी। मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन तीनों कृषि कानूनों के साथ–साथ एक चौथा बिल भी लेकर आया जाये जिसमें एम.एस.पी. तथा किसान की पूरी

फसल खरीदने की गारंटी हो और इस बिल को सदन में पास करके केन्द्र सरकार को भेज दिया जाये। अगर ऐसा किया जायेगा तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कृषि से संबंधित काले कानूनों को किसानों पर थोपने का काम किया जा रहा है, ऐसा करके कहीं न कहीं यह सरकार किसानों को मारने का तथा किसानों के बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने की ही कोशिश कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के लगभग 70 विधायक साथी ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं और किसान की वोट लेकर इस सदन में पहुंचे हैं। ये विधायक अपनी आत्मा से पूछकर बता दें कि क्या ये तीनों कानून, किसानों के हित में है या विरोध में है? उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी का इतना भी अंध–भक्त नहीं होना चाहिए कि जिस किसान ने उनको वोट देकर इस सदन में पहुंचाने का काम किया है, उस किसान के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, उसके लिए आवाज भी न उठायें? मैं सदन के सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि वे सभी पार्टी के स्तर से उपर उठकर किसान हित के लिए अपनी आवाज उठायें। आज का जो यह मसला है यह अन्य सभी विषयों से बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इन बिलों के साथ–साथ यदि एम.एस.पी. तथा किसान की पूरी फसल की खरीद की गारंटी देने वाला बिल भी सरकार लेकर आये तो निश्चित रूप से इससे किसानों को भला ही होगा अन्यथा इस कानून को किसानों पर थोप देने से किसान भाइयों का अहित तो होगा ही साथ ही साथ किसानों के बच्चों का भविष्य भी खराब होता चला जायेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी भाई का दिल दुखा है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ।

श्री सोमबीर सिंह (दादरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जब से सृष्टि रची है तब से लेकर द्वापर युग, त्रेतायुग, सतयुग और आज इस कलयुग के समय में जो भी राजघराने या यूं कहें कि सरकारें रही, उन सभी ने एक तरह से किसान का शोषण करने का ही काम किया है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, नेता का लड़का नेता बनना चाहता है लेकिन किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता क्योंकि वह जानता है कि किसानी घाटे का सौदा है। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मोदी जी

जिस प्रकार से किसान की भलाई के लिए कृषि से संबंधित ये तीन कानून लेकर आये हैं, अगर इन कानूनों से किसान की भलाई/फायदे के लिए कोई वास्तविकता है तो निःसंदेह ऐसे कानून का समर्थन किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार बलराज कुंडू ने कहा है कि आज किसानों का बाजरा नहीं बिक रहा है और उसके बिल्कुल विपरीत मैं कह रहा हूँ कि बाजरा बिक रहा है परन्तु बावजूद इसके यदि बाजरा खरीदने के आधुनिक सिस्टम में वास्तव में कोई छोटी–मोटी कमी है तो क्यों नहीं उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाये? उपाध्यक्ष महोदय, ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से जो टोकन किसानों को दिया जाता है उसमें जरूर सुधार करने की गुंजाईश है क्योंकि आज किसानों को टोकन समय पर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे उनको भारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। आज मण्डियों में बाजरे का एक–एक दाना बिल्कुल ठीक ढंग से खरीदा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गये तीनों कृषि कानूनों से बिल्कुल खुश हूँ और मैं यह बात भी समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कलम से कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। आने वाले समय में यह कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद का सौदा साबित होगा। पहले तो किसानों का शोषण ही होता था, जिसके कारण गरीब और गरीब होता चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पुण्डरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में लाए गए कृषि कानून के समर्थन में रैजोल्यूशन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। मैं भी एक किसान हूँ और मुझे पता है कि इस देश में और हरियाणा प्रदेश में किसान दयनीय हालत में है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया हुआ है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, उसी को लेकर ये कृषि बिल्ज बनाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों का केवल एक ही काम है और वह काम है हरियाणा प्रदेश के भोले–भाले किसानों को भ्रमित करना। हरियाणा प्रदेश कृषि पर आधारित है और लगभग 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश हित में ऐसे कई निर्णय लिये हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल नहीं बिकेगी लेकिन मैं

विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज मण्डियों में न्यनूतम समर्थन मूल्य के हिसाब से ही किसानों की फसल बिक रही है। इस मुद्दे को लेकर माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे थे कि आप किसानी परिवार से आते हैं तो आपको किसानों की समस्या का पता होना चाहिए। भाजपा व जजपा सरकार ने कहा है कि हम फसल का एक–एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदेंगे। मेरे क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों की फसल बिक रही है, किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष का काम तो सरकार के द्वारा किए गये अच्छे कामों की आलोचना करने का होता है। पहले की केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ही बार कुछ रुपये ही बढ़ाया करती थी लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों की मांग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में ज्यादा से ज्यादा बढ़ौत्तरी करती रहती है, जिससे आज किसान खुशहाल होता जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सन् 1987 में चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे । उस समय हम भी उनके सहयोगी थे । उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अगर मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं किसानों के कर्ज को माफ कर दूंगा और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों से किए हुए अपने इस वायदे को बखूबी पूरा किया था । पूर्व उप–प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी द्वारा किसानों को ट्यूबवैल के लिए बिजली कनैक्शन देने के बारे में जो काम किया गया उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं । अगर किसी किसान को ट्यूबवैल कनैक्शन देने के लिए केवल एक पॉल लगाना पड़ता था तो केवल 5 हजार रूपये में उसे कनैक्शन देने का काम किया गया था । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह इस समय सदन में बैठे हुए हैं । मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रदेश के किसान को ट्यूबवैल के लिए बिजली के कनैक्शन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं । किसानों ने ट्यूबवैल के लिए बिजली के कनैक्शन लेने के लिए 2–2 लाख रूपये भर रखे हैं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गोलन जी, आपका धन्यवाद । अब आप बैठ जाइये ।

श्री रणधीर सिंह गोलन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए । उसके बाद मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा । मेरा निवेदन है कि सरकार ने किसानों के खेत के लिए बिजली की केवल 5 स्टार या 3 स्टार मोटर का एलान किया हुआ है लेकिन सरकार के पास न तो बिजली की 5 स्टार मोटर है और न

ही 3 स्टार मोटर उपलब्ध है । इस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं । मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को अपनी मर्जी से किसी एक कम्पनी की मोटर को वैरीफाई करके उनको खरीदने का अधिकार किसान को दे देना चाहिए । आज इससे संबंधित पोर्टल बंद है और किसान मोटर के लिए धक्के खा रहा है । इस समय सरकार हमारी है तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसान की बात सुनें । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गोलन जी, धन्यवाद । आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है । अतः कृपया अब आप बैठ जाइये । अब माननीय बिजली मंत्री आपको जवाब देना चाह रहे हैं ।

श्री रणधीर सिंह गोलन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बिलों के बारे में बात करना चाहूंगा । जिन गांवों में 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना चल रही है उनमें बिजली का एक महीने की बजाय दो महीने में बिल आता है । किसानों को 2 महीनों का बिल एक–साथ आने की वजह से दोगुनी यूनिट का बिल भरना पड़ता है । अतः सरकार 2 महीनों की बजाय 1 महीने की यूनिट का बिल हर महीने भेजने का काम करे । मुझे याद है कि वर्ष 1982 में देश की पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हरियाणा विधान सभा के चुनावों में प्रचार करने के लिए मेरे हल्के पुंडरी में आई थी । उस समय मैं बी.ए. सैकेंड ईयर में डी.ए.वी. कॉलेज में पढ़ता था । उन्होंने वहां पर कहा था कि हमने गेहूं का भाव 1 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है । मेरा प्रश्न है कि गेहूं का रेट केवल 1 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाने वाली इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधान मंत्री महोदय श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी से कृषि से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछ सकते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने कृषि से संबंधित जो कानून पास किये हैं वे किसान के हित में हैं । सरकार को सिर्फ किसानों को इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है । अगर हम इन कानूनों को पास करने से 2 महीने पहले धारा–370 को हटाने और भगवान श्री राम मन्दिर के निर्माण के केस की पैरवी करने की तरह समझा देते तो फिर इनमें कोई झगड़ा नहीं होना था ।

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस समय कृषि कानूनों पर चर्चा चल रही थी लेकिन माननीय सदस्य ने बिजली विभाग से संबंधित बात सदन में उठा दी तो मेरा उनको जवाब देना जरूरी हो गया है । मैं माननीय

सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब से मैंने हरियाणा के बिजली मंत्री के रूप में बिजली विभाग का कार्यभार संभाला है तब से हमने लगभग नौ हजार बिजली के ट्यूबवैल्ज कनैक्शंज इन्स्टॉल किये हैं और जारी है । अभी हमारी भारत सरकार के स्टेट मिनिस्टर फॉर एनर्जी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग थी । उस वी.सी. में हरियाणा प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसे भारत सरकार की तरफ से बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए 750 करोड़ रूपये दिए गए हैं । आज के दिन हरियाणा प्रदेश में लाइनलॉसिज बहुत कम है । कम लाइनलॉस के मामले में हम पूरे देश में पहले नंबर पर हैं । इसके अलावा हम 12 हजार मैगावाट पावर की प्रतिदिन प्रोडक्शन कर रहे हैं । हरियाणा प्रदेश केवल 8 हजार मैगावाट पावर प्रतिदिन कंज्यूम कर पाता है बाकी की सरप्लस रहती है । इसके अलावा हमारे थर्मल पावर प्लांट्स अलग–से स्टैण्ड बाई मोड में हैं । मैं माननीय सदस्य को बिजली की 5 स्टार और 3 स्टार मोटर के इंस्टॉलेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि इनका निर्धारण प्रदेश सरकार नहीं बल्कि 'इण्डियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी' करती है । अतः यह हमारा विषय न होकर केन्द्र सरकार का विषय है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 'इण्डियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी' से जब ये ट्यूबवैल्ज मोटर्स अप्रूव हो जाएंगी तो हम तुंरत अपना पोर्टल खोल देंगे और किसानों को मोटर्स देने का काम शुरू कर देंगे । धन्यवाद । जय हिन्द ।

17:00 बजे

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने किसानों के हित के लिए तीन कानून बनाए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मपाल गौंदरः उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्याओं के संबंध में मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा, इसलिए आप मेरी बात भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्षः धर्मपाल जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी जबाव दे रहे हैं।

श्री धर्मपाल गौंदरः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी किसानों की समस्याओं के संबंध में अपनी बात रखनी है, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः धर्मपाल जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी जबाव दे रहे हैं।

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, एक वक्त था कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी होती थी और धीरे–धीरे करके किसानों की मेहनत की वजह से हम आत्मनिर्भर बने। हम आत्मनिर्भर ही नहीं बने, बल्कि अब खाद्यान्न का हम इतना

उत्पादन करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करने के लायक भी हो गये हैं। भरपूर मात्रा में किसानों ने खाद्यान्न का उत्पादन किया है। हमने उत्पादन बढ़ाया और देश आत्मनिर्भर बन गया, लेकिन एक विचार का मुद्दा है कि क्या किसानों की हालत सुधरी है, क्या किसानों की आर्थिक हालत ठीक हुई? मेरा यह मानना है और सभी माननीय सदस्यों की भी इस पर सहमति होगी कि किसानों की हालत दूसरे वर्गों के मुकाबले कमजोर है। इनकी हालत सुधारने के लिए अगर किसी ने ध्यान दिया है तो वह वर्तमान केन्द्र की सरकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जिन्होंने बहुत साल पहले कह दिया था कि मुझे वर्ष 2022 तक किसानों की आदमनी को दोगुना करना है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने धीरे–धीरे करके कदम बढ़ाए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो इनपुट कॉस्ट को कम किया गया, यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए उस पर नीम का लेपन करवाया गया। खाद का अत्याधिक प्रयोग होता था, उसके लिए सॉयल हैल्थ कार्ड बनवाए गए। खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करवायी गई। दूसरी बात यह थी कि किसानों को जोखिम फ्री कैसे करें, क्योंकि कभी ओला वृष्टि से, कभी पाला गिरने से और कभी सूखा पड़ने से किसानों की फसल बरबाद हो जाती थी। उसके लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। आज जो कांग्रेस पार्टी सदन से बाहर गयी है, इसी पार्टी ने इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध किया था। जो लोग आज ये भाषा बोल रहे हैं कि इसमें सेठ–साहुकारों को इन्वाल्व किया जा रहा है, वे ऐसा कहकर केवल राजनीति कर रहे हैं। हमें फसल बीमा योजना के बारे में भी गांव–गांव में जाकर किसानों को समझाने में बहुत समय लगा था। इस पर भी ये कहते थे कि यह योजना अडाणी और अंबानी के हित के लिए बनायी गयी है और किसानों को मारने वाली योजना है। लेकिन जितना लाभ इस फसल बीमा योजना से किसानों का हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। मैं पहले भी एक सवाल के जबाव में बता चुका हूं कि हमने किसानों से लगभग 900 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में लिए हैं और लगभग 2,980 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना के रूप में दिए हैं। हरियाणा सरकार की नीतियां किसान हितैषी रही हैं। इस प्रकार इस मद में हरियाणा प्रदेश के किसानों को लगभग 2,980 करोड़ रुपये दिये गये हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 6,000–6,000 रुपये किसानों के खातों में डाले गए हैं। इस प्रकार से 1200–1300 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में डाली गयी है। ये सब चीजें करके किसानों को जोखिम

फ्री करने का काम किया गया है। ऐसा करने वाला हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य है। हमारे यहां पर पानी की कमी है और पानी बचाने के लिए हमने योजना बनायी है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश के किसानों को ड्रिप इरीगेशन से सिंचाई करने के लिए 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। इससे खासकर हमारे दक्षिण हरियाणा के किसान टपका विधि से सिंचाई करके बागवानी की तरफ बढ़े हैं। कपास की खेती भी करते हैं। बूंद–बूंद पानी की विधि से किसानों को फायदा हुआ है और धीरे–धीरे करके हमारा उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों की फसलों की लागत घटी है। इसके बाद असली मुद्दा यह है कि किसान मेहनत करके पसीना बहाकर उत्पादन करता है। लेकिन पहले किसान को अपना माल बेचने के लिए आजादी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उसको अपने माल को बेचना नहीं आता था। किसान की अपनी सीमाएं हैं। जो 1, 2 या 3 एकड़ लैंड के छोटे किसान हैं, वह अपने माल को ट्रैक्टर या गाड़ी में भरकर कहां लेकर जाए? हमने उनके लिए मंडियों में फसलें बेचने की व्यवस्था की है। एक मंडी में 20–30–40 गांव आते हैं। कांग्रेस पार्टी के शासन के समय जब किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडी में जाता था तो 3 रातों तक उसकी फसल की बोली नहीं लगती थी और अन्त में उसके माल को रिजैक्ट कर दिया जाता था। किसानों को उनकी फसलों की पेमैंट लेने के लिए आढ़ती के भरोसे ही छोड़ दिया जाता था। वे महीने–महीने तक उनको फसलों की पेमैंट नहीं देते थे। किसान के बिचौलियो को आज ए.टी.एम. बोलते हैं क्योंकि जब किसान को पैसों की जरूरत होती थी तो वे बिचौलिये किसानों को 24 से 30 परसैंट तक पैसे ब्याज पर देते थे और किसानों का शोषण करते थे। इन बिचौलियों की पार्टी कांग्रेस है और इनका यह समर्थन भी करती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे किसान भाइयों की 60–70 साल में जो दुर्दशा हुई है, अगर इसका कोई जिम्मेवार है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों से यह पूछना चाहता हूं कि देश में 60–70 साल तक शासन करने के उपरांत भी किसान की इस दयनीय स्थिति का जिम्मेवार कौन है। अगर आज किसान की हालत कमजोर है तो उसका जिम्मेवार कौन है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि इन बातों का और कोई जिम्मेवार नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, इनके तरीके हैं और बीच के बिचौलिये हैं क्योंकि उनकी वजह से ही इन किसानों का शोषण लगातार हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कोशिश

की कि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिले और आज उसी का परिणाम है कि ये तीनों बिल देश के सर्वोच्च सदन में पास हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे थे जो किसान नेता हैं, उनसे इस बारे में कुछ पूछा नहीं गया तो मैं उनकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूंगा कि इस विषय पर एक साल नहीं बल्कि काफी सालों तक बहस होती रही है और हमारे विपक्ष के नेता हुड्डा साहब जी भी उस कमेटी के मैम्बर थे। उन्होंने भी यही मांग रखी थी और उनकी भी यही रिकमण्डेशंज थी। उस वक्त इनमें इच्छाशक्ति की कमी थी क्योंकि इन पर बिचौलियों का दबाव था। कांग्रेस पार्टी ने इन बिलों को पारित करने का काम नहीं किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हाथ खोलने का काम किया है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश और प्रदेश में मंडियां और एम.एस.पी. खत्म करने का दुष्प्रचार किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि मंडियां और एम.एस.पी. खत्म नहीं होंगी बल्कि हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा मंडियां खोलने का काम किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में 8–9 जिन्स हैं, जिनकी 100 परसैंट एम.एस.पी. पर खरीद की जाती है। हमारे पड़ोसी पंजाब प्रांत में और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी सरकार ने किसानों के खातों में सीधे पेमैंट देने का काम किया है। हमारी लड़ाई एक वर्ग से है जो कहता है कि किसानों की उपज का पैसा हमें दिया जाये और जब हमारी मर्जी होगी तब किसानों को पैसा दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कहती है कि हम बिचौलियों को पैसा नहीं देंगे, बल्कि किसान चाहेगा कि मुझे सीधा पैसा मिले तो हम उसको सीधा बेनिफिट्स देने का काम करेंगे। ये कृषि कानून बिल्ज हमारे लिए और हमारे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और इसके परिणाम 5–10 सालों में आयेंगे तो देश और प्रदेश का किसान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का का धन्यवाद करेगा। हमारी केन्द्र की सरकार और प्रदेश की सरकार किसान हितैषी फैसले लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जबकि देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों इन बिलों के विरोध में धरने प्रदर्शन किए, कहीं रोड जाम किए तथा षडयंत्र के तहत अनेकों कार्य किए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बिचौलियों का संरक्षण हमेशा से करती आई है। अपनी मर्जी से परमिट देना, इन्स्पैक्ट्री राज और बिचौलिये पालने की प्रथा आदि कार्य इनके अंदर जन्म–जन्म से

ही समाये हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पॉलिसी के अनुसार इस देश के गरीब किसानों को और गरीब बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अमीरों और पूंजीपतियों का संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग आज भी ऐसा ही करना चाहते है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का हित देखती है और साथ में यह भी चाहती है कि किसानों की हालत दिनों दिन सुधरे। कांग्रेस पार्टी किसानों को बहकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ये पार्टी उनसे कभी धरना प्रदर्शन करवाती है और कभी उनसे रास्ता जाम करवाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार करने से किसान के नाम को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं लेकिन हरियाणा के किसान का बहुमत हमारी पार्टी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों से किसान खुश है और आज उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के सब षडयंत्रों के बावजूद भी किसान अपने खेतों में आराम से काम कर रहा है। किसान अपनी फसलें मंडियों में बेचकर आ रहा है और किसान की धान की फसल एम.एस.पी. पर पूरी की पूरी खरीद हो रही है। किसान कपास की फसल बेच सके इसके लिए हमने मंडियों की संख्या बढ़ाई गई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारी केन्द्रीय कपड़ा मंत्री जी से मिलकर इस बार सी.सी.आई. (कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा कॉटन की परचेज को और बढ़ाया है। हमारे कांग्रेसी भाई तो कभी राहुल गांधी जी के साथ मिलकर किसान यात्रा ट्रैक्टर से निकालते हैं और कभी–कभी झूठ बोलकर किसानों को इक्ट्ठा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस ट्रैक्टर यात्रा को राजस्थान प्रांत में क्यों नहीं लेकर गई? वहां के किसानों को भी इस देश के कानून के बारे में पता होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बाजरा 2150 रुपये प्रति क्विंटल के रेट के हिसाब से खरीदा जा रहा है और राजस्थान और पंजाब में बाजरा 1200 रुपये प्रति क्विंटल के रेट के हिसाब से पिट रहा है। मै पूछना चाहता हूं कि क्या देश का कानून राजस्थान और पंजाब में लागू नहीं होता है। क्या आज इन कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को इन दोनों पड़ोसी राज्यों के किसानों की हालत दिखाई नहीं देती है। ये लोग आये दिन हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन करते रहते हैं। पिछले दिनों हमारे पड़ोस के पंजाब प्रदेश में एक कानून पास कर दिया गया कि सिर्फ गेंहू और धान इन दो फसलों की बिक्री अगर एम. एस.पी. से नीचे होगी तो उसको तीन साल की सजा हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप इस बात को मानते हो कि ये लोग किसान परिवार से सम्बन्ध रखते हैं?

मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि गेंहू खरीदने के लिए मंडियां कितने दिन चलती हैं? भारत सरकार की खरीद एजेंसियों द्वारा एम.एस.पी. पर परचेज डेढ़ या दो महीने ही की जाती है और उसके बाद फसल का रेट एम.एस.पी. से नीचे चला जाता है। यदि किसी कारण से पंजाब प्रांत के किसान के घर में अनाज पड़ा रह जाये तो वह अपनी फसल किसके यहां बेचने जायेगा। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में पंजाब के किसान का अनाज बिकेगा नहीं और उसे अपना अनाज हरियाणा में लेकर आना पड़ेगा। अगर पंजाब सरकार की नियत ठीक है तो वे अपने दम पर ये कहें कि हमारे यहां 12 महीने मण्डी चलेगी और हम किसान का अनाज एम.एस.पी. पर खरीदेंगे। उनको यह भी कहना चाहिए कि भारत सरकार दो महीने ही अनाज की खरीद करती है उसके बाद किसान के अनाज की एम.एस.पी. पर हम 12 महीने परचेज करेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों को पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार को यह भी कहना चाहिए कि जिस तरह से बाजरे, मूंग, मूंगफली और कपास की परचेज हरियाणा सरकार करती है, उसी तरह से राजस्थान और पंजाब की सरकार भी करे। अभी भाई अभय सिंह चौटाला जी शिकायत कर रहे थे कि हम हरियाणा में पंजाब व राजस्थान का अनाज नहीं आने देते। मेरा उनसे यही कहना है कि उनको यह कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि राजस्थान के किसान को अपना बाजरा व कपास बेचने के लिए हरियाणा में आना पड़े। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे प्रदेश में अनाज खरीद की व्यवस्थायें ज्यादा अच्छी हैं। हम किसानों को उनकी उपज की खरीद का डॉयरैक्ट भुगतान करते हैं। भविष्य में भी हम पड़ोसी प्रदेशों का अनाज भी खरीदेंगे लेकिन हरियाणा के बजट पर सबसे पहला हक हरियाणा प्रदेश के किसानों का है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मूंग और मूंगफली इनकी खरीद हम प्राथमिकता के तौर पर हरियाणा के किसान से ही करते हैं। हुड्डा साहब के मुख्यमंत्रीत्वकाल में हरियाणा में बाजरा और सरसों की खरीद नहीं हुई। हमने कोरोना के काल के अंदर भी अपने यहां मण्डियां बढ़ाई और आप सभी देख रहे होंगे कि पहली बार 4200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद की गई है। सरसों के स्टॉक को हमने रखा। अगर किसी किसान की सरसों किसी कारणवश से न बिक पाई हो तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि आज सरसों 5500 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। इस प्रकार से हमने सरसों और बाजरे की रिकार्डतोड़ खरीद की है।

यह हमारी नीतियों की ही सफलता है। हुड्डा साहब यह भी कहते थे कि हमें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं है। वे यह कहते थे कि इस बिल की वजह से टमाटर का रेट 50 रूपये प्रति किलोग्राम हो गया। टमाटर की होर्डिंग हो गई। उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि टमाटर एक पेरिशेबल आईटम है और 4–5 दिन से ज्यादा टमाटर को रखा ही नहीं जा सकता। अगर टमाटर की होर्डिंग होने का सिस्टम हो जाये तो वह किसान के लिए अच्छा होगा। टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर इत्यादि सभी सब्जियों की होर्डिंग की व्यवस्था करने के लिए हमें फण्ड चाहिए और फण्ड प्राईवेट सैक्टर लेकर आयेगा। यही काम तो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फूड प्रोसैसिंग के क्षेत्र में प्राईवेट सैक्टर आये और हमारे यहां फूड प्रोसैसिंग की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स लगें और इसी प्रकार से फूड पैकेजिंग की यूनिट्स भी लगें। हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने फूड प्रोसैसिंग और फूड पैकेजिंग के लिए जो एक लाख करोड़ रूपये दिये हैं उनसे किसानों के बच्चे अपने फार्म गेट पर ही फूड प्रोसैसिंग और फूड पैकेजिंग का कार्य करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फूड प्रोसैसिंग और फूड पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए 3 परसैंट ब्याज की दर पर ऋण देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं इसके लिए सबसिडी देने की भी घोषणा की है। हमने यह भी कहा है कि फूड प्रोसैसिंग और फूड पैकेजिंग का दो करोड़ रूपये तक का कोई भी प्रोजैक्ट हमारे पास लेकर आएं हम उसको पास करवायेंगे। कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि वेयरहाउसिंग को हर हाल में बढ़ाया जाये। यह हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर छोटी जोत है। हरियाणा में अढ़ाई–अढ़ाई एकड़ और तीन–तीन एकड़ की जोत है। हमने एफ.पी.ओज. बनाये हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के अंदर 10 हजार एफ.पी. ओज. बनाने का काम किया है। हमने भी अपने प्रदेश में 450–500 एफ.पी. ओज. बना दिये हैं। एक एफ.पी. ओज. के अंदर पैकेजिंग हाउस, प्रोसैसिंग हाउस, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम इत्यादि सभी कुछ बनाने के लिए 80 से लेकर 90 परसैंट तक सबसिडी दी जा रही है। यह सभी कुछ किसानों के बच्चों के लिए किया जा रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों की किसानों के हित में कोई रूचि नहीं है। इन लोगों की रूचि सिर्फ बिचौलियों का संरक्षण करने में है जो इनकी इलैक्शन के समय मदद करते हैं। ये उन्हीं को संरक्षण देने के लिए राजनीति करते हैं। प्रदेश का प्रत्येक किसान हितैषी व्यक्ति इन बिलों का समर्थन कर रहा है। मैं इस सदन के माध्यम

से पूरे प्रदेश की जनता को पूरा–पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी की कलम से कोई भी फैसला किसान के विरोध में नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार का कोई भी फैसला किसान के विरोध में नहीं हो सकता। हमारी सरकार द्वारा किसान के हाथ खोल दिए गए हैं। आज हम अलग–अलग फसल की खरीद के लिए अलग–अलग मण्डियों का निर्माण कर रहे हैं। हमारे यहां घरौंडा के अंदर हजारों करोड़ रूपये की लागत से हम मण्डी बनाने जा रहे हैं। सोनीपत में हमारी मसाला मार्किट बनाने की योजना है। पिंजौर में हमारी एप्पल मार्किट बनाने की योजना है। इसी प्रकार से हम गुरूग्राम के अंदर फूलों की मार्किट बना रहे हैं। इसी प्रकार से हम किसानों के बच्चों की आमदनी बढ़ाने के लिए फिशरीज सहित और भी बहुत सी योजनायें लेकर आ रहे हैं। हम मशरूम की योजना को भी हरियाणा में लेकर आ रहे हैं। हम यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि किसानों के बच्चों को छोटी–छोटी नौकरी के लिए इधर–उधर न भागना पड़े बल्कि अपने घर में उसको रोजगार मिले। वह रोजगार मांगने के बजाये रोजगार देने लायक हो जाये। यह योजना केन्द्र सरकार की है और केन्द्र सरकार की ही तर्ज पर हमारी सरकार भी इसी प्रकार की योजना लेकर आई है। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश का किसान समृद्ध होगा। इससे पहले तो एक पार्टी ने किसानों का शोषण करके उनको बंधुआ बनाकर रखा हुआ था। हमारी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से किसान सभी प्रकार के शोषण से मुक्त हो जायेगा और किसान के बच्चे पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। आज हमारे किसान का भविष्य उज्ज्वल है। हरियाणा की खेती का नाम पूरी दुनिया में होगा। यह जो रैजोल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। विपक्ष ने जो संशोधन दिये हैं जो बिचौलियों के हित में हैं और इन एक्ट्स में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं मैं उनको रिजैक्ट करता हूं। मैं आप सभी सदस्यों से भी प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को धन्यवाद सहित पास करके किसानों के लिए भलाई का काम करें। धन्यवाद। जयहिन्द!

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

> "कि भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित तीन अधिनियमों नामतः कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, किसान (सशक्तिकरण तथा संरक्षण), मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन), 2020 को 27 सितम्बर, 2020 को अधिसूचित

किया है। पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को, कहीं भी, और अपने मनपसंद मूल्य पर बेचने का विकल्प उपलब्ध करवाना है। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपनी फसल को बेचने के लिए कोई अनुबन्ध करता है। तीसरा अधिनियम कृषि विपणन को सरल करता है और केवल असाधारण परिस्थितियों में भण्डारण सीमा को लागू करता है। ये अधिनियम किसानों को अधिक सशक्त बनाएंगे और कृषि ढांचा मजबूत होने के साथ–साथ किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य कृषि विकास में देश में अग्रणी है इसलिए ये सुधार हरियाणा के किसानों के लिए बड़े अच्छे परिणाम लाएंगे। सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए सरकार किसानों को पुनः आश्वस्त करती है कि मण्डी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित रहेगी। इन अधिनियमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए यह सदन भारत सरकार का धन्यवाद करता है।"

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट रखता हूं।

विधान कार्य–

(i) दि पंजाब लैंड रेवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2020

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब उप–मुख्यमंत्री पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–2

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–3

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
(विधेयक पारित हुआ।)

(ii) दि हरियाणा म्युनिसिपल(सैकिण्ड अमेंडमैंट) बिल, 2020

श्री उपाध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन)विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन)विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन)विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन)विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन)विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज–2 से 4

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 4 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज–1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है कि –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(विधेयक पारित हुआ)

.....

(iii) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिंड अमेंडमैंट) बिल, 2020

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 4

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शहरी स्थानीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ)

(iv) दि हरियाणा लॉ आफिसर्ज (एंगेजमैंट) अमेंडमैंट बिल, 2020

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 4

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ)

.....

(V) दि हरियाणा कंट्रोल ऑफ ओर्गेनाइज्ड क्राईम बिल, 2020

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री, हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब–क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज 2 से 25

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 25 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

(vi) दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 2020

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री दुष्यंत चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में सरकार द्वारा हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक के संबंध में जो तीन बहुत बड़े निर्णय लिये गए हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे पहले भी सरकार ने हरियाणा पंचायती राज विधेयक में संशोधन करके पंचायत चुनावों में एजुकेशन के संबंध में बहुत बड़ा निर्णय लिया था। आज फिर भाजपा व जजपा की हरियाणा सरकार ने इस बिल के माध्यम से पंचायत चुनावों के तीनों स्तरों में महिलाओं की 50 फीसदी आरक्षण नहीं बल्कि हिस्सेदारी सम–विषय के फार्मूले के हिसाब से करने का काम किया है। इसमें पिछड़े वर्ग की 'ए' श्रेणी को भी 8 फीसदी आरक्षण या मिनिमम दो सीट देने का काम किया है। यह आरक्षण तमाम सरपंचों के पदों पर, तमाम ब्लॉक समितियों के पदों पर और तमाम जिला परिषद् के पदों पर भी लागू होगा। उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा–जजपा सरकार ने तीसरा ऐतिहासिक फैसला 'राइट टू रीकॉल' का लिया है। इसमें यह है कि यदि किसी भी ग्राम सभा के 50 परसैंट लोग लिखित रूप में किसी जिला परिषद् के मैम्बर, किसी ब्लॉक समिति के मैम्बर या सरपंच के खिलाफ 'राइट टू रीकॉल' करते हैं तो उसके बाद सीक्रेट वोटिंग उस वार्ड में या पंचायत में करवाई जायेगी। यदि 67 परसैंट यानी टू थर्ड से ज्यादा लोग उस मैम्बर के खिलाफ वोट करते हैं तो उसको 'राइट टू रिकॉल' के तहत अपने पद से हटाया जायेगा।

श्री राम कुमार कश्यप (इन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बी.सी.–ए वर्ग के उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति में मैम्बर्स और जिला परिषद में पार्षदों को 8 प्रतिशत का जो आरक्षण दिया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली (टोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, कई बार ग्राम पंचायतें अपने चुने हुए सरपंच को समयावधि पूरी होने से पहले बदलना चाहती है तो यह सरकार इसके लिए 'राइट टू रीकॉल' का बिल सदन में लेकर आई है । मैं 'राइट टू रीकॉल' के लिए और बी.सी.–ए वर्ग के उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के मैम्बर्स और जिला परिषद के पार्षदों को 8 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला (बाढड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के लिए आपका, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय का, सभी माननीय मंत्रीगण का और इस महान सदन का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं । मैं कहना चाहूंगी कि नारी केवल एक इंसान नहीं है बल्कि इस प्रकृति को आगे ले जाने वाली एक निर्माणकर्त्ता भी है । जय हिन्द ।

पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो 'राइट टू रीकॉल' बिल आया है वह पूर्व उप–प्रधानमंत्री महोदय चौधरी देवीलाल जी का सपना था । मैं 'राइट टू रिकॉल' बिल और बी.सी.–ए वर्ग के उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के मैम्बर्स और जिला परिषद के पार्षदों के चुनावों में 8 प्रतिशत आरक्षण देने और महिलाओं को पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनावों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी और माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय भाई दुष्यन्त चौटाला जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

खेल एवं युवा मामले संबंधी राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी.सी.–ए वर्ग के उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के मैम्बर्स और जिला परिषद के पार्षद के चुनावों में 8 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल और माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय

श्री दुष्यन्त चौटाला का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । इसके लिए मैं इनको अपनी और पूरे समाज की तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं ।

श्री धर्मपाल गौंदर (नीलोखेड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी.सी.–ए वर्ग के उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के मैम्बर्स और जिला परिषद के पार्षदों के चुनावों में 8 प्रतिशत आरक्षण देने और महिलाओं को पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनावों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । इसके अलावा मैं सदन में आज किसानों की एक समस्या के बारे में बताना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, आप इस समय बिल पर ही बोलिये ।

श्री धर्मपाल गौंदर : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन किसानों की इस समस्या पर अभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने सदन में प्रकाश नहीं डाला है । अतः आप मुझे किसानों की एक समस्या के बारे में बताने दीजिए । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, यह समय किसानों की समस्या को रखने का नहीं है । आप इस बारे में बाद में बता देना । अब बिल पर चर्चा रही है, इसलिए अगर आप बिल पर कोई और बात रखना चाहते हैं तो रखिये अदरवाइज आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री सत्य प्रकाश (पटौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एच.एस.आई.आई.डी.सी. के प्लॉट्स के आबंटन में एस.सीज. कैटेगरी के व्यक्तियों को 10 प्रतिशत राशि की छूट देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । इसके अलावा मैं बी.सी.–ए वर्ग के उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के मैम्बर्स और जिला परिषद के पार्षदों के चुनावों में 8 प्रतिशत आरक्षण देने और मातृ शक्ति को पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनावों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी और पूरे सदन का आभार प्रकट करता हूं कि सबने मिलकर इस ऐतिहासिक बिल को पास किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 8

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 8 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

उप–मुख्य मंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
(विधेयक पारित हुआ ।)

(Vii) दि हरियाणा अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फाईनैंसिज (अमैंडमैंट) बिल,2020

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज 2 से 8

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 8 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि विधेयक पारित किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

मुख्यमंत्री द्वारा धन्यवाद

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन है, इस दिन हमारी सरकार ने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बड़ा महत्व रखती हैं। जैसे हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए बिल पारित किया है। वैसे तो इनमें पहले भी महिलाओं को 33 परसैंट रिजर्वेशन मिलता था। उस 33 परसैंट के रिजर्वेशन में जो संख्या बनती थी, चाहे वह ग्राम पंचायतों में हो, चाहे वह ब्लॉक समिति में हो और चाहे वह जिला परिषद् में हो, यह संख्या मिलाकर देखें तो 41 से 43 परसैंट बन जाती थी। इसमें

हर गांव का अलग–अलग फार्मूला होता था, जिसके कारण यह संख्या बढ़ जाती थी। कुछ जनरल सीटों पर भी महिलाएं चुनाव लड़ती थी इसलिए यह संख्या बढ़ जाती थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए जब यह बात हमारे सामने आई तो महिलाओं की वास्तव में जो संख्या बनती है, वह समाज की आधी संख्या के बराबर बनती है। इसलिए हमारी सरकार ने सोचा कि कम से कम आधी संख्या तक तो पहुंचने का काम किया जाये। इसके बाद सरकार के ध्यान में एक विषय यह भी आया कि अगर हम महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं तो फिर आधे से अधिक (यानी 60–65 परसैंट) संख्या तक रिजर्वेशन का आंकड़ा जा सकता है, इसलिए हमारी सरकार ने एक प्रयोग किया है। हमने अपने प्रदेश में यह प्रयोग किया है कि महिलाओं की 50 परसैंट भागीदारी हो, ऐसा भी नहीं है कि हम समानता लाने के चक्कर में दूसरी तरफ लिंग की असमानता की तरफ चले जायें। यदि असमानता हो जाये तो कल को पुरुष समाज यह कहेगा कि हमें भी रिजर्वेशन दी जाये इसलिए हमारी सरकार ने एक बैलेंसिंग फॉर्मूला निकालते हुए प्रयोग किया है। मैं समझता हूं कि यह प्रयोग अच्छा सिद्ध हुआ तो देश के बाकी प्रांत भी इस प्रयोग को अडॉप्ट करने का काम करेंगे। ऐसे ही जब हम पिछड़ा वर्ग के समाज के बारे में सोचते हैं तो उसमें भी दो हिस्से बनते हैं। एक पिछड़ा वर्ग ''क'' और दूसरा पिछड़ा वर्ग 'ख' है। हमारी 'ख' वर्ग में जातियों की आर्थिक स्थिति ठीक है, साधन सम्पन्न हैं और अपने–अपने एरिया में बहुमत भी रखती हैं इसलिए इनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। वे अपने रेशों के हिसाब से ज्यादा प्रभावी जाति होने के कारण चुनाव जीतकर आ जाते हैं। बी.सी. 'ए' यानी पिछड़ा वर्ग ''क'' का प्रतिनिधित्व सब जगह प्रारम्भ में केवल पंचायत के सदस्यों के रूप में ही था लेकिन अब हमने जिला परिषद् के सदस्यों और पंचायत समिति के सदस्यों के रूप में भी यह किया है। हम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, इसके लिए भी हमने पंचायती राज अधिनियम में कुछ संशोधन किये हैं। पंचायत को किस प्रकार से अधिकार ज्यादा मिले, हम इस विषय पर काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की पढ़ी–लिखी पंचायतें होने के कारण उनसे बहुत लाभ हो रहे हैं और उसके लिए कई पैरामीटर्ज बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि हम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति दे और जितना ज्यादा चीजों को decentralisation कर सकें, उतना हम लगातार करने का प्रयास भी कर रहे है। चाहे हमारे शहरी स्थानीय निकाय हों या ग्रामीण क्षेत्र हों, हमारी सरकार ने अलग

से जिलों में सी.ई.ओज. बना दिए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सी.ई.ओज. का एक प्रभावी रोल हो ताकि वहां पर सारी चीजें लोकल हो जाये। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी डी.एम.सीज. (डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिशनर) की अलग से व्यवस्था करने का काम किया है ताकि इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से और प्रभावशाली बनाया जा सके। आज सदन की बैठक में जो अच्छी बात नहीं रही, वह यह है कि हमारे विपक्ष के साथी जो पिछले दिनों पूरे प्रदेश में इस प्रकार की चर्चा करते थे कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष के सदस्यों को इन तीन नये कृषि कानूनों पर इस महान सदन में खुलकर चर्चा करनी चाहिए थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर मुझे एक बात ध्यान में आई कि जर्मनी में हिटलर के प्रोपगैंडा मंत्री गोयबल्स थे और उनका एक सिद्धांत था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वह सत्य बन जाता है। कभी–कभी इन लोगों को भी लगता है कि शायद ये लोग भी मानस पुत्र गोयबल्स के ही होंगे। ये लोग किसानों से बार–बार झूठ बोलते हैं कि प्रदेश के किसानों के साथ ऐसा हो जायेगा, वैसा हो जायेगा। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि प्रदेश की मंडियों में एक महीने से लगातार एम.एस.पी. पर फसलों की प्रीक्योरमैंट हो रही है। प्रदेश की मंडियों में सब कुछ ठीक चल रहा है। आज हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के समर्थन में ''धन्यवाद प्रस्ताव'' देने की बात की तो विपक्षी पार्टी के सदस्य बिना चर्चा किए सदन से बाहर चले गये और सदन की कार्यवाही में बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न किया। हमें पहली बार यह महसूस हुआ कि किसी एक विषय को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा की जा रही है परन्तु विपक्ष संबंधित विषय पर चर्चा करने से सदन से भाग रहा है। अभी जैसा कि हमारे माननीय मंत्री श्री कंवर पाल जी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का ऐसा एक उदाहरण होगा जो शायद ही कभी पहले आया हो। हमें यह बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं तब भी मैं अपने सब मित्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून हैं, ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों की आय डबल होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में हमारी सरकार के पास जितने भी विषय आये, उन सब विषयों पर बहुत अच्छे तरीके से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और आपने एक अच्छी चर्चा करवाई और

इसमें सभी माननीय सदस्यों ने सहयोग भी किया। यह हमारा दो दिन का सत्रावसान सत्र था जो आज दिनांक 06.11.2020 को सम्पन्न हुआ। इस सत्र में जितने भी हमारे हरियाणा विधान सभा के अधिकारी/कर्मचारी हैं, उन्होंने इसमें सहयोग किया। मैं इस अवसर पर आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

***5.50 बजे** **(तत्पश्चात् सदन अनिश्चितकाल के लिए *स्थगित हुआ।)**

———————————